राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का २६वाँ दिवस [संख्या १४

सोमवार, १८ नवम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.११ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

नियमों का हिन्दी अनुवाद

५४८. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों के आचरण संबंधी, राज्य सरकार की नौकरी संबंधी (आर० एस० आर०), प्रशासन संबंधी तथा हिसाब-किताब सम्बन्धी नियमों की पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद नहीं कराया गया है ?

(२) क्या सरकार समझती है कि हिन्दी भाषा को राजस्थान में उचित स्थान मिले, इस हेतु अंग्रेज़ी टाइप राइटर्स की खरीद पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास-मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) जी नहीं। इनमें से आर० एस० आर०, बजट मेन्युअल व जी० एफ० एण्ड ए० रूल्स का अनुवाद एक बार हो चुका है, किन्तु कुछ संशोधन पश्चात् पुनः अनुवाद किया जा रहा है। शेष का अनुवाद हिन्दी में तत्परता से हो रहा है।

(२) अभी अंग्रेजी मुद्रण-यंत्रों की आवश्यकता पड़ती रहेगी, अतः इस समय उनकी खरीद पर प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं होगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपका तत्परता से क्या तात्पर्य है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तत्परता से तात्पर्य तत्परता है।

श्री मूलचन्द डागा : आप हिन्दी टाइपराइटर्स खरीद रहे हैं तो उनके साथ साथ उनकी खरीद में कमी हुई है और अंग्रेजी टाइपराइटर्स मंगाये गये हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में हिन्दी है तो वहां पर और सब आफिसेज़ में जहां हिन्दी चलती है उन सबको हिन्दी टाइपराइटर्स प्रोवाइड किये गये हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि राजस्थान बनने के बाद भी अंग्रेजी टाइपराइटर्स ज्यादा खरीदे गये हैं ?

Page No.2

श्री दामोदरलाल व्यास : हिन्दी के भी खरीदे गये हैं और अंग्रेजी के भी आवश्यकतानुसार खरीदे गये हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : मेरा कहना यह है कि अंग्रेजी के टाइपराइटर्स ज्यादा खरीदे गये हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, मैंने कहा कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों के ही टाइपराइटर्स खरीदे गये हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या सरकार यह आवश्यक समझती है कि हिंदी के प्रोत्साहन के लिए हिन्दी के टाइपराइटर्स को प्रोत्साहन देने से हिन्दी का काम बढ़ेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हिन्दी को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

श्री जनार्दनराय नागर : यह हिन्दी के प्रोत्साहन में टाइपराइटर्स की ही तकलीफ है या कोई और मानसिक भी तकलीफ है ?

श्री अध्यक्ष : केवल मुद्रण की ही तकलीफ है।

श्री जनार्दनराय नागर : यह सरकार की ऐसी दलील है कि टाइपराइटर्स के खरीदने को प्रोत्साहन देने से हिन्दी का प्रचार होगा, इस तरह की घिसी हुई दलील देकर सरकार इसको रोके रखना चाहती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : सिर्फ टाइपराइटर्स का ही नाम सुनकर ऐसा समझा गया कि टाइपराइर्स का ही प्रश्न है प्रश्न था कि हिन्दी के टाइपराइटर्स खरीदे गये।

श्री दयाकृष्ण विजय : आचरण संबंधी जो नियम हैं उनका हिन्दी अनुवाद क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : तत्परता से हो रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि किया जा रहा है।

प्रश्न संख्या ५४९

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५५०

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

बेसिक प्राइमरी स्कूल, लालसोट का भवन

५५१. श्री प्रभुलाल पुरोहित, (लालसोट) क्या मंत्री, बेसिक शिक्षा विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या लालसोट बेसिक प्राइमरी स्कूल भवन का आधा भाग सरकारी एवं आधा भाग किसी अन्य व्यक्ति का है ?

(२) क्या यह सच है कि मकान की पूर्ण व्यवस्था न होने से वर्षा में विद्यार्थियों को छुट्टी दे दी जाती है और गर्मी व सर्दी में बच्चे बाहर विद्याध्ययन करते हैं ?

(३) क्या उक्त आधे भाग को सरकार खरीदने व किराये पर लेने का विचार रखती है ?

(४) क्या उक्त स्कूल की व्यवस्था के संबंध में नागरिकों का डेपुटेशन अधिकारियों से मिला था ?

Page No.3

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

(५) यदि मिला था, तो उसकी प्रार्थना पर क्या कार्यवाही की गई ?

(६) क्या यह सच है कि ए० डी० आई० लालसोट स्कूल भवन के ऊपर के मकान में रहता है और उसके स्नानादि से छात्रों के बैठने का स्थान गीला हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ए० डी० आई० को अन्य स्थान पर मकान लेने के आदेश देगी ?

उपशिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई)
(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(४) जी नहीं।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

(६) जी हां, एस० डी० आई० तीसरी मंजिल पर श्री माधोलाल के अधिकृत भाग में किराये पर रहता है। यह सही नहीं है कि उसके स्नानादि से छात्रों के बैठने का स्थान गीला हो जाता है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : मैं सरकार को बताऊं कि एस० डी० आई० के स्नान से छात्रों के बैठने का स्थान गीला हो जाता है और वे बैठ भी नहीं सकते।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं। मेरे पास ऐसी सूचना है जो मैंने आपको बताई।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : मैंने जो दलील दी उसकी और जांच सरकार करेगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह जांच का विषय नहीं है। यह तो सफाई से रहने से ताल्लुक की बात है। जो हमारे पास सूचना है उसके अनुसार स्थान गीला नहीं होता है। हां, बरसात के दिनों में जरूर हो जाता है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : क्या वहां दूसरे मकान का इन्तजाम नहीं हो सकता, जो वहीं पर रहता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वह दूसरे व्यक्ति के मकान में किराये पर रहता है और इस कारण हम उसका इन्तजाम नहीं कर सकते हैं। न उससे मकान छुड़ा सकते हैं और न उसको छोड़ने के लिए बाध्य कर सकते हैं।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : दो-तीन कमरे तो इतने गीले हो जाते हैं कि मौका देखने से पता होगा।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : लेकिन वह दूसरे व्यक्ति के मकान में रहता है और उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और अगर सरकार चाहे भी तो भी उसको निकाल नहीं सकती है।

प्रश्न संख्या ५५२

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

नागोर जिले के रेवेन्यु विभाग के कर्मचारियों का फिक्सेशन

५५३. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) नागोर जिले में रेवेन्यु विभाग में ऐसे कितने क्लर्क्स हैं जिनका फिक्सेशन अभी तक नहीं हुआ है ?

Page No.4

(श्री दयाकृष्ण विजय)

(ख) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जोधपुर राज्य ने ३१–१२–४८ को फिक्सेशन के लिए आदेश दिये थे ?

(ग) उक्त आदेश के अन्तर्गत किन किन का फिक्सेशन बाकी है और क्यों ?

(घ) ऐसे कौन कौन से क्लर्कस हैं जिनका राजस्थान सरकार के रिवाइज्ड ग्रेड में फिक्सेशन होकर एरियर का पेमेन्ट होना बाकी है ?

(ङ.) फिक्सेशन में विलम्ब का क्या कारण है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) कोई नहीं

(ख) जी हां ।

(ग) किसी का भी नहीं ।

(घ) ऐसे दो क्लर्कस हैं जिनका फिक्सेशन रिवाइज्ड ग्रेड में होकर एरियर पेमेन्ट होना बाकी है ।

(ङ.) फिक्सेशन हो चुका है, अतः यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह फिक्सेशन कब हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख तो मेरे पास नहीं है कि यह फिक्सेशन कब हुआ ।

श्री दयाकृष्ण विजय : फिक्सेशन तो आपके ही यहां से हुआ है तो आपको कम से कम तारीख तो ज्ञात होनी चाहिए ।

श्री दामोदरलाल व्यास : श्री गोपीकृष्ण यू० डी० सी० जो सब-डिवीज़नल ऑफिसर, परबतसर के पास हैं उनका फिक्सेसन हो चुका है, लेकिन एरियर का पेमेन्ट बाकी है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : फिक्सेशन तो आपने ही किया होगा, तो यह बतायें कि उसका एरियर किस तारीख से बाकी है ? फिक्सेशन किस तारीख को हुआ था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनका फिक्सेसन १६–१०–५८ को हुआ और उनको २४–१०–५८ को सब-डिवीज़नल ऑफिसर परबतसर के पास भेज दिया गया ।

श्री दयाकृष्ण विजय : एरियर अभी तक नहीं मिला है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अब अध्यक्ष महोदय आप ही देखिये कि २४–१०–५८ को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है । उनको पेमेन्ट मिलने की कार्यवाही जारी है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब कि ३१–१२–४८ को इसके आदेश निकल चुके थे तो फिर फिक्सेशन में देरी का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसा है कि कुछ पेपर्स मिलने में देरी हो जाती है और फिर एक्शन लेने में देरी लग जाती है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : मगर अध्यक्ष महोदय ४८ और ५८ में तो दस वर्ष का अंतर होता है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : लेकिन उसमें टाइम लगा है, उसका जवाब दे दिया है ।

Page No.5

प्रश्न संख्या ५५४

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण वर्मा ।

रामचन्द्र चोबदार (मांगरोल) की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों को सरकार द्वारा इनाम

५५५. श्री रामनारायण वर्मा (पीपलदा) : क्या देवस्थान मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि रामचन्द्र चोबदार बाग श्री बाबाजी राज मांगरोल, तहसील मांगरोल की नियुक्ति दिनांक ६–६–२४ को हुई और इसी पद पर कार्य करते हुए दिनांक ३–८–५६ को मर गया ?

(ख) क्या रामचन्द्र की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों द्वारा सरकार से इनाम की मांग की गई ?

(ग) यदि हां, तो यह मांग कब की गई थी ? क्या यह मांग उचित है ? यदि हां, तो उक्त इनाम कितना और कब तक दिया जावेगा ?

देवस्थान मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इनाम देने का प्रश्न नहीं उठता । लेकिन उन्हें नियम के अनुसार पेन्शन देने की कार्यवाही चालू है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब से कार्यवाही चालू है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख तो मेरे पास नहीं है । ३–८–५६ को उनकी डैथ हो गई, उसके बाद चालू हुई ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह

नारेड़ा, सूरपुरा, बनेटी मिडिल स्कूलों पर सरकार का अधिकार

५५६. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) नारेड़ा, सूरपुरा, बनेटी मिडिल स्कूलों को सरकार ने अपने अधिकार में कब लिया था ?

(२) उक्त स्कूलों के अध्यापकों का वेतन अब तक किस हिसाब से मिल रहा है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त स्कूलों के अध्यापकों का फिक्सेशन अभी तक नहीं हुआ है ?

(४) क्या यह भी सत्य है कि इनसे बाद में सर्विस करने वालों से इन्हें जूनियर समझा जा रहा है ?

(५) यदि हां, तो क्यों ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) सूरपुरा व बनेटी के स्कूलों को सन् १९५२ में तथा नारेड़ा के स्कूल को सन् १९५४ में ।

(२) ठिकानों के ग्रेड्स के अनुसार मिल रहा है ।

(३) जी हां ।

(४) जी नहीं ।

(५) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामकरणसिंह : आपने चौथे के जवाब में बताया कि, 'जी नहीं'। क्या उनको ठिकाने के टाइम से जो तनख्वाह मिल रही है उसी आधार पर, ग्रेड के आधार पर जिनको कि पहले मिलती है उनको जूनियर नहीं माना जाता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : फिक्स होने पर जूनियेरिटी और सीनियेरिटी तय होगी, वे जूनियर नहीं माने जा सकते।

श्री रामकरणसिंह : जिनको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं और फिक्सेशन होने के बाद में इनको पैसे मिलेंगे तो जिस समय से फिक्सेशन होगा उस समय से इनकी सीनियेरिटी और जूनियेरिटी को किस हिसाब से माना जायेगा या इनके लिए कुछ सोचा जा रहा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वह तो फिक्सेशन होने पर ही सीनियेरिटी और जूनियेरिटी का हिसाब बाद में तय होगा। लेकिन समय लगने से उनकी सीनियेरिटी में असर पड़ रहा है ऐसी बात नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : तो क्या यह माना जाये कि इनकी सीनियेरिटी ५२ से जो युनिफाइड पे स्केल टेकओवर किए जाते हैं और ५४ में किए गए तो टाइम के आधार पर माना जायगा या फिक्सेशन ऑर्डर्स प्राप्त हुए तब से ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : रेशनेलाइज़ेशन पे स्केल में फिक्स करने की तारीख निर्धारित है, उसी समय से दिया जायेगा।

श्री रामकरणसिंह : फिक्सेशन की कार्यवाही हो रही है। तारीख भी निश्चित कर दी गई है तो क्या ये फिक्सेशन के कागज़ात ए० जी० ऑफिस से आपके ऑफिस में आ गए हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं, अभी नहीं आये हैं। ए० जी० के यहां विचाराधीन हैं।

श्री रामकरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूं कि मैंने खुद बातचीत की है और उन्होंने बताया कि हमने डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन के अकाउन्टेन्ट को बुलाया है, लेकिन कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स होने की वजह से कागज नहीं निकले और वे मुकम्मिल नहीं हुए हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उन्होंने कई क्वेरीज की थी और सूचना इकट्ठी की जा रही है और अभी तक जो मामला है वह ए० जी० के विचाराधीन है।

श्री रामकरणसिंह : मैं अर्ज करूं कि उन्होंने दो दफा रिमाइन्डर भेजा है कि इसके लिए कार्यवाही की जाय तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजमल।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपका कहना सही हो सकता है। रिमाइन्डर दो दफा भेजे हों।...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्राम भूंगरा (शेरगढ़) में अनुसूचित जाति के लोगों की ढाणियां जल जाने पर सरकार द्वारा सहायता

५५७. श्री सूरजमल (फलौदी) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को विदित है कि तहसील शेरगढ़ के ग्राम भूंगरा में कुछ समय

(श्री सूरजमल)

पहले अनुसूचित जाति के लोगों की ढाणी जली थी ?

(२) क्या यह सही है कि उसमें जन, धन, पशु आदि की अधिक हानि हुई ?

(३) क्या इस ढाणी के जलने के पश्चात् सरकार ने किसी सरकारी अधिकारी से इसकी जांच करवाई ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(४) ढाणी किसकी थी तथा क्या सरकार उपरोक्त ढाणी के मालिक को उचित सहायता दिलवाने की व्यवस्था करेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां।

(२) जी हां, केवल धन का नुकसान हुआ।

(३) जी हां, तारीख २७–७–५८ को।

(४) ढाणी गंगाराम पुत्र पूसाराम मेघवाल सा० मंगला की थी। उचित सहायता अवश्य मिलेगी।

श्री सूरजमल : ढाणी किस तारीख को जली थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : १७–५–५८ की शाम से पहले।

श्री मूलचन्द डागा : क्या माननीय सदस्य के क्षेत्र में आग लगने की घटनाएं ज्यादा होती हैं ? वहां लगभग आग लगा ही करती है तो वहां पर पूरा प्रबन्ध किया जाय।

श्री तनसिंह : आप लगा कर आये थे।

(हंसी)

ग्रो मोर फूड स्कीम के अन्तर्गत काश्त के लिए जमीनों का वितरण

५५८. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) बस्सी तहसील में पारण की सरकारी खोड़ में से जून ५३–५४ या ५४–५५ में किन किन व्यक्तियों को ग्रो मोर फूड स्कीम के अन्तर्गत काश्त के लिए जमीन दी गई थी ?

(२) उक्त जमीन देते समय क्या क्या रिआयतें दी गई ?

(३) क्या यह सही है कि कुछ लोगों ने जमीन पारण के काश्तकारों को बेच दी है ?

(४) उक्त जमीनों का लगान कब से बकाया है और क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) सन् १९५३–५४ अथवा ५४–५५ में नहीं दी गई, अपितु सन् १९५०–५१ व १९५२–५३ में दी गई थी।

श्री चिरञ्जीलाल मिश्रा को	१५० बीघा	
श्री जगदीशकिशोर शर्मा को	१५० ,,	
श्री नन्दकिशोर माथुर को	१५० ,,	
श्री नानगा वल्द खारवाल	१६। ,,	
श्री ग्यारसा रामदेव पिसरान चन्दा खारवाल	१६। ,,	
श्री छीतर वल्द छोटू चमार	१६। ,,	१ बिस्वा
श्री लछमा वल्द छोटू चमार	१५। ,,	२ ,,
श्री गिरधारी पुत्र भोर्या गूजर	१६ ,,	४ ,,
श्री रामसहाय पुत्र पांचू	१६ ,,	४ ,,
श्री शंकर छोट्या पिसरान	१६ ,,	४ ,,

Page No.8

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(२) राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या एफ. ३ । १३२ राज । ५१ दिनांक १५-३-५१ को दी गई थी ।

(३) तहकीकात की जा रही है । साबित होने पर उचित कार्यवाही की जावेगी ।

(४) लगान कोई बाकी नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

राजकीय हाईस्कूल, पीपाड़ सिटी में कॉमर्स के छात्र

५५६. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजकीय हाईस्कूल, पीपाड़ सिटी में कॉमर्स के पिछले दो सत्र से किस किस क्लास में कितने कितने छात्र पढ़ रहे हैं ?

(ख) हाई स्कूल में कितने टाइप राइटर्स हैं ? क्या यह संख्या पर्याप्त है ?

(ग) क्या यह सही है कि टाइपराइटर्स की कमी के कारण छात्रों को प्रवेश नहीं मिलता ? यदि हां, तो इस वर्ष वाणिज्य लेने की इच्छा वाले छात्रों को प्रवेश नहीं मिला

(घ) क्या यह सही है कि स्थानीय जनता ने टाइपराइटर्स खरीदने के लिए सरकार को ५०००) रु० एकत्रित करके दिये थे ? यदि हां, तो यह रकम कब जमा कराई गई, और अब कहां है ?

उपशिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (क) कक्षा ६ में सन् ५७ में १६ और सन् ५८ में २६ । कक्षा १० में सन् ५७ में ६ और सन् ५८ में २० ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं । जिन छात्रों ने वाणिज्य लेना चाहा, उन सब को वाणिज्य लेने के आदेश दे दिए गए ।

(घ) जी हां, यह रकम सन् ५५ में गवर्नमेन्ट ट्रेजरी में जमा हुई और सरकारी कोष में जमा हो चुकी है ।

श्री भैरोंसिंह : जब टाइपराइटर्स नहीं हैं तो कॉमर्स क्लास का कोर्स किस प्रकार तैयार होगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने उत्तर दिया कि दो टाइपराइटर्स हैं वहां पर ।

श्री भैरोंसिंह : यह रकम कब जमा कर ली थी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री भैरोंसिंह : उत्तर सुना नहीं, साफ कह दें ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने साफ ही पढ़ा है । जी हां, यह रकम सन् ५५ में गवर्नमेन्ट ट्रेजरी में जमा हुई और सरकारी कोष में जमा हो चुकी है ।

श्री भैरोंसिंह : ५५ से लेकर अब तक टाइपराइटर्स खरीदे क्यों नहीं गये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : डाइरेक्टर ऑफ प्रिन्टिंग एन्ड स्टेशनरी को ऑर्डर भेज दिया गया । उन्होंने फरवरी में ऑर्डर्स प्लेस

Page No.9

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

किये, उस वक्त वे उपलब्ध नहीं हो सके । दुबारा उनको लिखा गया है ७-११-५८ को ।

श्री भैरोंसिंह : फरवरी सन् ५५ में जब रकम जमा हो गई तो तीन वर्ष के अर्से में टाइपराइटर्स क्यों नहीं खरीदे गए ?

श्री अध्यक्ष : अब जरा तत्परता दिखाई है।

श्री भैरोंसिंह : रकम जमा पड़ी है।

श्री अध्यक्ष : तभी तो कह रहे हैं कि जल्दी करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : दो टाइपराइटर्स पर २०–२० लड़के एक साल में इम्तिहान कैसे देते हैं ?

जिला झालावाड़ में कंजरों की आबादी

५६०. **श्री रामचन्द्र** (डग) : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जिला झालावाड़ में कंजरों की कुल कितनी आबादी है और ये लोग किन किन तहसीलों के किन किन गांवों में बस्ती बसा कर अथवा अव्यवस्थित रूप से बसे हुए हैं ?

(२) ये लोग क्या धन्धा करते हैं और क्या इन सबों के पास भूमियां हैं ?

(३) समाज कल्याण विभाग ने अब तक इनके सुधार के लिए क्या साधन जुटाए हैं और इन पर अब तक कितना धन खर्च किया जा चुका है ?

(४) क्या सरकार इन लोगों को खेती के लिए भूमियां देने का इरादा रखती है ?

उप समाज कल्याण मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है, इसलिए आइन्दा टर्न पर रखें ।

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां ।

बिना एडवाइजरी बोर्ड की मंजूरी के तहसीलदार बामनवास द्वारा जमीन का अलाटमेंट

५६१. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील बामनवास (जिला सवाई माधोपुर) में कितनी भूमि सिवाय चक में थी तथा उसमें से तहसीलदार ने बिना एडवाइजरी बोर्ड की मंजूरी कितन जमीन सन् ५६ से लगाकर आज तक अलॉटमेंट किस किस को किस किस तारीख को किया ?

(ख) ऐसे कितने सिवाय चक उन किसानों को अलॉटमेंट किया गया है, जिनके पास पन्द्रह बीघा जमीन है ?

(ग) क्या यह भूमि जो गैरकानूनी तौर पर अलॉट हुई, उसे वापिस लेकर भूमिहीन काश्तकारों को दी जायगी ? यदि दी जायगी, तो कब तक ?

(घ) क्या जिस अफसर ने गलती की है उसकी जांच करके उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) ३२७३९ बीघा थी । ४५७ बीघा १५ बिस्वा अलॉट किया गया है ।

Page No.10

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(ख) इसकी सूचना मुकम्मिल नहीं है, जांच की जा रही है ।

(ग) जांच पूरी होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी ।

(घ) जी हां । यदि जांच के परिणाम से दोषी है, तो उसको दण्ड दिया जायगा ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : जांच कब तक हो जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच जल्दी ही हो जायगी ।

प्रश्न संख्या ५६२

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

डिविजनल फोरेस्ट ऑफिसर का कार्यालय बारां में बनाने के लिए अवाप्त की गई भूमि

५६३. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि कस्बा बारां में खसरा नं० ३२७२।१७३०, ३२७३।१७३०, ३२७१।१७३१, ३२७४।१७३२ की भूमि डिविजनल फोरेस्ट ऑफिसर का कार्यालय बनाने के लिये अवाप्त की गई थी ?

(ख) इनमें से किन किन मालिकान को मुआवजा तथा किन किनको इसके एवज में कितनी अन्य भूमि दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों और इस सम्बन्ध की कार्यवाही अब किस स्टेज पर है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां ।

(ख) मुआवजा या एवज में जमीन अभी तक किसी को नहीं दी गई । मुआवजा नियत करने की कार्यवाही चल रही है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह भूमि कब अवाप्त की गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नोटिफिकेशन की तारीख है, ८ फरवरी, सन् ५६ को शाया हुआ था ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि भूमि जिस काम के लिए अवाप्त की गई थी, वह भूमि उस काम में नहीं आ रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं । उसी काम में आ रही है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उसी भूमि को कुछ लोगों को अलॉट कर दिया गया है और उन्होंने कब्जा भी कर रखा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है कि किसी और को अलॉट कर दी गई है । आप सूचना देंगे तो जानकारी कर सकता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : मुआवजा नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लैण्ड एक्विजिशन एक्ट के तहत लैण्ड एक्विजिशन ऑफिसर के पास कार्यवाही की जाती है । वह कार्यवाही खत्म होते ही मुआवजा मिल जायगा । कम्पेन्सेशन फाइनली डिटर्मिन नहीं हो रहा है ।

प्राइमरी स्कूल चाकसू का भवन निर्माण

५६४. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या चाकसू का प्राइमरी स्कूल दो स्थानों पर चलता है ?

(२) उक्त स्कूल किराये के मकान में कब से चलता है ?

(३) क्या सरकार स्कूल भवन निर्माण का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां।

(२) जुलाई सन् १९४९ से।

(३) जनता को चाहिये कि स्कूल भवन निर्माण के लिये अग्रसर हो।

प्रश्न संख्या ५६५

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सतवन्तकौर।

(अनुपस्थित)

हाई स्कूल, चाकसू का भवन

५६६. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या चाकसू हाई स्कूल के दो कमरे अधूरे हैं ?

(२) यदि हां, तो कब से ?

(३) अब इन कमरों की पूर्ति कब तक की जावेगी ?

(४) क्या यह सच है कि इन दो कमरों के अपूर्ण होने से दो कक्षाएं दूसरे मकान में बैठती हैं ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां।

(२) सन् १९५५ से।

(३) शीघ्र ही।

(४) जी हां।

जिला झालावाड़ की अनुसूचित जातियों के हेतु कल्याण कार्य पर स्वीकृत धनराशि

५६७. श्री रामचन्द्र (डग) : क्या मंत्री समाज कल्याण विभाग, निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि जिला झालावाड़ के अनुसूचित जातियों के कल्याण कार्य हेतु सन् १९५७-५८ में धनराशि स्वीकृत की गई थी ?

(२) यदि हां, तो यह धन किस कार्य हेतु कितना कितना स्वीकृत हुआ था और प्रत्येक मद में कितना धन खर्च किया गया व कितना धन लैप्स हो गया और क्यों ?

उप समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जी हां।

(२) छात्रवृत्ति संस्कार केन्द्र समाज शिक्षण केन
३,०२४ रु० ८३० रु० २८५ रु०
कुआ

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

(३) कोई धनराशि लेप्स नहीं हुई।

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, जिला झालावाड़ में हरिजन विकास के लिए १ लाख २० हजार की रकम मंजूर हुई थी और इसकी सूचना अधिकारियों को दी गई थी।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह दूसरा सवाल है।

श्री रामचन्द्र : मेरा प्रश्न इसी से सम्बन्धित है। मैं सूचनार्थ निवेदन करना चाहता हूँ कि ५७-५८ में समाज कल्याण विभाग से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि १ लाख २० हजार रुपये मंजूर हुए हैं उसके बाद उस विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और इन्सपेक्टर वहां पर आये थे और सारे प्रपोजल्स ले गये और उसके बाद न तो इन्सपेक्टर साहब आये और न डिप्टी डाइरेक्टर साहब ही कभी पधारे। उन्हें कई बार लिखा भी मगर और रकम लैप्स हो गई। यह मैं सूचनार्थ निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जो रकम यहां के लिए अलॉट हुई है उसका विवरण दे दिया है, वह रकम कुल खर्च हो चुकी है। इसके अलावा जो आप बता रहे हैं उसके लिए अगर आप दूसरा सवाल करेंगे तो जानकारी की जायगी।

श्री रामचन्द्र : आपने जो उत्तर दिया है वह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैंने पूछा था कि कितनी रकम लैप्स हो गई है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जब कोई रकम लैप्स हुई ही नहीं तो जबर्दस्ती कैसे बता दूँ ?

श्री रामचन्द्र : १ लाख २० हजार की रकम लैप्स हुई, उसके बारे में क्या फरमाते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके बारे में अगर दूसरा सवाल करेंगे तो जानकारी प्राप्त करके उत्तर दूँगा।

श्री रामचन्द्र : यह आपने दूसरे सवाल का उत्तर दिया है जो कि आपके माइन्ड में होगा।

तहसीलदार बैराठ द्वारा नम्बरदारों की नियुक्ति

४६८. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

तहसीलदार बैराठ द्वारा तहसील बैराठ में कितने नम्बरदारों की नियुक्ति की गई है और उनके द्वारा अब तक कितने नंबरदारों को मुअत्तिल किया गया और क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : एक नम्बरदार श्री रामचन्द्र को उनके पिता की मृत्यु के बाद काम करने की आज्ञा आरजी तौर पर दी। तहसीलदार को ऐसे अधिकार नहीं हैं। अतः उनके द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही के लिए उनके विरुद्ध जांच जारी है। किसी को मुअत्तिल नहीं किया गया। ग्राम किशनगढ़ के चार नम्बरदारों के विरुद्ध शिकायतें होने के कारण उनसे काम लेना बन्द कर दिया है। मामला अभी एस. डी. ओ. के पास विचाराधीन है।

श्री मूलचन्द डागा : तहसीलदार के पास जब अधिकार नहीं हैं तो उसने कैसे किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नियम के विरुद्ध किया तभी तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

श्री मूलचन्द डागा : कार्यवाही क्या की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : महकमाना इन्क्वायरी करके सजा दी जायगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या महकमाना इन्क्वायरी का ऑर्डर हो चुका है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, इन्क्वायरी शुरू हो चुकी है।

प्रश्न संख्या ५६६

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सतवंतकौर।

(अनुपस्थित)

मौजा हरनेई (तहसील भीलवाड़ा) में आराजी नम्बर ८६० की काश्त

५७७, श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) मौजा हरनेई, तहसील भीलवाड़ा में आराजी नम्बर ८६० का काश्तकार कौन है ?

(२) इस काश्तकार का इस आराजी पर यह कब्जा कब से एवं किस प्रकार हुआ है ?

श्री राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, इसलिये इसे अगले टर्न पर एक सप्ताह के लिये स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५७१

श्रीमती सतवन्त कौर।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५७२

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

महाराजा कॉलेज छात्रावास जयपुर में प्रवेश के सम्बन्ध में अनियमितता

५७३. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि महाराजा कॉलेज के छात्रावास में कुल लड़कों को बिना प्रार्थना-पत्र के तथा कुछ को प्रवेश तिथि के बाद में प्रवेश दिया गया व कुछ को प्रवेश नहीं दिया गया ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि उक्त छात्रावास में ८ सीटें अब तक खाली पड़ी हुई हैं ?

(३) यदि हां, तो क्यों ?

उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) बिना प्रार्थना-पत्र के किसी को प्रवेश नहीं दिया गया। जब तक स्थान उपलब्ध होता है प्रवेश दिया जाता है, इसलिए प्रवेश तिथि के बाद का प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या प्रवेश तिथि निश्चित नहीं की गई थी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसका उत्तर दिया जा चुका है।

Page No.14

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह पूछ रहा हूँ कि तिथि निश्चित थी या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : तिथि तय होने का सवाल ही नहीं है, जगह खाली होती है तो एडमिशन किया जाता है।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या सरकार ने एडमिशन के लिए जितनी जगह थी उसी की घोषणा पहले कर दी थी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आम तौर से तो जो स्टुडेन्ट्स होते हैं उनको मालूम होता है कि कितनी जगहें हैं और फिर उनके लिये एप्लीकेशन्स भी मांगते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कहा कि कुछ को प्रवेश नहीं दिया गया तो कितनों को प्रवेश नहीं दिया गया ?

श्री पूनमचन्द्र बिश्नोई : ११८ को प्रवेश नहीं मिल सका।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : उसमें कितनी सीट्स निर्धारित हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : १३८ हैं।

प्रश्न संख्या ५७४

श्री अध्यक्ष : श्री धन्नालाल हरित।

(अनुपस्थित)

जयपुर इन्सपेक्टोरेट (ईस्ट) के कार्यालय के कर्मचारी

५७५ **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) मिनिस्टीरियल स्टाफ ऑफ जयपुर इन्सपेक्टोरेट (ईस्ट) की क्या कोई सीनियोरिटी लिस्ट प्रकाशित हुई थी ? यदि हां, तो उसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) क्या यह सही है कि इस सीनियोरिटी के आधार पर कई कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं दिया गया ? यदि हाँ, तो किन किन को और क्यों ?

उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

५७६ **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Rajasthan Land Utilisation Act के अन्तर्गत कितनी खाली पड़ी भूमि सरकार ने लेकर काश्त करवाई ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : माननीय अध्यक्ष, इसका जवाब क्लेक्टर्स के यहां से आया नहीं इसलिये इसे अगले टर्न पर रखा जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५७७

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

इन्तकाल खोलने के मामले तहसील सलूम्बर

५७८. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री सोहनलाल भटनागर

(१) उदयपुर जिले की सलूम्बर तहसील में इन्तकाल खोलने के कितने मामले चल रहे हैं ?

(२) इनमें सबसे पुराना मामला किस वर्ष का है ?

(३) क्या इन्तकाल खोलने के मामले पंचायतों में भेज दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने ; यदि नहीं भेजे गये हैं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) एक भी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) जी हां । ८, ५११।

श्री भैरोंसिंह : ये नंबर २, ३, ४ कहां से आ गये ?

श्री सोहनलाल भटनागर : पंचायत को कब भेजे ये ८,५११ केसेज़ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग अलग तारीखों को भेजे गये हैं, इसलिये डेट्स बताना तो मुश्किल है ।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या यह सही है कि एक भी केस पंचायतों को नहीं भेजा गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं जानकारी सरकारी सूचना के आधार पर दे रहा हूं ।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या उस सूचना को वेरिफाइ किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सूचना वेरिफाइड होकर ही आती है ।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस सूचना को वैरिफाइ कर लिया गया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : वेरिफाइ भी उन्हीं के जरिये से होती है, जिनके पास से सूचना आती है ।

प्रश्न संख्या ४७६

श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४८०

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४८१

श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

(अनुपस्थित)

जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई-माधोपुर के मैनेजिंग डाइरेक्टर्स में सरकार का प्रतिनिधित्व

५८२. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न उत्तर का उत्तर देंगे :

(१) जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई-माधोपुर के मैनेजिंग डाइरेक्टर्स में सरकारी प्रतिनिधि के रूप में कौन अधिकारी किस तारीख से नियुक्त है ?

(ख) इस नियुक्ति के पश्चात् मैनेजिंग डॉइरेक्टर्स की कितनी बैठकें हुई और सरकारी प्रतिनिधि ने कितनी और कौन कौन तारीख को बैठकों में भाग लिया ?

Page No.16

(श्री भैरोंसिंह)

(ग) क्या इस मीटिंग के मिनिट्स उपलब्ध हैं ? यदि, हां तो उनकी एक एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उप उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) सर्व प्रथम श्री एम. ए. मेनन, जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई-माधोपुर के गवर्नमेंट डॉइरेक्टर २७ अगस्त, सन् १९५६ में नियुक्त हुए । इनके पश्चात् श्री असीमकुमार राय, उद्योग सचिव, दिनांक २ नवम्बर, सन् १९५७ से बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में सरकारी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हैं ।

(ख) श्री मेनन के समय में बोर्ड की ६ बैठकें हुईं, जिनमें से ६ में वे उपस्थित रहे । केवल ३ में वे नहीं जा सके । बैठकों की तिथियां निम्न हैं :

दिनांक ३ अक्टूबर, सन् १९५६ (भाग नहीं लिया)
,, ७ नवम्बर, सन् १९५६ (भाग लिया)
,, १२ दिसम्बर, सन् १९५६ (भाग लिया)
,, १३ जनवरी, सन् १९५७ (भाग लिया)
,, २१ मार्च, सन् १९५७ (भाग लिया)
,, ३० अप्रेल, सन् १९५७ (भाग नहीं लिया)
,, २४ मई, सन्, १९५७ (भाग लिया)
,, ६ जुलाई, सन् १९५७ (भाग नहीं लिया)
,, १६ जुलाई, सन् १९५७ (भाग लिया)

श्री असीमकुमार राय के समय में बोर्ड की ६ बैठकें हुईं तथा उन्होंने प्रत्येक बैठक में भाग लिया । बैठकों की तिथियां निम्न हैं,

दिनांक १८ नवम्बर, सन् १९५७
,, २ जनवरी, सन् १९५८
,, ३१ मार्च, सन् १९५८
,, ७ अप्रेल, सन् १९५८
,, १६ मई, सन् १९५८
,, २१ अगस्त, सन् १९५८

(ग) कम्पनी कोई सरकारी संस्था नहीं है और न सरकार के प्रति मुख्यतः जिम्मेदार है; अतः उक्त मिनिट्स प्रस्तुत करने को बाध्य नहीं की जा सकती और ऐसे मिनिट्स सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : इन मीटिंग्ज के मिनिट्स सरकार के पास आये या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल ; मिनिट्स का जहां तक ताल्लुक है, कुछ कम्पनियां सरकार के पास भेज देती हैं और कुछ नहीं भेजती हैं, इस कम्पनी के मिनिट्स के बारे में नहीं कह सकता कि सरकार के पास आये या नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : मैं सरकार की हैसियत से बात नहीं करता । राजस्थान सरकार के दो प्रतिनिधि डाइरेक्टोरेट्स में हैं उनको भी मिनिट्स मिलती है या नहीं और वहां से सरकार के पास आते हैं या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं किसी खास कम्पनी के बारे में नहीं कह सकता ।

श्री भैरोंसिंह : मैं सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री के बारे में पूछ रहा हूँ ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसकी

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

इत्तिला मेरे पास नहीं है कि उन्होंने मिनिट्स भेजे या नहीं ।

श्री भैरोंसिंह ; तो क्या यह माना जाय कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो दो सरकारी प्रतिनिधि हैं, उनके पास मिनिट्स इस फर्म से नहीं आते हैं ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कम्पनी कानून में ऐसी बात नहीं है कि मिनिट्स आवें ही ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न स्पेसिफिक है कि जितनी बैठकें हुई उनके मिनिट्स हमारे प्रतिनिधियों को मिले या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस बारे में जानकारी प्राप्त करके बता सकता हूँ कि उनको मिले या नहीं, लेकिन यह निश्चित बात है कि सभी कम्पनियां भेजें ही, ऐसी बात नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं सब के बारे में नहीं पूछता, स्पेसिफिक प्रश्न पूछता हूं ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके बता सकता हूँ कि आया या नहीं ।

श्री जनार्दनराय नागर : सरकार के प्रतिनिधि ओब्ज़र्वर हैं या सम्पूर्ण रूप से अधिकृत प्रतिनिधि हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ओब्ज़र्वर के रूप में कोई प्रतिनिधि नहीं होता ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न साफ है, "क्या मीटिंग के मिनिट्स उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें "

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि उपलब्ध नहीं है और मेज पर रखना उचित भी नहीं समझते ।

श्री भैरोंसिंह : दिस मीन्स मिनिट्स उपलब्ध नहीं हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि मिनिट्स उपलब्ध हैं या नहीं, लेकिन यह जरूर है कि ऐसे मिनिट्स सदन की मेज पर नहीं रखे जा सकते । असेम्बली के बिज़नेस रूल्स में भी यह बात है कि मेज़ पर रखने के लिये कम्पेल नहीं किया जा सकता ।

श्री अध्यक्ष : कम्पेल करने का प्रश्न नहीं है । जिन मीटिंग्स में सरकारी प्रतिनिधि जायं डाइरेक्टर की हैसियत से उनके मिनिट्स आना सामान्य बात है । उन मिनिट्स को सदन की मेज पर रखें या न रखें, यह दूसरी बात है ।

श्री भैरोंसिंह : मिनिट्स मिले या नहीं मिले ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि इसकी जानकारी प्राप्त करके बता सकता हूं कि मिनिट्स मिले या नहीं । इस वक्त उपलब्ध न होने की वजह से कहा कि उपलब्ध नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को दूसरी टर्न के लिए रखा जाय, तब जानकारी करके जवाब दें ।

श्री अध्यक्ष : उपलब्ध हों और सदन की मेज पर नहीं रखे जा सकते हैं ।

Page No.18

श्री भैरोंसिंह : यह डिस्प्युटेड है कि मिनिट्स उपलब्ध हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष : आगे क्या पूछेंगे ?

श्री भैरोंसिंह : आगे जो मुझे जानकारी है वह पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मान लीजिये कि मिनिट्स उपलब्ध हों, लेकिन सदन के सामने नहीं रखना चाहते हों।

श्री भैरोंसिंह : ये 'हां' तो भरें कि सरकार के पास उपलब्ध हैं।

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : वे कह रहे हैं कि निश्चित् रूप से नहीं कह सकते।

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं कि कइयों की आती हैं, कइयों की नहीं आती है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने तारीखवार पूछा है। जिन मीटिंग्स में डाइरेक्टर्स की उपस्थिति दिखाई है उन मीटिंग्स की मिनिट्स मिली या नहीं, वे सरकार के पास उपलब्ध हैं या नहीं ? क्वेश्चन का सेन्स यह है। माननीय उपमंत्री कहते हैं कि वे निश्चित रूप से नहीं कह सकते। इसलिए वे नेक्स्ट टर्न पर बता दें कि मिनिट्स सरकार के पास उपलब्ध हैं या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं निवेदन करूं कि आपका जो क्वेश्चन है वह साफ नहीं है। आपने कहा है कि उपलब्ध हैं या नहीं, यानी ओब्टेनेबल हैं या नही, इसका मतलब है।

श्री अध्यक्ष : Are they available with the Government ?

क्वेश्चन साफ है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि कम्पनी ने गवर्नमेंट के पास में उन मिनिट्स की कॉपीज भेजी हैं या नहीं, यह सवाल नहीं है; सवाल यह है कि ऑब्टेनेबल हैं या नहीं। इसके दो अर्थ लगाये जा सकते हैं, एक तो वे कॉपीज़ हमारे पास आ गई हैं या नहीं, अगर नहीं तो हम प्राप्त करें।

श्री अध्यक्ष : निश्चित बता दीजिये।

श्री पी० के० चौधरी : Will the Hon'ble Minister please tell, "Under the Indian Companies Act, the members or the Board of Directors are entitled to attend and send their minutes......

श्री रिखबचन्द धारीवाल : There is no specific provision in the Indian Companies Act about it.

(श्री पी० के० चौधरी के प्रश्न पूछने को खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक उसूल का सवाल आ गया है कि सरकार के रिप्रेजेन्टेटिव डाइरेक्टर है, अगर सरकार को मीटिंग्स का विवरण नहीं मिलता है तो सरकार कम्पनी की वर्किंग से परिचित नहीं रहती है। यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, मैं आपके जरिये सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इन मीटिंग्स का विवरण नहीं मिला है तो उनको प्राप्त करने की सरकार को कोशिश करनी चाहिए। हमें सरकार की नीति मालूम होनी चाहिए।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि कम्पनी में सरकार के रिप्रजेन्टेटिव की हैसियत से डाइरेक्टर जाते हैं। मीटिंग्स

Page No.19

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

के जो कुछ भी मिनिट्स होते हैं वे पढ़े जाते हैं बोर्ड की मीटिंग में, जिनसे उनको सब कुछ मालूम होता है। उसके बाद अगर कोई इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन होता है, जो कि गवर्नमेंट को अफेक्ट करता हो तो उसकी रिपोर्ट सरकार को करते हैं। लेकिन यह निश्चित बात है कि कोई ऐसा रूल नहीं है, इन्डियन कम्पनी एक्ट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जिसके जरिये से डाइरेक्टर्स के पास में मीटिंग्स की मिनिट्स की कापीज़ भेजें।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : जिन डाइरेक्टर्स ने मीटिंग्स अटेन्ड नहीं कीं उनके बारे में राज्य सरकार ने जानकारी की कि क्यों नहीं अटेन्ड की ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह होता है कि किसी वजह से, किसी दूसरे काम में फंसे रहे हो और जरूरी काम के कारण वे न जा सके हों; आपने देखा कि सिर्फ तीन मीटिंग्स अटेन्ड नहीं की हैं, बाकी की मीटिंग्स अटेन्ड की हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एक मीटिंग में सरकारी प्रतिनिधि इसलिए अनुपस्थित रहा कि मीटिंग में निश्चय किया गया था कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस को दो लाख रुपया दिया जाय ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री तनसिंह : On a point of order, sir, माननीय उपमंत्री ने बताया कि वे मिनिटस सदन में रखना नहीं चाहते, वे रखना नहीं चाहते, केवल पब्लिक इन्ट्रेस्ट को प्लीड करके नहीं रखना चाहते। या तो वे पब्लिक इन्ट्रेस्ट को प्लीड करें या उनको कम्पेल किया जाय कि वे सदन में कापीज़ रखें।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : रूल्स आफ बिज़नेस में अगर आप प्रावधान देखेंगे तो इसमें जो रूल ३७ (२) है, उसका पार्ट (१४) है कि, 'It shall not relate to a matter which is not primarily the concern of the State'.

श्री तनसिंह : यह माननीय उपमंत्री के निर्णय करने की बात नहीं है कि डाइरेक्टली गवर्नमेन्ट से ताल्लुक रखती हैं या नहीं; जब क्वेश्चन एडमिट हो गया है, उसके बाद में माननीय मंत्री जी जवाब देते हैं कि रिलेवेन्ट पेपर्स सदन की मेज पर नहीं रखे जा सकते, इस सूरत में नहीं रखे जा सकते क्योंकि पब्लिक इन्ट्रेस्ट में नहीं है। मैं समझता हूं कि यह कॉन्टेम्पट ऑफ दी हाउस है।

श्री अध्यक्ष : इसमें कॉन्टेम्पट का प्रश्न नहीं है। उन्होंने कहा कि यह उनकी डे टू डे वर्किंग की मिनिट्स हैं। अगर ऑडिट रिपोर्ट होती या एन्युअल रिपोर्ट होती तो दूसरी बात थी। यह ऐसी बात है जो इन्टर्नल डे टू डे वर्किंग कम्पनी का होता है उसकी मिनिट्स हैं, इसलिए सदन के सामने उपयुक्त नहीं हैं।

श्री तनसिंह : उपयुक्त नहीं हैं, यह दूसरी बात है। ये कहते हैं कि सदन के सामने नहीं रखना चाहते।

श्री अध्यक्ष : कहने में फेर हैं, मतलब यही है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने यह निवेदन किया कि कम्पनी को कम्पेल नहीं

Page No.20

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

कर सकते कि वह सरकार को मिनिट्स सप्लाई करें।

श्री भैरोंसिंह : जो आपके पास हों, उन्हें हाउस के सामने रख दीजिये। आपके रिप्रेज़ेन्टेटिव वहां डाइरेक्टर्स की हैसियत से जाते हैं। रूल्स में प्रोविजन है कि उनके पास मिनिट्स आनी चाहिए इसमें कम्पेल करने का सवाल नहीं है। आप किसी और वजह से सदन के सामने न रखना चाहें, यह बात दूसरी है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Not in all cases. मिनिट्स भेजें, यह जरूरी नहीं है। हर एक मेम्बर को कम्पनी मिनिट्स भेजे, यह जरूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : Then how does the Government know that the Directors are attending the meetings.

श्री भैरोंसिंह : जो कुछ भी आपके पास हैं, जितनी भी मिनिट्स मिली हैं, या तो उन्होंने भेजी हैं या सरकार के प्रयत्न से मिली हैं, उन्हें आप हाउस के सामने रखें।

श्री जनार्दनराय नागर : May I know, Sir, what is the specific purpose of the Government to send a Government Director there.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य एवं उद्योग मंत्री) **:** गवर्नमेंट के डाइरेक्टर्स आम तौर से इसलिए भेजे जाते हैं कि कम्पनी को गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया हो तो उसके फन्ड्स के मामले में, उस कन्सर्न के मामले में वे ध्यान रखें। जहां तक इस सदन की मेज पर मिनिट्स रखने का सवाल है मैं समझता हूँ कि वह कन्सर्न क्योंकि अलग है, इसलिए उस कन्सर्न की मिनिट्स नहीं रखी जा सकती हैं। डाइरेक्टर वहां पर डाइरेक्टर की हैसियत से वर्क करता है, अगर कोई इम्पोर्टेन्ट सवाल होता है तो गवर्नमेंट को रेफर करता है, गवर्नमेंट की गाइडेन्स लेता है।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह है कि मिनिट्स क्यों नहीं रखे जा सकते, पब्लिक इन्ट्रेस्ट में नहीं रखे जा सकते हैं या उनको कॉन्फीडेन्शियल रखना है, उस दृष्टि से नहीं रखे जा सकते। ये दोनों बातें नहीं हैं जिनके आधार पर कह सकें कि हाउस में मिनिट्स नहीं रखी जा सकतीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों को पता है कि करोड़ों रुपया भारतवर्ष के अन्दर, फाइनेन्स कॉर्पोरेशन द्वारा करोड़ों रुपया, लोन दिया जाता है, लेकिन हर एक की मिनिट्स पार्लियामेन्ट या दूसरी जगह नहीं रखी जातीं।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन किसी सदस्य द्वारा मांगने पर प्रश्न पैदा होता है कि मिनिट्स रखी जायँ या नहीं। सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री की मिनिट्स बहुत कम हैं और ये मिनिट्स सदन की मेज पर कोई माननीय सदस्य रखवाना चाहें तो रूल्स के अन्तर्गत कोई बाधा उपस्थित नही होती है कि जिसके कारण माननीय मुख्य मंत्री जी उन्हें सदन की मेज पर रखने में गुरेज़ करें।

श्री अध्यक्ष ; They cannot be compelled to do that.

श्री भैरोंसिंह : कम्पनी को कम्पेल नही कर सकते, लेकिन जो सरकार के पज़ेशन में हैं उनको · · ·

श्री अध्यक्ष : सरकार के पज़ेशन में कई बातें हैं, उन्हें सदन में नहीं रख सकते।

श्री भैरोंसिंह ; वे बातें नहीं रखी जा सकतीं जो पब्लिक इन्ट्रेस्ट में न रखी जा सकती हो। कम्पनी की मिनिट्स हाउस में रखना पब्लिक इन्टरेस्ट में नहीं हैं, इसका माननीय मुख्य मंत्री ने सहारा नहीं लिया है, इसका मतलब है कि वे मिनिट्स हाउस में रखी जा सकती हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूँ कि इतना स्पष्ट है कि कम्पनी एक तरह स्टेट अफेअर के तौर पर नहीं है, अलग कन्सर्न है, अलग अफेअर होने के कारण डॉयरेक्टर को इसमें इस लिहाज से रख दिया है कि वह गवर्नमेंट इन्ट्रेस्ट को वाच करे। जहां तक रिपोर्ट का सवाल है, यह गवर्नमेंट कन्सर्न नहीं है, जिसके बारे में गवर्नमेंट की रेस्पोन्सिबिलिटी आती हो। जो कुछ काम-काज करती है, उसके लिए कम्पनी लॉ गाइड करता है। अगर यह स्टेट अफेअर होता और गवर्नमेंट की ओर से फंक्शन करती तो विवरण रखा जा सकता था। वरना मिनिट्स रखना उचित नहीं होगा। यह उचित नहीं होगा कि उन मिनिट्स को सदन के सामने रखा जाय।

श्री भैरोंसिंह : इस कम्पनी को राजस्थान सरकार ने ६० लाख का लोन दिया है, लाखों रुपये के शेयर्स हैं, जिनकी निगरानी के लिए डाइरेक्टर अपोंइन्ट किया है। वहां डाइरेक्टर क्या कार्यवाही करता है और उस पैसे की, जो कम्पनी के पास में है किस तरह सुरक्षा होती हैं, इन सब बातों की जानकारी का क्या साधन है ? इन सब की जानकारी मिनिट्स के जरिये से मिलती है। राजस्थान सरकार को कम्पेल किया जा सकता है, सदन सरकार से मांग कर सकता है कि इस प्रकार की चीज को सदन के सामने रखा। माननीय मुख्य मंत्री जी इस चीज को इस ढंग से स्वीकार नहीं करते कि पब्लिक इन्टेरेस्ट में यह प्लेस करना अच्छा नहीं है। यह बात कहीं नहीं है। यह मान लें कि रूल्स के अन्तर्गत ऐसी चीज़ हाउस में नहीं रख सकते, इसका सहारा माननीय मुख्य मन्त्री जी नहीं लेते और कहा है कि प्राइवेट फर्म है, गवर्नमेंट के शेअर्स हैं इसलिए उसकी कार्यवाही हाउस में नहीं रख सकते। मैं समझता हूं कि यह दलील बिल्कुल ठीक नहीं है और सदन का अधिकार है कि सदन सरकार से इन्फोर्मेशन पब्लिक इन्टेरेस्ट में ले सके और इन्फोर्मेशन लेने के लिए सरकार को बाध्य करें।

श्री अध्यक्ष : हम गवर्नमेंट को बाध्य नहीं कर सकते कि वह मिनिट्स पेश करे।

(विराम)

कच्छी लोगों को जानवरों की चराई के लिए परमिशन, तहसील पाली

५८३. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) इस साल सरकार ने पाली तहसील में कितने कच्छी लोगों को कितने जानवरों की चराई के लिए परमिशन दी है ?

(ख) क्या सरकार के ध्यान में है कि पाली तहसील के गांवों में दो साल से बराबर अकाल होता रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने इस साल को मामूली उगी हुई घास के लिए इजाजत क्यों दी ?

(ग) क्या उक्त तहसील के गांवों में कच्छी लोगों के रेवड़ो द्वारा खड़ी फसल का

(श्री मूलचन्द डागा)

भारी बिगाड़ करने पर काश्तकारों ने शिकायतें पेश कीं; यदि हां, तो क्या सरकार ने उन गांवों वालों को इमदाद दी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) कोई पर्मिशन नहीं दी गई।

(ख) जी हां, पर्मिशन जब दी ही नहीं तब मामूली घास के चराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां। कच्छी लोगों के रेवड़ों ने बहते हुए गांव बाला, पादरला, बुमादड़ा, उलबण, रावलवास, सांपा, खेतावास, निम्बला, कुशा, गुड़ा, प्रतापसिंह, भावनगर, साली, गुरडाई की सरहद में खेतियों में बिगाड़ किया। उपरोक्त गांव वालों की दर्ख्वास्त आने पर सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने कच्छियों को फौरन हटा दिया। तहसील के पटवारियों की मीटिंग में हिदायत दी गई कि कच्छी लोगों को ठहरने नहीं दिया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह आज्ञा सदा के लिए है कि कच्छियों को नहीं ठहराया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब वहां कमी होती है तो बाहर वाले यहां रेवड़ लेकर आते हैं, राजस्थान के लोग भी अकाल के समय में बॉम्बे और कच्छ में जाते हैं तो उनके आने पर तो कोई पाबन्दी नहीं है, एक जगह १५ दिन से ज्यादा नहीं ठहर सकते।

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा ही सवाल कल पूछा गया था और उसका जवाब दे दिया गया था, फिर भी आज्ञा हो तो...

श्री अध्यक्ष : वैसा ही जवाब आज भी दे दीजिये।

(हँसी)

प्रशासन में खर्च की कमी करने के लिये कमेटी की नियुक्ति

५८४. श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) क्या सरकार ने प्रशासन में खर्च की कमी करने के लिए कोई कमेटी नियुक्त की है ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या उक्त कमेटी ने कोई फाइनल या अन्तरिम सुझाव दिये हैं ?

(३) यदि हां, तो वे क्या २ हैं और उनसे कितने खर्च की कमी होने की सम्भावना है ?

उप मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जी हां, इकोनोमी कमेटी की नियुक्ति हुई थी।

(२) कमेटी ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दी है।

(३) कमेटी ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में जिन जिन मदों में कमी के सुझाव दिये हैं निम्न प्रकार हैं :

१. सेटलमेंट विभाग	६.६४ लाख
२. खुदकाश्त	४३ लाख
३. ग्राम विकास केन्द्र	१.५० लाख
४. स्टेशनरी	५० लाख
५, यात्रा भत्ता	४.८२ लाख
कुल	१३. ३५ लाख

Page No.23

(श्री सोहनलाल भटनागर)

निम्नलिखित मदों में कमी की सिफारिश सरकार के विचाराधीन है :

पुलिस गार्ड्स	२.१७ लाख
देवस्थान और समाज कल्याण विभाग	३.०० लाख

निम्नलिखित विभागों में कमी करने के प्रपोजल्स इकोनोमी कमेटी के विचाराधीन हैं :

जागीर, लैंड रिकार्ड, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, इकोनोमिक्स, स्टेटिस्टिक्स और ट्रान्सपोर्ट	७.०० लाख
अन्य विभाग	४.४८ लाख
इस तरह कुल	३०.०० लाख

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस कमेटी को अपनी फाइनल रिपोर्ट कब तक देनी थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जल्दी ही दी जायगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रलाल : इस कमेटी को जब कॉस्टीट्यूट किया गया था तो कब तक इसको अपनी फाइनल रिपोर्ट देने के लिए रखा गया था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : समय कोई निश्चित नहीं किया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में समय निश्चित नहीं किया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : समय निश्चित नहीं किया, पर मैंने निवेदन किया कि १३.३५ लाख की कटौती की उस उस कमेटी ने सिफारिश की है, उसे सरकार ने मंजूर कर लिया है, बाकी विचाराधीन है। ज्यों ही इसके बारे में फाइनल हो जायगा, अमल में लाया जायगा।

डॉ० चन्द्रकला : दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया, एक अन्तरिम रिपोर्ट दी है, जब कि पूछा यह गया है कि क्या सुझाव दिए हैं। तो क्या सुझाव और अन्तरिम रिपोर्ट को माननीय मन्त्री महोदय एक ही समझते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अन्तरिम रिपोर्ट तो अन्तरिम ही कही जायगी, बाकी विचाराधीन है।

नजूल रेट

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि पक्का मकान बनाने की (नजूल) गजोतरी राजस्थान भर में काश्तकारों से ली जाती है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार इसे माफ करने का विचार रखती है ?

(३) क्या राजस्थान भर में नजूलरेट एक है या भिन्न भिन्न ?

(४) यदि भिन्न है, तो इसका क्या कारण है ?

राजस्व मन्त्री (श्रीदामोदरलाल व्यास) : (१) जी नहीं।

(२) ३ और (४)—प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री रामकरणसिंह : मजदूर या काश्तकार कोई पक्का मकान बनाते हैं तो क्या उनसे नजूल नहीं ली जाती ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं ।

श्री रामकरणसिंह : कई पंचायतों ने उन लोगों से जिनका ४०-४०, ५०-५० साल से ही नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से कब्जा है, उन लोगों ने मकान बनाये हैं तो उनसे नजूल के पैसे वसूल किये हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर पंचायतों ने ऐसा किया है तो गैरकानूनी किया है।

श्री रामकरणसिंह : इसके लिए पंचायतों के खिलाफ स्टेप उठा कर वापिस दिलायेंगे ?

श्री भैरोंसिंह : यह टैक्स कब से वसूल नहीं किया जाता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब से टिनेन्सी एक्ट बना है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि टिनेन्सी एक्ट बनने के बाद में पिछले सत्र में माननीय राजस्व मंत्रीजी ने स्वीकार किया था कि दौसा तहसील में इस प्रकार का नजूल वसूल किया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने ऐसा कहा है, ऐसा तो मुझे मालूम नहीं पड़ता; मैंने यही कहा कि पंचायतों ने वसूल किया तो गलत वसूल किया ।

श्री भैरोंसिंह : पंचायतों का क्वेश्चन नहीं, तहसील का क्वेश्चन है । आज भी तहसीलों के द्वारा राजस्थान में वजूल वसूल किया जाता है—

श्री दामोदरलाल व्यास : नजूल की जमीन तहसीलों के पास है ही नहीं, यह माननीय सदस्य को जानकारी होनी चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन लगान तहसीलें वसूल करती हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

हेन्डलूम इन्स्पेक्टर्स

५८६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर): क्या मंत्री, उद्योग व वाणिज्य विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या हैंडलूम सैक्शन में रखे गए इन्सपेक्टर्स टेक्निकल हैंड हैं ?

(२) क्या ये इन्स्पेक्टर्स जनसेवा आयोग द्वारा चुने गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) हैंडलूम सैक्शन में रखे गए १६ इन्स्पेक्टर्स में १० इन्स्पेक्टर्स टेक्निकल हैंड हैं ।

(२) इन १६ इन्स्पेक्टरों में ६ इन्स्पेक्टर्स जनसेवा आयोग द्वारा चुने गए हैं, शेष १० के चुनाव के लिए जनसेवा आयोग से लिखा-पढ़ी हो रही है ।

(३) इस समय विभाग में केवल ६ नोन-टेक्निकल हैंडलूम इन्स्पेक्टर्स काम कर रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पी.एस.सी. ने सिलेक्ट किए हैं, उनमें कितने टेक्निकल हैंड्स हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सभी टेक्निकल हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो नोन-टेक्निकल इन्स्पेक्टर्स हैं, क्या उनकी नियुक्ति बगैर पी. एस. सी. की एप्रूवल के की है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो वे स्वीकार कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनकी नियुक्ति किस प्रकार की गई जब कि क्वालिफिकेशन्स प्रेसक्राइब की गई हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वह तो बाद में प्रेसक्राइब हुई हैं कि टेक्नोलोजी में डिप्लोमा होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि नोन-टेक्निकल की नियुक्ति के पहले राजस्थान सरकार ने इस तरह के इन्स्पेक्टर्स की क्वालिफिकेशन्स प्रेसक्राइब कर दी थीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उस समय नहीं की थीं।

श्री भैरोंसिंह : मैं चैलेंज करता हूँ, माननीय अध्यक्ष, यह प्रिविलेज का मोशन बनता है। मैं माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूँ कि पहले प्रेसक्राइब कर दी थीं, फिर यह नियुक्ति हुई है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपने कहा उसकी जानकारी प्राप्त कर लूंगा, पर जो ६ इन्स्पेक्टर्स पी. एस. सी. से एप्रूव हुए उनकी क्वालिफिकेशन्स प्रेसक्राइब करके भेजी हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किस तारीख को प्रेसक्राइब किया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जिस वक्त रिक्विज़िशन किया गया, उस वक्त प्रेसक्राइब करके भेजा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

मुरब्बाबंदी और चकबंदी

५८७. श्री रामनारायण वर्मा (पीपलदा) ; क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१. मुरब्बा बन्दी एवं चकबन्दी को पृथक करने में सरकार का क्या अभिप्राय है ?

२. इस कार्य को एक साथ न करके पृथक २ करने में व्ययभार कितना बढ़ा है ?

३. क्या उक्त अनावश्यक व्यय को कम करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): १. मुरब्बाबन्दी और चकबन्दी दोनों पृथक कार्य हैं तथा ये दोनों भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे हैं। प्रारम्भ में सरकार का उद्देश्य दोनों कार्यों को आरम्भ करना नहीं था, जैसा कि इस बात से विदित होगा कि मुरब्बाबन्दी का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा भाखरा क्षेत्र में ५-६ वर्ष पूर्व से ही प्रारम्भ कर दिया गया था। परन्तु चकबन्दी का कार्य इस विभाग की स्थापना १९५६ में होने के पश्चात् ही प्रारम्भ किया गया है। चकबन्दी का कार्य और मुरब्बाबन्दी का कार्य एक साथ भाखरा क्षेत्र तथा चम्बल क्षेत्र में करने के विषय में सरकार ने आदेश जारी कर दिये हैं।

२. मुरब्बा एवं चकबन्दी को एक साथ करने का प्रश्न केवल भाखरा क्षेत्र से ही सम्बन्धित है। तात्पर्य यह है कि मुरब्बाबन्दी का कार्य भाखरा क्षेत्र में पूर्ण रूप से हो चुका है और चम्बल क्षेत्र में प्रारम्भ हो चुका है, जब कि चकबन्दी का कार्य केवल भाखरा

(श्री दामोदरलाल व्यास)

क्षेत्र (तहसील भादरा) में ही किया गया है और चम्बल क्षेत्र में नहीं। यह जानने के लिये कि इन दोनों कार्यों के एक साथ न करने में कितना व्ययभार बढ़ा है, इसके लिये भाखरा क्षेत्र पर ही दृष्टिपात करना पर्याप्त होगा। वास्तव में भाखरा क्षेत्र में मुरब्बाबन्दी का कार्य काफी समय पूर्व पूर्ण हो गया था और वहां चकबन्दी का कार्य प्रारम्भ करना इसलिये उचित समझा गया कि इस कार्य की वहां प्रगति अच्छी होगी। इससे स्पष्ट होगा कि जिस क्षेत्र में मुरब्बा बन्दी पहले से हो चुकी थी वहाँ भी चकबन्दो करने से व्यय भार नहीं बढ़ा।

३. उपयुक्त दोनों उत्तरों से यह स्थिति स्पष्ट हो गई और भविष्य के लिये राज्य सरकार ने यह निश्चय किया है कि वहां उपनिवेशन विभाग द्वारा मुरब्बाबन्दी या अलॉटमेंट किया जा रहा है और वहां पर चकबन्दी करना भी उचित प्रतीत हो तो दोनों कार्य एक साथ ही पूर्ण किये जायं जिससे व्यय भार स्वतः कम हो जावेगा।

हैण्डलूम इंसपेक्टरों की संख्या

५५८. श्री श्रीराम बासोतिया (नवलगढ़) : क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१. उद्योग विभाग में हैण्डलूम इन्सपेक्टरों की संख्या क्या है व इस समय इन इन्सपेक्टरों की नियुक्ति कहां कहां है ?

२. क्या यह सच है कि कई इन्सपेक्टरों का तबादला वर्ष में कई बार किया गया है ?

३. भरतपुर में इस समय हैण्डलूम इन्सपेक्टर्स कौन कौन हैं व कितने दिनों से वे वहां कार्य कर रहे है।

उप-उद्योग मंत्री : (श्री खिबचन्द धारीवाल) उद्योग विभाग में हैन्डलूम इन्सपेक्टरों की संख्या १६ है और वे इस समय निम्न स्थानों पर नियुक्त हैं :

१. हैड क्वार्टर, जयपुर
२. डिस्ट्रिक्ट जयपुर
३. जिला अलवर
४. डिस्ट्रिक्ट सीकर
५. डिस्ट्रिक्ट भरतपुर
६. ,, झुंझुनू
७. ,, उदयपुर
८. ,, भीलवाडा
९. ,, बांसवाड़ा
१०. ,, बीकानेर
११. ,, गंगानगर
१२. ,, जोधपुर
१३. ,, बाडमेर
१४. ,, सिरोही
१५. ,, कोटा
१६. ,, बूंदी

(२) हां।

(३) भरतपुर में इस समय श्री नंदलाल शर्मा हैन्डलूम इन्सपेक्टर हैं और १२.६.१९५८ से कार्य कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

२५ अक्टूबर, १९५८ के स्थगित प्रश्न

हरिजनों को रहने तथा खेती के हेतु मुफ्त भूमि वितरण

७६. श्रीमती गंगादेवी डाटा(रामगढ़): क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.27

(श्रीमती गंगादेवी डाटा)

(१) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार को भारत सरकार ने हरिजनों को गावों में रहने तथा खेती के लिये मुफ्त जमीन देने को कहा है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस विषय में अब तक क्या क्या कार्यवाही की है ?

(२) क्या यह भी सही है कि जिला राजस्व अधिकारियों को उक्त विषय में आदेश भी दिये गये हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

राजस्व मंत्री(श्री दामोदरलाल व्यास): जी नहीं ।राजस्थान सरकार ने भूमिहीनों को भूमि आवंटन करने हेतु राजस्थान लैन्ड रेवेन्यु भूमि आवंटन सम्बन्धी नियम, १९५७ प्रचलित किये । उसके अनुसार तहसीलदारान को भूमि आवंटन करने के अधिकार दिये हैं । इन्हीं नियमों के खण्ड ६ (४) में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि तहसीलदारान २५ प्रतिशत पड़त भूमि शेड्युल्ड कास्ट, शेड्युल्ड ट्राइब्स व बैकवर्ड क्लॉसेज़ के लिये सुरक्षित रक्खें व भूमि आवंटन करते समय प्राथमिकता से भी भूमि का एक बड़ा भाग इन्हीं जातियों को जाता है । भूमि का केवल नियत लगान ही वसूल होता है जमीन की कीमत कुछ नहीं वसूल होती है ।

इसके अलावा : (१) राजस्थान एक्ट की धारा ३१ के अन्तर्गत अध्याय ३ में जो नियम बने हैं उनके अनुसार रहने के लिये गांव में मुफ्त भूमि देने के नियम भी हैं ।

(२) राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, १९५४ के नियम ३७ के अनुसार यदि पंचायत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ी जातियों की उन्नति के लिये ऐसा करना आवश्यक समझे तो उन्हें आबादी भूमि बिना नजराना के प्रदान कर सकेगी या उन्हें ऐसी भूमि बिना नीलाम किये बेच सकेगी ।

(३) उपरोक्त नियम समस्त राजस्व अधिकारियों के पास भेज दिये गये हैं और उनके अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है ।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : यह कार्यवाही कब से की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब से अलॉटमेंट रूल्स बने हैं ।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : यह कितनी जमीन दी जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ये सारी तहसीलों में अलग अलग है ।

श्री रामचन्द्र : क्या राजस्थान को सेन्ट्रल से कोई आदेश दिया गया है कि २५ प्रति त भूमि हरिजनों के लिये रिज़र्व रक्खी जावे ।

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसा कोई आदेश नहीं कि उनको बसाने के लिये जमीन रिज़र्व रक्खी जावे ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या राजस्थान सरकार ने राजस्थान केनाल एरिया में भी २५ प्रतिशत रिजर्व जमीन हरिजनों के लिये रखी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने पहले ही जिक्र किया कि राजस्थान केनाल एरिया में ऐसा नहीं है ।

श्री जनार्दनराय नागर : सन् १९५७ के पहले का जो कानून था उसमें क्या सुधार किया गया जिसको करना आवश्यक था ।

(श्री जनार्दनराय नागर)

मैंने सुना है कि ५७ के बाद नया कानून बनाया।

श्री दामोदरलाल व्यास : ५७ से पहले हरिजनों के लिये कोई रिज़र्व नहीं थी।

एक माननीय सदस्य : जो जमीन रिज़र्व रखी जाती है वह पूरी बसाने के लिये नहीं दी जाती है और कई कारणों से उनको बसाया नहीं जाता। क्या सरकार अब उनको बसाने का इरादा रखती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जितनी भी अनअोक्युपइड जमीन है उसमें से २५ पर्सेन्ट जमीन तो उनके लिये रिज़र्व है।

श्री जनार्दनराय नागर : जहाँ तक (अश्रव्य) चलती थी उसमें कोई टक्कर तो नहीं होगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो मैं जानता नहीं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : २५ पर्सेन्ट जमीन उनके लिये रिज़र्व है।

श्री दामोदरलाल व्यास : उसके अलावा उनको भूमिहीन किसानों में मानते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामचन्द्र : माननीय अध्यक्ष, 'बैकवर्ड क्लास' एक ऐसा शब्द हो गया है जिसमें वे लोग भी आगये हैं जितने शिड्यूल्ड कास्ट के हैं, जैसे माली, नाई वगैरह, बैकवर्ड लगाने से अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि बैकवर्ड के बजाय अनुसूचित शब्द लगा दिया जावे ताकि उन लोगों को जमीनें मिल सकें जो वास्तव में डिज़र्व करते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : यह पूछना चाहती हूँ कि जब से ये आदेश जारी हुए हैं तब से उन तहसीलदारों ने कितनी जमीनें दी हैं।

श्री अध्यक्ष : यह जानकारी दे रहे हैं।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि रिज़र्व की जमीन अलग रख दी और बाकी की भूमि ७५ पर्सेन्ट इसमें से बची। यह कहा जाता है कि हरिजनों के लिए रखा गया है उसको छोड़ कर हरिजनों को ७५ पर्सेन्ट में से नहीं देंगे। अगर ऐसा है तो उनके साथ अन्याय की बात है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

२७ अक्टूबर, १९५८ का स्थगित प्रश्न
ग्राम फरूकाबाद की चकबन्दी

१०८. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम फरूकाबाद तहसील टोंक में सन् १९४७ में टोंक स्टेट के समय में आबाद हुआ था और उसमें मेवों को आबाद किया गया था तथा स्टेट टोंक से ४०,०००) रु० उनके मकानात वगैरह के लिये दिये गये थे ?

(२) अगर हाँ, तो उस देह का रकबा कितने तन का कायम हुआ था और क्या उसकी चकबन्दी हो चुकी थी ?

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(३) अब उस ग्राम का रकबा उस ग्राम के तन में है या कोई रद्दोबदल कर दिया गया है ? अगर बदला गया है, तो किन आधारों पर ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां। मेव आबाद हुए थे और तकावी भी दे दी गई थी।

(२) ३२७७ बीघा ५ बिस्वा देह का रकबा कायम हुआ था। अलहदा चकबन्दी नहीं हुई थी बल्कि जो खसरा नम्बरान तीन गाँव से इस ग्राम को लिये गये थे उनके लगान के मुताबिक १८६३) रुपया लगान तय किया गया था।

(३) ग्राम फरुकाबाद के रकबे में रद्दोबदल करने की स्वीकृति तो प्रदान कर दी गई थी, किन्तु पुनः ग्रामवासियों का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर इस बारे में पुनः विचार किया जा रहा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उनके प्रार्थना-पत्र कब आये और कब से विचाराधीन हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रार्थना-पत्र आये हैं और कब से आये, यह नहीं कह सकता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि उनको भूमि नजराने पर जो गांव में हद थी वह उसको काट कर दे दी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बिल्कुल गलत है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने अभी कहा कि चकबन्दी नहीं हुई। टोंक के रियासत के समय तनकटी होकर पट्टे दिये गये थे।

श्री दामोदरलाल व्यास : तनकटी और चकबन्दी अलग अलग चीज हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, यह तनकटी और मनकटी क्या चीज है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

२८ अक्टूबर, १६५८ का स्थगित प्रश्न
माउन्ट आबू पर कर्मचारियों की बैठकों का आयोजन

१६५. श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पिछली गर्मी में माउन्ट आबू पर सरकार ने किस किस विभागों के किन कर्मचारियों की बैठकों का आयोजन किया और उन पर कितना सरकार का खर्चा हुआ ?

(२) इन भिन्न भिन्न बैठकों में कौन कौन उपस्थित हुए; उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) पिछली गर्मी में माउन्ट आबू पर राजस्थान सरकार के निम्न विभागों के कर्मचारियों की बैठकों का आयोजन किया गया :

१. ऑल इंडिया कम्युनिटी डेवलपमेंट सम्मेलन।

२. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी सम्मेलन।

३. ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स कैम्प।

Page No.30

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

४. नैशनेलाइज्ड टैक्स्ट् बुक्स वितरण के बारे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक।

इन बैठकों के आयोजन में अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार जो खर्चा हुआ उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं और शेष सूचना एकत्रित की जा रही है।

(२) विभिन्न बैटकों में जो कर्मचारी उपस्थित थे उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : यह जो सूची मिली है, पढ़ने में नहीं आती। कितना खर्च हुआ, आप बता दीजिये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह बिल्कुल साफ है, (१७,६०८) है।

श्री भैंरोंसिह : क्या इसमें आबू के सर्कट हाउस से ४० मन गलीचा चोरी गया था, उसकी कीमत भी शामिल है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैंरोंसिह : चोरी गया, यह भी आपकी जानकारी में नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चोरी गया, उसका खर्चा इसमें शामिल है या नहीं, यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैंरोंसिह : तो यह तो आपकी जानकारी में है कि वहां से ४० मन गलीचा चोरी गया ?

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा सवाल है। नेक्स्ट।

३० अक्टूबर, १९५८. का स्थगित प्रश्न बीकानेर क्लॉथ मर्चेन्ट्स एसोसियेशन

२२६. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या वित्त मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

बीकानेर क्लॉथ मर्चेन्ट एसोसियेशन कब स्थापित हुई ? व्यापारियों के कितने रुपये उक्त एसोसियेशन के द्वारा सरकार के पास जमा हैं ? क्या उक्त एसोसियेशन ने सरकार से जमाशुदा राशि को वापिस देने की मांग की है ? अगर हां, तो सरकार ने इस मांग पर अब तक क्या कार्यवाही की ?

उप-वित्त मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : वित्त विभाग की जानकारी में ऐसी कोई संस्था बीकानेर में नहीं थी; ऐसी स्थिति में शेष प्रश्नों का उत्तर, 'ना' में है।

एक माननीय सदस्य : हो सकता है कि वह किसी दूसरे नाम से हो, मगर ऐसी संस्था है अवश्य। उसका सरकार में एक लाख से ज्यादा रुपया जमा है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : 'टैक्सटाइल मचेन्ट एसोसियेशन' के नाम से संस्था जरूर है; जिसके १,७०,६६४ रु० १५ आने बैंक ऑफ बीकानेर में जमा हैं और यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि इस धन-राशि से कितना सुपर एमाउन्ट चार्ज किया जावे।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि यह अमाउन्ट सिक्योरिटी के रूप में रखा गया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो आपकी राय हो सकती है, सरकार की क्या राय है यह आप कैसे कह सकते हैं ?

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि यह रकम सिक्योरिटी के रूप में ही जमा कराई गई थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह रकम एग्रीमेंट के अनुसार सिविल सप्लाइज़ में जमा कराई गई थी। यह बीकानेर स्टेट के समय का मामला है।

श्री भीमसेन : कब तक इस मामले को तय करेंगे ?

श्री रिखचंद धारीवाल : जल्दी ही कोशिश करेंगे।

श्री भीमसेन : १० वर्ष तो हो गये, अब और कितने वर्ष लगेंगे ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : थोड़ा सा समय लग सकता है।

श्री अध्यक्ष : थोड़े से वर्ष और।

(विराम)

प्रश्न समाप्त हुए।

१२. ११. म. प.

विधायी कार्य

राजस्थान बिक्री-कर निर्धारण तथा वसूली वैधकरण विधेयक, १६५८

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्तमंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान सेल्स टैक्स असेसमेन्ट एन्ड रिकवरी वेलीडेशन बिल, १६५८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : Motion moved.

(विराम)

डॉ० बहादुरसिंह।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय अध्यक्ष, इसमें एक अमेन्डमेन्ट मैंने भी मूव किया है।

श्री अध्यक्ष : वह भी आयगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष, संशोधन लिये जाने के पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष : सदन उसका स्वागत करता है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जिससे जो भ्रान्तियां हुई हैं तो उनका बहुत निराकरण हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, १ अप्रेल, १६५४ से हमने यहां सेल्स टैक्स लागू किया। उसके पहले कस्टम्स लागू था, वह एबोलिश हुआ और यह टैक्स लागू किया गया। संविधान के जिस आर्टिकल के मातहत यह कानून लागू किया गया वह मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ देना उचित समझता हूं जिससे कई बातों का भ्रम दूर हो सके। संविधान का आर्टिकल २८६ है :

"No law of a State shall impose or authorise the imposition of a tax on the sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place–

Page No.32

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

(a) Outside the State; or

(b) in the course of the import of the goods into, or export of the goods out of, the territory of India.

एक्सप्लेनेशन : यह ज्यादा ध्यान देने लायक है :

"For the purpose of sub-clause (a), a sale or purchase shall be deemed to have taken place in the State in which the goods have actually been delivered as a direct result of such sale or purchase for the purpose of consumption in that State, notwithstanding the fact that under the general law relating to sale of goods the property in the goods has, by reason of such sale or purchase, passed in another State.

(b) Except in so far as Parliament may by law otherwise provide, no law of a State shall imposa or authorise the imposition of a tax on the Sale or purchase of any goods where such sale or purchase takes place in the course of inter-State trade or;

Provided that the President may, by order, direct that any tax on the sale or purchase of goods which was being levied by the Government of any State immediately before the commencement of tne Constitution, shall, notwithstanding that the imposition of such........."

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : कॉन्स्टिट्युशन तो सबका पढ़ा हुआ है, आप तो आगे बता दीजिये ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं आपका बोझा हल्का करने की दृष्टि से पढ़ रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह ; आपका बोझ हल्का हो रहा है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : "......of such tax is contrary to the provisions of this clause, continue to be levied until 31st day of March, 1951.

Any law made by legislature of a State imposing or authorising the imposition of a tax on the sale or purchase of any such goods as have been declared by Parliament by law to be essential for the life of the community shall have no effect unless it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent." इस संविधान के अनुसार अपना जो एक्ट बनाया गया था उसमें सेल की परिभाषा दी गई थी, जो इस प्रश्न से सम्बन्ध रखती है, क्योंकि जो विवाद उठ खड़ा हुआ कि आगे जाकर "सेल" कैसे करेंगे; फर्स्ट पोइन्ट, सेकिन्ड पोइन्ट कैसे करेंगे, इसीलिये यह परिभाषा ध्यान में होना जरूरी है ।

'सेल' को इस तरह डिफाइन किया गया है :

"Sale with all its grammatical variations and cognate expressions means any transfer of property in goods for cash or deferred payment or other valuable consideration including a transfer of property in goods made in the course of execution of a contrat. but does not include a mortgage, hypothecation, charge or pledge;"

एक्स्प्लेनेशन, यह ज्यादा ध्याद देने योग्य है । "A trransfer of goods on

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

hire, purchase or other instalment system of payments shall, notwithstandindg the fact that the seller retains a title to any goods as security for payment of the price, be deemed to be a sale.

2. Notwithstanding anything to the contary in the Indian Sales of Goods Act, 1930 (III of 1930) the sale of any goods which have actually been delivered in the State as a direct result of suls sale for the purpose consumption in the said State shall be deemed for the purpose of this Act to have taken place in the said State irrespective of the fact that the property in the goods has, by reason of such sale, pessed in a other State."

इसके बाद यह जो सेल्स टैक्स का कानून बना तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के विवाद उठ खड़े हुए। विवाद मुख्यत: इस पर था कि सेल्स टैक्स किससे लिया जाय। जहां माल भेजा गया वहां सेल्स टैक्स लिया जाय या जहां माल खपा वहां लिया जाय। इसका एक राज्य ने एक अर्थ लिया और दूसरे राज्य ने दूसरा। सारे राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट्स ने एक दूसरे के विरुद्ध अपनी अपनी राय दी। कई जगह किसी ने दोनों से वसूल कर लिया और कई जगह किसी ने एक से। जब यह मामला खड़ा हुआ तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। पहले तो यह फैसला दिया कि जहां माल खपत होता हो वहां टैक्स लिया जाय, उस राज्य को टैक्स लेने का अधिकार है। लेकिन बाद में इस पर फिर विचार हुआ, कई आपत्तियां खड़ी हुई और आखिर में यह तय हुआ कि यह तो इन्टर स्टेट टैक्स है और राज्यों को लेने का अधिकार नहीं है। इसके लिये पार्लियामेंट एक्ट बनाये। लेकिन बीच में जो टैक्स वसूल किया गया उसका क्या किया जाय, उसको जायज करार देने के लिए एक ऑर्डिनेन्स निकाला और फिर कानून बनाया गया। जब कानून बना दिया गया तो सवाल यह पैदा हुआ, जैसा कि संविधान का आर्टिकल पढ़ा था, उसके मुताबिक न तो स्टेट टैक्स ले सकती थी और न ही पार्लियामेंट। इसीलिए संविधान में १९५६ में संशोधन किया गया। आप चाहें तो संशोधित आर्टिकल मेरे पास है और मैं उसको पढ़ कर सुना सकता हूँ।

अच्छा। तो यह फैसला १९५६ में हुआ। अपने यहां भी इस प्रकार का टैक्स लिया गया। जब यह फैसला हुआ तो यहां वाले तो यह कहते थे कि फर्स्ट पोइन्ट वालों से लिया जावे और इसलिये बाहर वालों से यह टैक्स मांगा जावे, हमसे क्यों? बाहर वाले यह दलील देते कि यह तो इम्पोर्टर से लिया जावे, हमसे क्यों लिया जावे? तब हमने एक ऑर्डिनेन्स जारी किया कि हमने जो यहां वालों से टैक्स लिया वह जायज है, बाहर वालों से जो लिया गया उसका तो सवाल ही नहीं रहा।

तो अब जो इस पर अमेंडमेंट्स यहां आये हैं उनसे ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत बड़ा मैटीरियल चेन्ज करने जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। न हम कोई दुबारा टैक्स ही वसूल करने जा रहे हैं, महज़ कानूनी खामी रह गई थी उसको दूर करने के लिये यह कानून लाया गया है। इसका किसी व्यापारी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ने वाला है, न यह होने वाला है कि जिससे एक बार टैक्स ले लिया गया उससे दुबारा लिया जाने वाला है। दुबारा लेने की इसकी कतई मंशा

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

नहीं है । इसमें एक प्रोविज़न भी रक्खा है जिससे आपका इस तरह का कोई भ्रम हो भी तो वह दूर हो जावेगा ।

पेज २ के आखिर में लिखा है : "Provided that in every such case it shall not be lawful to assess the tax again in accordance with the provisions of section 3 in respect of the same or any subsequent sale of the same goods" तो इसलिये यदि इस भ्रांति में रह कर ये संशोधन पेश किये गये हों कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे अथवा जनमत के लिये भेजा जावे या असल क्लॉज़ ही उड़ा दी जावे तो वह भ्रान्ति नहीं रहनी चाहिये । दुबारा टैक्स लेने की इस कानून की कतई मंशा नहीं है । इसलिये मैंने यह जरूरी समझा कि इन सारी बातों को मैं बहस में उतरने से पहले बतला दूं ताकि बहस बेकार में लम्बी न हो जाय ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य महोदय से निवेदन करूंगा कि इस स्पष्टीकरण के बाद वे इन संशोधनों पर जो कहना हो करें । इस तरह से थोड़े समय में ही जरूरी बातों पर हम विचार कर सकेंगे ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : On a point of clarification, Sir, संविधान के आर्टिकल २८६ में जो अमेंडमेंट किया गया है वह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से फोर्स में आवेगा या जिस दिन संशोधन किया गया उस दिन से ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने निवेदन किया न कि ५५ तक जितने टैक्स लिये उनको वेलिड करने के लिये ऑर्डिनेन्स निकाला गया था और कानून भी अलग अलग बनाये गये थे । उन कानूनों को वेलिड करने के लिये संविधान में संशोधन लाया गया था ।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह पूछ रहा हूं कि संविधान का जो संशोधन है उसका प्रभाव रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा या जिस दिन से संशोधन पारित हुआ उस दिन से ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं जहां तक समझा हूँ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ही है ।

श्री भैरोंसिंह : साफ बताइये, समझने-करने का सवाल नहीं है आपका ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इसको जनमत के लिये प्रसारित किया जावे ।

इसमें यह बताया गया है कि दुकानदार जो राजस्थान के बाहर रहता है वह चाहे रजिस्टर्ड हो या नहीं, उससे टैक्स नहीं लिया जावेगा, टेक्स उससे ही लिया जावेगा जो राजस्थान का व्यापारी है । मान लीजिये बाहर एक कम्पनी है वह बाहर माल तैयार करती है पर यहां अपने को रजिस्टर्ड करा लेती है । उसने माल बेचा है, वह माल तैयार करके राजस्थान के किसी व्यापारी को बेच देता है तो उससे आप टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स आप वसूल करेंगे राजस्थान के व्यापारी से, जिसने माल खरीदा है । व्यापारी ने यह गुनाह कर लिया कि उससे माल खरीद लिया । या तो आप यह करिये कि रजिस्टर्ड नहीं है और बाहर का है, उस सूरत में यहां के व्यापारी ने अगर माल खरीद लिया है तो उससे टैक्स वसूल कर लीजिये; वह फर्स्ट

(डॉ० बहादुरसिंह)

पोइन्ट हो गया, पर अगर वह फर्म यहां रजिस्टर्ड है और उसने यहां के व्यापारी को माल बेचा है तो उसको फर्स्ट पोइन्ट मान कर टैक्स आप उस व्यापारी से वसूल करिये। पर आप वसूल करते हैं जिसने खरीदा है उससे तो यह फर्स्ट पोइन्ट कहां रहा ? इसलिये इस मसले पर व्यापारियों की राय जानना आवश्यक है।

दूसरी बात आपने कही कि पहले जो टैक्स ले लिया गया उसको वेलिड किया गया है इस कानून के द्वारा। ऑर्डिनेन्स भी आपने जारी किया। आपने जो कुछ भी वसूल कर लिया उस पर इस कानून के द्वारा आप मोहर लगाना चाहते हैं, यह भी उचित नहीं। यह प्रजातन्त्र के सिद्धान्त के विपरीत है। आपने जबर्दस्ती कानून के खिलाफ भी जाकर अगर कोई टैक्स वसूल कर लिया है तो उसको कैसे आप वैलिड कराना उचित मानते हैं ? अगर ऑर्डिनेन्स आपको जारी करना था तो पहले विधान सभा को कॉन्फीडेन्स में लेना था। अगर आपने टैक्स न्यायपूर्ण लगाया है तो ठीक है वह न्यायपूर्ण ही रहेगा और अगर अन्याय से और नियमों के विपरीत वसूल किया है तो उसे आप हाई कोर्ट में जाने दीजिये। आप हाई कोर्ट में प्रमाणित करिये कि यह टैक्स न्यायानुकूल है और गलत तरीके से आपने वसूल किया है, तो उसके परिणाम भुगतने को आप तैयार रहिये। इसलिये भी मैं चाहता हूं कि इसे जनमत के लिये प्रसारित किया जावे।

ऐसा ही सवाल इन्टर स्टेट का आता है। मैं अपने सब-डिविजन की बात बताऊं। धौलपुर ऐसी जगह है जहां अधिकतर इन्टर स्टेट व्यापार ही होता है। आगरा वहां से १८ मील पर है, मध्यभारत चार मील पर है, पर वहां दिक्कतें क्या हैं। आपका सेल्स टैक्स ऑफिस वहां से ८० मील दूर है। रिटर्न भरने के फार्म मांगे तो वहां नहीं मिलते, उसके लिये ८० मील दूर जाना पड़ता है। तो इसमें भी सुधार की जरूरत है, इससे भी लोगों को परेशानी होती है, उसका रिटर्न हर तीसरे महीने भरना पड़ता है। यह भी दिन-रात की परेशानियों का वायस है। 'सी' फार्म नहीं, ८० मील जाओ, वकील करो, हर तीसरे महीने रिटर्न भरने ८० मील फिर जाओ तो इस तरह की परेशानियां वहां व्यापारी को है। इस पर भी सेल्स टैक्स आप उनसे ही लेना चाहते हैं। बहुत सी और भी कठिनाइयां हैं। जैसे भरतपुर का सरसों का एक मामला था। खरीददार उसका आगरे की मिल का व्यापारी था। उसने अपनी ब्रांच राजस्थान में भी रजिस्टर्ड करा रक्खी थी। वह कम्पनी की रजिस्टर्ड डीलर है वहां के लिये। इससे आढ़तियों को दिक्कत होती थी। टेक्स उनसे वसूल किया जाता है। तो इस प्रकार की ये दिक्कतें हैं। इसलिये क्लॉज़ तीन को आपको साफ करना है। इसके लिये भी जनमत जानने की आवश्यकता है।

अब आप पिछला वसूल कर चुके, किसी तरह से कर चुके, आपके अधिकारियों के द्वारा सही या गलत तरीके से भी, पर इसकी कोई जांच नहीं और आप उस सबको वैलिड कर देना चाहते हैं। इसलिये इस प्रश्न को भी क्लीयर करने की जरूरत है।

यह रजिस्टर्ड वाली बात सबसे ज्यादा खटकने वाली है। या तो वह फर्म यहां रजिस्टर्ड होनी नहीं चाहिये। उस हालत में अगर माल कोई यहां का व्यापारी बेचता है

(डॉ० बहादुरसिंह)

तो निश्चित रूप से आपका अधिकार है कि उससे आप सेल्स टैक्स वसूल कर लें।

दूसरी बात एक और है; क्लॉज़ ५ के भाग (२) में जो बकाया रकम वसूल करने का प्रावधान है। आपका डिपार्टमेंट तो किसी से बकाया हो तो जबरन वसूल कर सकता है किन्तु आपके डिपार्टमेंट में जिनकी बकाया हो उनकी वसूली के लिये आप क्या कहते हैं? जिन व्यापारियों से जबर्दस्ती सेल्स टैक्स वसूल कर लिया है, या अधिक वसूल कर लिया है, उनका सेल्स टैक्स वापिस नहीं हो रहा है। उसके लिये आपका क्या कहना है। लोगों से बकाया वसूल करने का इतना सख्त कानून बनाते हैं तो जिनसे जबर्दस्ती वसूल कर लिया है उनके लिये भी तो आप कोई प्रावधान रखिये। ये सब ऐसी बातें हैं जिनके कारण सेल्स टैक्स वसूल करने का जो तरीका है उसमें तब्दीली होनी चाहिये। इसी प्रकार रजिस्ट्रेशन वाली बात है, उस पर भी विचार किया जाना चाहिये आज नहीं तो कल इस पर विचार करके इसको लिया जा सकता है। यही मेरा निवेदन है।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्ताव राजस्थान बिक्री कर निर्धारण तथा वसूली वैधकरण विधेयक, १९५८ पर रखा है उसके द्वारा मैंने यह चाहा है कि यह विधेयक प्रवर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

माननीय अध्यक्ष, यह वास्तव में बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरह राजस्थान बिक्री कर निर्धारण तथा वसूली वैधकरण विधेयक, जिस पर आज हम बहस करने जा रहे हैं उसी प्रकार का एक और विधेयक कुछ दिनों के बाद इसी विधान सभा में प्रस्तुत होने वाला है जिसका नाम राजस्थान बिक्री कर (वैधकरण) विधेयक, १९५८ होगा। इसके पूर्व कि प्रस्तुत बिल की चर्चा करूँ, मैं यह बता देना आवश्यक समझता हूँ कि जिन लोगों ने राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट को विस्तारपूर्वक पढ़ा है वे आसानी से कह सकते हैं कि यह कानून इतना लूज़ बनाया गया है और इसमें इतनी अव्यावहारिक और अस्पष्ट भावनाओं के अतिरिक्त और गलत प्रावधान हैं अगर इनको समुचित रूप से पुनः रिओरिएन्ट नहीं किया गया तो मुझे डर है कि कहीं आये दिन इसी प्रकार के वैधकरण विधेयक विधान सभा में प्रस्तुत करने पड़ेंगे और उन्हें पारित करना पड़ेगा। इस प्रकार के जो टैक्स देने वाला है जिन पर कि इसका प्रभाव पड़ता है वे ही जानते हैं कि इस प्रकार के कानूनों से उन पर क्या बीतती है? हम लोग उनकी परेशानी को अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कानून इतना लूज़ बना हुआ है, इसमें काफी अस्पष्ट बातें विद्यमान हैं तब इसको रिओरिएन्ट करने के सिवाय और कोई चारा भी नहीं बचता। अगर हम छोटे-छोटे (पीस मील) कानूनों के रूप में इस प्रकार से कानून पास करते जायेंगे तो यह हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। यह एक ऐसा कानून है जिसका केवल शहर के व्यापारियों पर ही असर होता हो; यह बात नहीं। इसका असर गांव में रहने वाले छोटे से छोटे व्यापारियों पर भी पड़ता है इसलिये यह बहुत जरूरी है कि पूरे कानून का नया मसविदा तैयार किया जाय और उसे सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। मुझे ज्ञात हुआ है कि कर वसूल करने के सम्बन्ध में किस प्रकार के

Page No.37

(श्री मनोहर कोठारी)

लोगों को सुविधा दी जाय, इसमें किस प्रकार की तरमीम की जाय, इसके लिये राज्य सरकार ने एक कमेटी की नियुक्ति की है, जिसमें राजस्थान प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी लोगों को सम्मिलित किया गया है। उसमें पार्लियामेंट के एक माननीय सदस्य भी हैं। लेकिन मुझे यह जान कर अफसोस हुआ कि इस विधान सभा के किसी भी प्रतिनिधि को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया। जिन लोगों को सम्मिलित किया गया है वे लोग अधिकांशतः इस विषय का अनुभव नहीं रखते। व्यापारियों की ओर से जिन लोगों को लिया गया है वे बिक्री कर की भावना तक को नहीं जानते, इसकी मन्शा तक नहीं समझते, ऐसा व्यापारियों में आश्चर्य है। इसके अतिरिक्त एक बात और निवेदन करना आवश्यक समझता हूं, वह यह है कि इस तरह की कई अव्यावहारिक बातें आये दिन टैक्सेशन विभाग की लापरवाही से जनता को सहन करनी पड़ती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करूं कि एक दिन एक प्रकार की विज्ञप्ति प्रसारित होती है कि राजस्थान सरकार जनहित में उचित समझती है कि फलां वस्तु पर बिक्री कर न लिया जाय और इस प्रकार उसे बिक्री कर से मुक्त कर दिया जाता है। ठीक उसके थोड़े दिन बाद उसी सम्बन्ध में दूसरा नोटिफिकेशन फिर इश्यू होता है, सूचना प्रकाशित होती है कि राज्य सरकार जनहित के लिये यह आवश्यक समझती है जिस पर बिक्री कर वसूल नहीं होता, उस पर बिक्री-कर वसूल किया जाय। मुझे समझ में नहीं आता बिक्री कर मुक्त करने में यदि जनहित है तो फिर उसी वस्तु पर बिक्री कर को लगाने में जनहित कैसे होगा ? उदाहरण के तौर पर कुछ दिनों पहले से सोने-चांदी के गहनों और एलोपैथिक तथा होमियोपैथिक दवाइयों पर बिक्री कर वसूल नहीं होता था। १० रुपये पर एक साल भर के लिए एग्ज़ेम्शन सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता था, जिसकी मियाद प्रतिवर्ष ३१ मार्च तक होती थी। लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा इस प्रकार के सर्टिफिकेट इश्यू होने के एक महीने बाद ही उनको वापस निरस्त कर दिया। इस प्रकार की आज्ञायें जारी हो जाती हैं। हो सकता है प्रशासनिक दृष्टि से यह उपयोगी बात न भी हो, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से आये दिन बिक्री कर के सम्बन्ध में जो नोटिफिकेशन इश्यू होते हैं, वे उचित नहीं हैं। कई लोग जो गांवों में रहते हैं, जहां पर गजट नहीं पहुँच पाता वे इन परेशानियों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। उन्हें यथासमय यह मालूम नहीं हो सकता कि उन्हें किस चीज पर बिक्री कर वसूल करना चाहिये और किस पर नहीं, क्योंकि जहां एक चीज तो कुछ अर्से पहले बिक्री कर से मुक्त थी उसके मुक्ति लाइसेन्स समाप्त हो जाने पर, उस पर टैक्स देना पड़ेगा आदि ऐसी बातें हैं, जिनको गांव वाले लोग आसानी से नहीं जान सकते। इसी प्रकार से कानून अस्पष्ट होने के कारण जिन लोगों को वास्तव में राज्य सरकार राहत देना चाहती है, उन्हें राहत नहीं मिल सकती। कई चीजों पर जनहित के नाम पर बिक्री कर समाप्त होता है उसके लिए सर्टिफिकेट इश्यू किये जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि हाथ के बने हुए बर्तन उस स्थिति में बिक्री कर से मुक्त रखे गये हैं, जबकि बरतन बनाने वाले के परिवार का ही आदमी उसको बेचता हो। लेकिन उसके साथ साथ अनावश्यक बन्धन यह भी लगा दिया गया है कि ऐसा व्यापारी किसी एम्लॉयर के द्वारा लेबर नहीं करा सकता और उसमें

(श्री मनोहर कोठारी)

किसी भी स्टेज पर मशीन का उपयोग नहीं किया गया हो। अक्सर देखा गया है कि जो लोग चद्दरों से बरतन बनाते हैं और उनको बेचते हैं उन पर भी बिक्री कर वसूल किया जाता है, वह इसलिये कि चद्दरें मशीन द्वारा बनी हुई होती हैं। चद्दर भी हाथ से बने तब जाकर ये बरतन बिक्री कर से मुक्त हो सकते हैं। इसी प्रकार हथोड़ा चलाने के लिए अगर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तब भी बिक्री कर वसूल कर लिया जाता है, इस प्रकार के जनहित में टैक्सेशन विभाग द्वारा नोटिफिकेशन्स इश्यू किये जाते हैं। आप ही सोचिये कि अगर सरकार बिक्री-कर वसूल करना ही चाहती है तो फिर कुछ वस्तुओं पर इस प्रकार की छूट देने और फिर उन्हीं पर बिक्री कर वसूल करने का कोई औचित्य नहीं और न यह समझ में आने वाली बात ही है। इसी प्रकार ट्रेक्टर पर तो बिक्री कर वसूल नहीं किया जाता वहां दूसरी तरफ एक किसान अगर गन्ना पीलने के लिए कोल्हू खरीदता है तो उस पर टैक्स वसूल किया जाता है। मैं अपने ही निर्वाचन क्षेत्र की बात आपसे अर्ज करूं, उस क्षेत्र में गन्ना बहुत मात्रा में पैदा होता है। वहां प्रत्येक किसान के पास नहीं तो प्रति दो किसानों के बीच में एक कोल्हू खरीदा जाता है, क्योंकि वहां का गन्ना रेल-मार्ग न होने से बाहर तो जा नहीं सकता और न शक्कर बनाने वाले कारखाने ही उसका उपयोग करते हैं, वैसी हालत में वहां का किसान कोल्हू रखकर उस गन्ने का स्वयं रस निकालता है और उससे गुड़ तैयार करता है।

अत: मैं समझता हूँ कि यह किसानों की दृष्टि से भी आवश्यक था। मैंने एक प्रश्न सदन में पूछा तो उसके उत्तर में राज्य सरकार ने बताया कि यह कृषि संबंधी मशीन तो है लेकिन फिर भी इस पर कर तो वसूल होता है, जब कि बिक्री कर प्रावधानों में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि कृषि संबंधी मशीनों और उनके औजारों पर कोई भी टैक्स वसूल नहीं किया जायगा।

इस प्रकार मैंने जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय उसके मूल में एक दो भावना यह भी है कि अभी कुछ दिनों पूर्व इसी सदन में एक इस तरह का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और उसे सदन द्वारा स्वीकार कर लिया गया। लेकिन आज राज्य सरकार फिर इस उलझन में पड़ गई है कि उसे फिर संशोधित किया जाये। क्योंकि संशोधन के पूर्व जो व्यवस्था थी वही ठीक थी। उक्त संशोधित व्यवस्था में यदि कोई व्यापारी किसी एक क्वार्टर में भूल से कोई गलत रिटर्न प्रस्तुत कर देता तो जब दूसरा रिटर्न ड्यू हो उसे उसके पहले संशोधित रिटर्न प्रस्तुत कर देना चाहिए। इस तरह का संशोधन यहां प्रस्तुत किया गया जो बड़ा ही अव्यावहारिक साबित हुआ जिसका परोक्षरूप में राज्य सरकार की आय पर काफी उलटा असर पड़ा। दूसरा रिटर्न ड्यू होने पर ऐसा अक्सर देखा जाता है कि कोई भी व्यापारी अपने हिसाब को चैक नहीं करता है और जब साल के अन्त में बैलेन्स शीट तैयार की जाती है उस समय ही केवल उसको मालूम हो सकता है कि कौन सा रिटर्न किस क्वार्टर में गलत गया अथवा भूल हुई। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि साल के अन्त में ही व्यापारी को भूल का ज्ञान हो सकता है, उससे पहले नहीं। इसका नतीजा यह होता है कि जब उसके पास कोई भी अवसर अथवा चारा नहीं रहता तब वह प्रयत्न करता है कि किसी तरह से उस भूल को छिपाया जाय तथा इस प्रकार वह

(श्री मनोहर कोठारी)

बहियां लिखने की कोशिश करता है। आवश्यकता इस बात की है कि इसका असर बहुत ज्यादा लोगों पर होता है और खास तौर से छोटे-मोटे व्यापारियों पर काफी सोच-विचार के बाद निर्णय होना चाहिए। इसलिए जो संशोधन हमारे सामने प्रस्तावित किया गया है मैं समझता हूं इसका असर छोटे व्यापारियों पर सबसे ज्यादा है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बताया कि हम कोई नए सिरे से टैक्स वसूल नहीं करना चाहते लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि इस प्रस्ताव की भावना और इस बिल की भाषा से स्पष्ट यह तो है कि जहां राजस्थान के बाहर के लोगों को भी राजस्थान के लिए रजिस्टर्ड किया गया है और किसी भी व्यवसायी ने ऐसे बाहरी रजिस्टर्ड व्यापारी से माल मंगवाया तभी आयातकर्त्ता व्यापारी को दुबारा टैक्स देना होगा; चाहे उसने राजस्थान के लिए रजिस्टर्ड व्यापारी ही से माल क्यों न लिया हो। राज्य सरकार को पहले तो यह अधिकार होना चाहिए कि उस व्यक्ति से वह टैक्स का पैसा वसूल करे जिसने आयातकर्त्ता से कर वसूल कर लिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे व्यापारियों ने जो कि राजस्थान के बाहर रहते थे, उन्होंने राजस्थान में अपने आपको रजिस्टर्ड करवाया और लोगों से कर वसूल किया। आज राज्य-सरकार उनके द्वारा एकत्रित कर को उनसे वसूल नहीं कर सकती। इसका मतलब यह हुआ कि जिन लोगों ने उनका सामान खरीदा है वह दुबारा टैक्स देने के लिए बाध्य होगा क्योंकि राजस्थान सरकार के अन्दर उसकी बिक्री प्रथम बिक्री मानी जायगी। अतः यह स्पष्ट है कि बाहर के व्यापारी जो यहां रजिस्टर्ड हैं और उनके द्वारा जो माल राजस्थान में सप्लाई किया जाता है, प्रथम बिन्दु पर इस प्रकार नहीं मानी जा सकती। इसलिए यह बिल वाञ्छनीय नहीं है और न व्यावहारिक ही कहा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, जब भी मैं सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में किसी से थोड़ी भी चर्चा करता हूँ तो मुझे एक बात सुनकर ताज्जुब होता है कि हर बात में सेल्स टैक्स ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर को कमिश्नर के अन्तरंग निर्देशन पहुँच जाते हैं। उसका असर यह होता है कि लोगों को समुचित न्याय नहीं मिल पाता। कर निर्धारण के समय जो सर्क्युलर सेल्स टैक्स ऑफिसर गाइड करता है, अपील के अन्दर भी उसी सरक्युलर को आधार मान कर निर्णय किया जाता है।

श्री सोहनलाल भटनागर : अध्यक्ष महोदय, On a point of order, Sir, यहां सारे सेल्स टैक्स एक्ट के प्रोविज़न्स पर बोलने की बात नहीं है बल्कि जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है केवल उसी के प्रॉस एण्ड कॉन्स पर बोलें तो ठीक रहेगा।

श्री मनोहर कोठारी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को मैं सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं कि इस बिल को क्यों प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए? उसी की बहस को मैं सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं समझता हूं और अनुभव करता हूं कि यह इतना लूज़ एक्ट है कि गवर्नमेन्ट को एक नया ही एक्ट बना कर इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए। अगर यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जाये तो सिलेक्ट कमेटी इस बात पर निर्णय कर सकती है कि इस तरह के छोटे छोटे कानून जो समय

Page No.40

(श्री मनोहर कोठारी)

समय पीस मील में आते हैं उनकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर पूरा का पूरा नया एक्ट बनाकर सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाये ।- इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस बिल के अन्तर्गत एक यह भी प्रावधान रखा गया है कि किसी पुराने असेसमेन्ट पर टैक्स वसूल नहीं हुआ है उससे भी टैक्स वसूल किया जायगा । मैं मानता हूं कि यह बात सही है कि यह टैक्स वसूल किया जाना चाहिए । पुराने जो टैक्स बकाया रह गए हों उनको वसूल करने के लिए हमारे पास दूसरे कानून मौजूद हैं और पी० डी० आर० के अन्तर्गत ऐसी रकम वसूल की जा सकती है तथा और भी दूसरे तरीकों से वसूल किया जा सकता है । लेकिन इस बिल के आधार पर उसके वसूल करने का अर्थ यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने और हाईकोर्ट ने कई ऐसे मामलों में इस तरह का निर्णय दिया है कि राज्य सरकार टैक्स वसूल नहीं कर सकती, उसे इस बिल के आधार पर वसूल किया जायगा; जैसे कॉन्ट्रेक्टर्स के ऊपर टैक्स लगाया गया है । सड़क पर, बिल्डिंग्स पर यदि एसेसमेंट हो गया है तो उसके अवैधानिक होने पर भी सरकार सेल्स टैक्स वसूल कर सकती है उस कॉन्ट्रेक्टर से । तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से प्रकट है कि यह कोई बिक्री नहीं है और इसी तरह सड़कों के कान्ट्रेक्टर से राज्य सरकार कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकती । नतीजा यह हुआ कि इस वैधकरण बिल के अनुसार, यदि यह पारित हो जाता है, तो इस तरह केसेज़ में राज्य सरकार को टैक्स वसूल करने का अधिकार मिल जाता है...

श्री पी० के० चौधरी : For your information, Sir, there is nobody on the Treasury Benches.

श्री तनसिंह : The Benches are there.

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय के सदन में पुनः आने के पश्चात्)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं सुन रहा था ।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि जहां वसूली के लिए राज्य सरकार इतनी आतुर है कि इस तरह का अवैधकरण अमेन्डमेन्ट बिल प्रस्तुत करके वसूल करना चाहती है वहां दूसरी ओर रिफण्ड के मामले में राज्य सरकार बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती, ऐसी लोगों की शिकायत है । कई जगह ऐसे मामले आते हैं कि लोगों से टैक्स ज्यादा वसूल हो गया है, जो रिफण्ड के लिए बार बार माँग करते हैं और कहते हैं कि डिफरेन्स अगले क्वार्टर में एडजस्ट कर लिया जाये तो कोई भी बिक्री कर अधिकारी उसको एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है । वह कहता है कि रिफण्ड की कार्यवाही अलग से करो । तीन तीन वर्ष तक एडजस्ट नहीं हो पाता है, सब-ट्रेज़री ऑफिसर रिफण्ड वाउचर को फेंक देता है । तो वे सारे के सारे वाउचर्स लैप्स हो जाते हैं । इससे व्यापारियों को बड़ी कठिनाइयां होती हैं । इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह बहुत ही अव्यावहारिक है क्योंकि इसका असर बहुत बड़े तबके पर पड़ने वाला है, इसलिए जो मैंने इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है यदि इसे स्वीकार कर लिया गया तो मैं समझता हूँ कि इससे व्यापारियों को भी सन्तोष होगा और इससे राज्य सरकार को भी कोई नुकसान नहीं होगा ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मूव करता हूं कि this Sales Tax Bill be referred to the Select Committee

श्री अध्यक्ष : यह मूव हो चुका है, उसके सपोर्ट में आप बोल दें।

श्री पी० के० चौधरी : मेरा भी मूव है।

श्री अध्यक्ष : It is not necessary to move all these.

श्री पी० के० चौधरी : Allright, I support it. इस मोशन के बारे में बोलने से पहले मैं एक पोइन्ट यहां पर रेज़ करना चाहता हूँ। इसका एक ऑर्डिनेन्स जारी किया गया था। यह जो ऑर्डिनेन्स सेल्स टैक्स का है यह १ अक्टूबर को जारी किया गया था १२–१०–५८. को और जहां तक मैं समझता हूं ऑर्डिनेन्स को सरकार की तरफ से या एग्ज़ीक्युटिव की तरफ से इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए कि जब चाहे तब ऑर्डिनेन्स पास करें। पिछले सैशन और इस सैशन के बीच में about a dozen ordinances had been passed और ऑर्डिनेन्स पास करने के लिए कॉन्स्टीट्यूशन में जो प्रोविजन दिया है कि किन कन्डीशन्स में, किन परिस्थितियों में ऑर्डिनेन्स पास किया जा सकता है, वह रिलेवेन्ट क्लॉज़ जो है उसको पढ़कर सुनाता हूं। आर्टिकल २१३ में लिखा गया है :

"If at any time, except when the Legislative Assembly of a state is in session, or where there is a Legislative Council in a State, except when both Houses of the Legislature are in session, the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessay for him to take immediate action, he may promulgate such ordinances as the circumstances appear to him to require" अब जो ऑर्डिनेन्स पास किया गया था यह बिल जो पास किया जा रहा है उसमें लिखा है कि Doubt has bee expressed. और कॉन्स्टीट्युशन में प्रोविजन है "Circumstances must exist." अब सर्कमस्टान्सेज़ के एग्ज़िस्टेन्स का सवाल जब आता है तो सर्कमस्टान्सेज़ किस को मीट करते हैं कि कोई डाउट आ गया है, किसी को सपना आ गया है, इसको सर्कमस्टन्सेज का डिक्शनेरी में मैंने मीनिंग देखा है कि किन कन्डीशन्स में सर्कमस्टान्सेज़ कहा जाता है। चेम्बर्स में यह कहा गया है Logical surrounding of an action, incident or event.

ऑक्सफोर्ड में यह है That which stands around or surrounds, surroundings, state of afairs, surrounding and affecting an agent.

That means circumstances is an objective condition. किसी के दिमाग में कोई उलझन या किसी को कोई सपना आ गया है, या किसी को ख्याल आ गया है वे कोई सर्कमस्टान्सेज़ नहीं हैं ऑर्डिनेन्स पास करने के लिए, ऑर्डिनेन्स लागू करने के लिए मंत्री महोदय ने यह स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में कहा है कि ऑर्डिनेन्स इसलिए पास किया गया है कि कुछ डाउट्स एक्सप्रेस हुए हैं। तो डाउट्स एक्सप्रेस होने से कोई ऑर्डिनेन्स पास नहीं होता है। ऑर्डिनेन्स पास तब होता है जबकि अलग सर्कमस्टान्सेज़ प्रिवेल करते हों, ऑब्जेक्टिव सर्कमस्टान्सेज़, कन्डीशन्स प्रिवेल करते हों कि अगर इमीजिएट एक्शन नहीं लेते तो शायद जिन लोगों से सरकार ने टैक्स

(श्री पी० के० चौधरी)

वसूल किया है वह लेप्स हो जाता, या जिन लोगों से वसूल करना है वह हिन्दुस्तान छोड़ कर पाकिस्तान भाग जाते या और कहीं चले जाते, या जो ऐसी हैं वे इस देश से भाग जाते, या जिनसे पैसा वसूल किया गया है वे वह पैसा ट्रेज़री से छीन लेते, ऐसे कोई सर्कम्स्टासेन्ज़ पैदा हो जाते तो, ऐसा कोई कन्डीशन्स पैदा हो जातीं तब जाकर ऑर्डिनेन्स पास करते तो वह एकोर्डिंग टू दि कॉस्टिट्यूशन होता। मैं तो यह मानता हूँ कि यह जो ऑर्डिनेन्स पास किया है, doubats were expressed. That is not according to Constitution, पिछले ६ महीनों के अन्दर २ असेम्बली के इन्टेरिम पीरियड में One dozen ordinances have been passed. जो देख रहे हैं कि जब से सैशन शुरु हुआ है, १५ दिन से सेशन शुरू हो रहा है, यही देखते रहे हैं कि आप आर्डिनेन्सेज़ पर हमसे अगूंटा लगवा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए वह ठीक नहीं है। इस तरह से राजस्थान में ऑर्डिनेन्स चलते तो मैं समझता हूँ इस तरह से कम से कम डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन में किसी का फेथ नहीं रहेगा।

मेरी समझ में नहीं आता है कि इमीजियेट कन्डीशन्स कौन सी हो गई थीं कि ऑर्डिनेन्स १२ अक्टूबर को पास नहीं करके २४ अक्टूबर को जब असेम्बली हो रही थी तो १२ दिन के बाद उसमें एक बिल ले आते, what difference did it make ? यह समझ में नहीं आता है। यह इस तरह का इन्डीकेशन है कि जो एक्ज़ीक्युटिव है वह असेम्बली का मखौल करती है। They care a fig for the Assemply. सदन रहे या न रहे, हम ऑर्डिनेन्स पास करके काम चलाते हैं। सदन को बुलाया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन ५ महीना और २६ दिन का होता है उसमें सदन की मीटिंग बुलाई जाती हैं और अगर नहीं बुलाते तो वह कॉन्स्टियुशनली लेप्स हो जाता है। तो यह जो डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन बनाया है उसको एक खिलौना, तमाशा बना रखा है। उसको जब तक नहीं बुला सकते हैं तब तक नहीं बुलाते हैं। ६ महीने नहीं बुलाने से काम चलता है तो ५ महीना २६ दिन पूरे होने के बाद बुलाते हैं। पूरे होने के बाद बुलाया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेस्काइब्ड लेप्स हो जाता है, मिनिस्ट्री खत्म हो जाती है, गवर्नर्स रूल हो जाता है, नहीं तो यह भी नहीं बुलाते। असेम्बली नहीं बुलाते हैं तो काम चलाने के लिए ऑर्डिनेन्स बनाते हैं, तो असेम्बली कैसी? यह किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए या डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन के लिए शोभा की बात नहीं है कि जायज़ और नाजायज सब बातों के लिए ऑर्डिनेन्स पास करे। यह सरकार का रुटीन वर्क हो गया है और १२–१३ ऑर्डिनेन्सेज़ असेम्बली के इन्टेरिम पीरियड में पास किये हैं। Hardly one or two of them, except the Food Requi si tioning Order के सिवाय और कोई दूसरा ऑर्डिनेन्स ऐसा नहीं है। They could have waited till the Assembly met

यह गवर्नमेंट का सिस्टम पड़ गया है कि वे असेम्बली की परवाह नहीं करते हैं और जब चाहा ऑर्डिनेन्स पास कर लेते हैं। ऑर्डिनेन्स सही हो या गलत हो, they come to us. और अगूंटा लगा लेते हैं। They face us with a fait-accompli and then come before the Assembly that you pass it as if the assembly is a stamping machine ऑर्डिनेन्स पास

(श्री पी० के० चौधरी)

करते हैं तो अपनी मर्जी से पास कर लेते हैं, It is my considered opinion that it is evading the constitution. I take this occasion to register my strongest protest about this wanton manner in which the Government passes ordinances. इसकी मैं प्रोटेस्ट करता हूँ and I take strong protest on it, on the manner in which the ordinances have been passed. मंत्री महोदय ने ऐसा जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें नहीं बताया है कि circumstances exist. उन्होंने कहा कि डाउट्स एक्सप्रेस्ड हुए। डाउट्स एक्सप्रेस्ड होने के लिए किसी जगह ऑर्डिनेन्स पास नहीं करते हैं तो कॉन्स्टीट्यूशन को वॉयलेट करके अनकॉन्स्टीट्यूशनली पास करते हैं; they avoid the Constitution. मैं मेन्टेन करता हूँ कि it is my considered opinion that जो ऑर्डिनेन्स पास किया है १२ अक्टूबर को, this particular Ordinance of Sales Tax, it does not have anything which is immediate. It is only for validating certain assessments made during the period 1954 to 1957. उसके लिए आज ५८ में १२ अक्टूबर को इमीजियेट कोई कन्डीशन हो गई कि आपको ऑर्डिनेन्स पास करने की जरूरत पड़े, you could not wait for a week जब कि असेम्बली मीट कर रही है।

दूसरी बात जब ५४ में एक्ट हुआ उसके बाद ५० में सेल्स टैक्स एमेंटमेंट एक्ट मूव किया तो उस वक्त क्यों नहीं किया ? Were you sleeping ? क्या आप सो रहे थे ? कॉन्स्टीट्यूशन के प्रोविज़न की बात करते हैं कि चेन्जेज़ हो गई तो ५४ में एक्ट पास किया और कॉन्स्टिट्यूशन में ५६ में एमेंडमेंट हुआ, उसके बाद में आपके दिमाग में यह नहीं आया और १२ अक्टूबर को सपना आया और इमीजिएट हो गया तो मैं समझता हूँ, it is a sad comment on the executive and the way they function. So I take this opportunity to register my protest.

दूसरी बात जो इस ऑर्डिनेन्स के सिलसिले में कहना चाहता हूँ ; ऑर्डिनेन्स का मैं समझता हूँ, यह ऑर्डिनेन्स है उसका मतलब यह होता है, अंग्रेजी में एक कहावत है, "The head you lose, the tail I win." यानी खेल के टाइम में टोस करते हैं रुपया लेकर तो आम तौर पर कहते हैं कि हैड आयेगा तो आप जीतेंगे और टेल आयेगा तो मैं जीतूंगा ; लेकिन यह इधर-उधर दोनों होता है। Some goods have been doubly taxed, taxed twice. चाहे इधर-गिरे तो मैं जीतता हूं, चाहे उधर गिरे तो मैं जीतता हूँ। यह ऑर्डिनेन्स दोनों तरफ का है। इस ऑर्डिनेन्स में यह हुआ है कि सरकार जैसा कि मंत्री महोदय ने खुद ने बताया है कि इसकी क्लॉज़ ५ से साफ जाहिर होता है कि जो दूसरी स्टेट के डीलर्स थे और जो यहां पर रजिस्टर्ड थे उनसे भी टैक्स वसूल किया है, और उन्हीं गुड्स पर यहां पर भी वसूल किया है। Some goods have been taxed twice एक दफा यहां के डीलर से टैक्स लिया है और दूसरी दफा बाहर के डीलर से लिया है। इस बिल से क्या करना चाहते हैं, कि इस बिल में यह प्रोवाइड कर रहे हैं कि बाहर के डीलर्स से जो क्लॉज़ ३ में कहा है कि बाहर के डीलर से टैक्स वसूल नहीं करेंगे लौर फर्स्ट पोइन्ट यही मानेंगे। फिर क्लॉज़ ५ में जाकर यह कहते हैं कि आज दिन तक बाहर के डीलर से जो टैक्स वसूल कर लिया है वह वैलिड है, जो एसेसमेंट कर लिया है वह वैलिड है और

(श्री पी० के० चौधरी)

वह भी वसूल करेंगे । Both ways you want to win. दोनों तरफ साथ मिलते हैं। It is contrary to the Act. यह मैं समझता हूं कि कोई जस्टिस नहीं हैं It is pure injustice, wanton manner of the Government.

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपने पढ़ कर सुनाया था उस एक्ट को मैं भी पढ़ कर सुनाता हूँ। उसमें कोई डाउट नहीं था। उसमें साफ था कि फर्स्ट पोइन्ट जो होगा डीलर से इम्पोर्ट गुड्स, you will tax the dealer who has been registered here. उसके मुताबिक आपने टैक्स वसूल किया हैं, लेकिन जब आपने देखा कि उनसे टैक्स वसूल करने में दिक्कत होती है तो आपने यहां के डीलर से वसूल करना शुरू कर दिया है you have done it. यह बंगलिंग आपने किया है। आपने दोनों ही तरफ से लेने की कोशिश की। पहले उनसे लेने की कोशिश की, एसेस किया लेकिन वसूल नहीं कर पाये तब यहां के डीलर्स से लेने की कोशिश की। लेकिन जहां तक एक्ट का सवाल था वह क्लियर है : "Sale' with all its grammatical... .... or pledge;"

यह तो उन्होंने कह दिया है लेकिन रिलेवेन्ट और इम्पोर्टेन्ट पोर्शन है एक्सप्लेनेशन 'Notwithstanding anything to the contrary in the Indian Sale of Goods Act, 1930 (III of 1930), the sale of any goods which have actually been delivered in the State as a direct result of such sale for the purpose of consumption in the said State, shall be deemed for the purposes of this Act, to have taken place in the said State, irrespective of the fact that the property in the goods has, by reason of such sale, passed in another State,"

अब यह जो एक्सप्लेनेशन है वह साफ बताता है कि मेन सेल कहीं भी हुआ हो, " if the goods have been delivered in your State, " तो वह गुड्स इस स्टेट का माना जायगा या फॉरिन डीलर का मेन बिज़नेस यहां नहीं है। He has been registered and you can collect the tax from him and there is no ambiguity. डाउट्स रेज़ होने की गुंजायश नहीं। डाउट्स आपके दिमाग में हैं जिसे आपने समझा नहीं है। उन्होंने कोशिश की। Foreign dealers who have no business in the states, उनसे लेने की कोशिश की लेकिन जब वे लोग कब्जे में नहीं आये तब यहां वालों से लेना शुरू किया without amending the Act. यह कैसे शुरू हुआ, यह भी हम जानते हैं। जो डिपार्टमेन्ट हैड्स होते हैं या सेक्रेटरी होते हैं उनको नीचे के अफसर बतलाते हैं कि इससे उनको दिक्कत है तो ऊपर के सेक्रेटरी कह देते है कि हुक्म जारी कर दो, मैं निबट लूंगा और सब कुछ उन्होंने निबट लिया। जिनसे टैक्स कलेक्ट किया है इस स्टेट के डीलर्स से that they have done against the provision of this Act as they have already collected the tax from the dealers who are registered in the State. एक्शन को रेगुलेट किया है। एक्शन को रेगुलराइज़ करना चाहते है और दोनों तरफ से अंगूठे में लाना चाहते हैं। मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि यह जो उनका क्लॉज ३ है, जिनमें कहा गया है : "For the purpose of the assessment as well as consequent recovery of the tax leviable under the Act before the 6th day of June, 1957--

(a) the delivery of goods made in the State as a direct result of sale by

(श्री पी० के० चौधरी)

a dealer not having a place of business therein, whether such dealer is or is not registered in the State, shall not be deemed to be or ever to have been the first sale in the State of such goods, and........." यह तो यह कहता है कि who hasn't got a business centre here पर डिलीवर हुआ, it will not be considered as a sale. यह तो इसमें कहते हैं, इसके साथ साथ दूसरी बात यह कहते हैं क्लॉज़ ५ में, "if, for any period, till the sixth day of September, 1955, a dealer such as is referred to in clause (a) of Section 3 shall have been assessed to the tax leviable under the Act at the first point in a series of........." जो अभी पढ़कर सुनाया है : 'in a series of successive sales otherwise than in accordance with the provisions of Section 3, then,........."
सेक्शन ३ में, "nothing therein contained shall apply to or in any way effect such assessment as well as the consequent recovery of the amount of the tax so assessed, and (b) any such amount remaining unpaid may hereafter be recoverd from the person so assessed in accordance with law.

Provided that in every such case it shall not be lawful to assess the tax again in accordance with provisions of Section 3...." तो एक तरफ तो क्लॉज ३ में यह कहा जाता है कि जो डीलर है और जिसका बिजनेस यहां पर नहीं है उससे फर्स्ट पॉइन्ट पर टैक्स नहीं कलेक्ट करते हैं और दूसरी तरफ in cluase 5 of the same Bill कहते हैं कि जो एसेस कर लिया है उसे जरूर कलेक्ट करेंगे और जो ले लिया है उसे वापिस नहीं देंगे। यह जो कानून है उसका एक ही बिल में कॉन्ट्राडिक्शन रहता है। इस तरह का कानून एक तरह का डीसेन्ट कानून नहीं होता है। मैं तो मानता हूँ कि certain goods during this period have been doubly taxed, twice taxed: कलेक्ट होने के बाद उसको रेगुलेराइज़ करना चाहते हैं। एक और दूसरा बिल पेन्डिंग है जो ५ दिसम्बर को आयगा, उसमें क्या किया है कि जिन गुड्स को एसेन्शियल कोमोडिटीज़ माना है उन पर सेल्स टैक्स लास्ट में ले लिया है......

श्री अध्यक्ष : Why discuss that now ?

श्री पी. के. चौधरी : I am Just pointing how piecemeal legislation is brought about.

श्री अध्यक्ष : That you have already said so many times.

श्री पी. के. चौधरी : मेरा निवेदन यह है कि यह बिल इलकंसीव्ड है। दूसरी तरफ में ध्यान क्लॉज़ ४ की तरफ आकर्षित करता हूं, उसमें कहा गया है : "Validation of assessments and recoveries of sales tax in certain cases- Notwithstanding any thing to the contrary contained in the Act or in any other law for the time being in force or in any Judgement, decision, decree or document but subject to the provisions of Section 5-

(i) every assessment of the tax leviable under the Act at the first point in a series of successive sales made before the 6th June, 1957...... be deemed to have been validly made," अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो

(श्री पी० के० चौधरी)

सेक्शन ३ है वह सन् १९५६ से पहले तो था नहीं but it shows that जो क्लॉज़ ३ लाया गया है वह by executive orders का है । Executive orders were issued to collect. You collect tax according to executive orders. अब मेरा निवेदन यह है कि जब ५६ से पहले के प्रॉविज़न को यहां इन्क्लूड करना चाहते हैं एग्ज़ीक्युटिव ऑर्डर से, you collected the tax under executive orders.

जब ५७ में अमेन्डमेन्ट पेश किया है उस समय इसको क्यों नहीं लाये ? यह क्लॉज़ ४ सब बताता है और मेरी समझ में नहीं आता है कि ५६ से पहले क्लाजेज ३ और ४ को लाते हैं, how the assessment could have been made and how the tax could have been levied according to this clause at that time unless there were some executive orders contrary to law.

आपने एग्ज़ीक्युटिव ऑर्डर से लेजिस्लेशन या लॉ के कॉन्ट्राडिक्टरी सेल्स टैक्स लेवी किया है and this is very deplorable state of affairs. इस एग्ज़ीक्युटिव ऑर्डर से आप कॉन्ट्राडिक्टरी टैक्स कलेक्ट करते हैं और चार-पांच साल के बाद ऑर्डिनेन्स पास करते हैं उसको वेलिडेट कराने के लिये और फिर असेम्बली को कहते हैं कि इस पर अंगूठा कर दो । ५६ के बाद में भी कई बार असेम्बली मीट हुई है, उस समय आप इसको क्यों नहीं लाये ? पहले आपने ऑर्डिनेन्स लागू कर दिया और अब अँगूठा लगाना चाहते हैं । इस प्रकार की बात समझ-सोच कर करनी चाहिये । मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि टैक्स नहीं लिया जाय, लेकिन जहां डबल टैक्स हुआ है; इस बिल के पास होने से or some commodities have been taxed twice आप उसको वेलिडेट करना चाहते हैं । मान लीजिये कोर्ट का जजमेन्ट डिफरेन्ट होता है; हमने आखिर में जुडिशियल कोर्ट्स इसलिये बनाये हैं कि the executive does not act contrary to the provisions of law, उसको चैक करने के लिये । आज एग्ज़ीक्युटिव के एक्शन्स को चैक करने का दूसरा कोई तरीका नहीं है । लेजिस्लेचर लेजिस्लेशन पास करता है, लेकिन whether they are acting within the four corners of the law उसकी निगरानी जुडिशियरी करती है, जुडिशियरी अपने जजमेंट से, डिक्री से, ऑर्डर से एक्जीक्युटिव को फोर्स करती है, अकार्डिंग टू लॉ चलने के लिए, to behave according to law; लेकिन यह कहा जाता है आज बिल ला रहे हैं; "Not withstanding any thing to the contrary contained in the Act or in any other law for the time being in force or in any Judgment, decision decree or document but subject to the provisions of section 5."

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि क्यों ऐसा करें, why it should be from retrospective effect like this ? और हमेशा कोर्ट के जजमेंट को, डिक्री को इस तरह से वेलिडेट करें । इस तरह से सर्कम्वेन्ट करने की कोशिश करें, मैं समझता हूं It becomes mockery of Judiciary even. जुडिशियरी इसलिए बनाई गई है कि एग्ज़ीक्यूटिव को, whether they are going according to the law or not, उसको चैक करने के लिए । अब 'अकॉर्डिंग टू लॉ' एक्ट नहीं किया, और जुडिशियरी का जजमेंट आया, डिक्री आई why do you want to sircumbent it.........

(श्री पी० के० चौधरी)

आपने अकॉर्डिंग टू लॉ एक्ट नहीं किया। It has been challenged in the court and the court has given its decision... लॉ को मोडिफाई करना है; Dont' give it a retrospective effect.

तो इस तरह प्रोविज़न्स बनाना है, इसकी मन्शा मुझे साफ नहीं लगती है, "Notwith standing that the judgment or anytinng..." जजमेंट कोर्ट का होता है This is strictly according to law. You can modify it but you cannot undo it. और जो डिक्री, हाईकोर्ट का फैसला हुआ, उसको लेकर चलना पड़ा। मैं समझता हूँ कि आज पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी का यह जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, यह तीन चीजों को लेकर चला है लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, एग्ज़ीक्युटिव, इन तीनों चीजों को लेकर चला है, लेकिन अगर एग्ज़ीक्युटिव ओवर पावर्ड हो जायगी तो we are having for dictatorship and not for democracy. डेमोक्रेसी तब फंक्शन करती है when we give equal importance to all the three. एग्ज़ीक्युटिव इम्पोर्टेन्स देती है, लेजिस्लेशन के मुकाबले में मुकाबले में इम्पोर्टेन्स जुडिशियरी को देती है, every body within his sphere is supreme, लेकिन जिस दिन हम देखते हैं कि एग्ज़िक्युटिव में यह टेन्डेन्सी है, they assume all the powers in their hands, जैसी मर्जी चाहे, वह एग्ज़ीक्युटिव कर दे...

श्री अध्यक्ष : The Hon'ble member is not only having repetitions but also using words of mean taste.

श्री पी० के० चौधरी : Sir, I am objecting-

श्री अध्यक्ष : But use simple and dignified wordsa......

श्री पी० के० चौधरी ; These are all parliamentary words.

श्री अध्यक्ष : But of a very bad taste.

श्री पी० के० चौधरी : इसलिए मैं समझता हूँ कि यह जो बिल है, जैसा मैंने बताया कि इसमें प्रोविज़न्स ऐसे हैं जो कॉन्ट्रेडिक्टरी हैं और यह जरूरी है कि इसे सिलेक्ट कमेटी में दिया जाय और सिलेक्ट कमेटी इस पर विचार करके इसे पेश कर सकती है। इसमें जो प्रोविज़न्स रहते हैं, जिसमें डबल टैक्सेशन होता है, जो जुडिशियरी के जजमेंट को फ्लाउट करने की सोचते हैं, इसको सही ढंग से रख सकते हैं, इसलिए इसको सिलेक्ट कमेटी के सामने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्धनसिंह।

(अनुपस्थित)

और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सेल्स टैक्स असेसमेंट एण्ड रिकवरी वेलिडेटिंग बिल, १९५८ को विचारार्थ लिये जाने से पूर्व माननीय वित्तमंत्री महोदय ने कुछ बातों के ऊपर प्रकाश डाला। अच्छा होता कि वे सदन के सामने कुछ वे तथ्य भी प्रस्तुत करते जिनके कारण हमारी राजस्थान सरकार को अब इस कानून को बनाने की आवश्यकता पड़ी। मोटे रूप से उन्होंने कुछ बातें बतलाई। फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने उन बातों का केटेगरीकली विरोध किया और मैं

(श्री भैरोंसिंह)

समझता हूँ कि उस विरोध में कुछ तथ्य है । अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के कानून को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका एक छोटा सा इतिहास है । माननीय वित्तमंत्री जी ने जिस प्रकार से फर्माया कि कई राज्यों के अन्दर सेल्स टैक्स के विषय में अलग अलग प्रकार के कानून थे । जो डीलर्स स्टेट में नहीं थे, उन डीलर्स के ऊपर कई स्टेट्स ने टैक्स इम्पोज़ किया, कई ने वसूल भी किया । राजस्थान सरकार ने भी इस प्रकार की कार्यवाही की । इन सब बातों से परेशान होकर उस प्रकार के मामले को सबसे पहले बिहार में उठाया गया । बिहार में एक मामला हाई कोर्ट में गया । बंगाल अमेनिटीज़ कम्पनी ने बिहार सरकार के विरुद्ध हाईकोर्ट के अन्दर अपील दायर की और उसके बाद वह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया । सुप्रीमकोर्ट में आर्टिकल २८६ का इन्टर्प्रिटेशन हुआ और उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया कि कोई भी सरकार स्टेट के बाहर के किसी डीलर के ऊपर टैक्स इम्पोज़ नहीं कर सकती । जब सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार का निर्णय हुआ उसके बाद में लोक सभा के द्वारा एक कानून बनाया गया और जितना भी इस प्रकार टैक्स वसूल हो चुका था, उसको वेलिडेट करने की कार्यवाही की गई । कुछ दिनों के बाद सेन्ट्रल सेल्स टैक्स एक्ट लागू हुआ और उसके बाद परिस्थिति थी, वह परिस्थिति उस समय से लेकर १२ अक्टूबर, १९५८ तक उसी प्रकार से चलती रही । फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने स्वप्न का जिक्र करते हुए कुछ हमारी एग्ज़ीक्युटिव के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश की । इतने लम्बे समय के बाद राजस्थान सरकार की इस बात के लिए आंख खुली कि जो टैक्स इम्पोज़ किया है उस टैक्स को वेलिडेट करना है ।

अध्यक्ष महोदय, आज दो सिद्धान्त हैं, एक है कि राजस्थान सरकार ने जो पैसा इकट्ठा कर लिया है और दूसरा सिद्धान्त यह है कि जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा जिन्हें रिलीफ मिला, उनको अनडू करने का । अब दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं । माननीय वित्त मंत्री जी कहेंगे कि अगर इस टैक्स को को वेलिडेट नहीं करते हैं, तो जिन लोगों से वसूल किया है, वे लोग उसको वापिस लेने की दर्ख्वास्त पेश करेंगे । दर्ख्वास्तें पेश की भी हैं और वे ही दर्ख्वास्तें हैं जिनसे राजस्थान सरकार की आंखें खुली हैं और आंख खुलने के ऊपर उस टैक्स को वेलिडेट करने की कार्यवाही की जा रही है । वरना मैं समझता हूँ, शायद वे दर्ख्वास्तें पेश नहीं करते तो जो टैक्स वसूल हो चुका है, जिस पैसे के बारे में कार्यवाही हो चुकी है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अन्तर्गत अगर वे राजस्थान सरकार से किसी प्रकार का रिलीफ क्लेम नहीं करते तो मेरा ख्याल है कि वित मंत्रीजी गहरी नींद में सोये हुए रहते, उठने का सवाल नहीं था, स्वप्न आने का सवाल नहीं था । लेकिन मुझे इस बात के लिए उन डीलर्स को धन्यवाद देना पड़ेगा जिन्होंने राजस्थान सरकार के वयोवृद्ध वित मंत्री को स्वप्न दिलाने की कोशिश की और गहरी नींद से जगा भी दिया । लेकिन अब प्रश्न यह आता है कि इस प्रकार नींद खुलने के बाद क्या इस प्रकार का कानून बनाने की आवश्यकता है । अध्यक्ष महोदय, हम कोई कानून बनायें, कोई कानून लागू करें तो लागू करने के वक्त तक यह मन्शा रहे कि हम उस कानून को लागू इस प्रकार से करें कि उस कानून का दुरुपयोग न हो । उस कानून के अन्तर्गत

(श्री भैरोंसिंह)

जो अधिकार एग्जीक्युटिव को दिये हैं, उन अधिकारों का किसी प्रकार उल्लघंन न हो। इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है तो आज सरकार और नीति, सरकार का एग्जीक्युटिव विभाग और नीति निर्धारण करने का काम, मैं इन दोनों को थोड़ा भिन्न दृष्टि से लूंगा। सरकार की नीति निर्धारण करने का काम है, मैं समझता हूँ, सरकार के वयोवृद्ध नेताओं का और उन नीतियों को एग्जीक्यूट करने का काम है सरकार की एग्जीक्युटिव साइड का। अब सरकार की एग्जीक्युटिव साइड के कारण से राजस्थान सरकार के सामने समस्या पेश हुई कि जो हमने गलत ढंग से पैसा वसूल कर लिया है, वह गलत ढंग से वसूल हुआ है उसे ऐसा न मानें।

अब यह तो एक वही प्रश्न आ गया कि सरकार के द्वारा कोई गलती नहीं हो सकती और कोई गलती होतो है, कोई आदमी उस गलती का मुकाबिला करता है, उस गलती के फलस्वरूप किसी का कोई नुकसान हो गया है, उस नुकसान से बचने की वह कोशिश करता है तो सरकार उसे उस नुकसान से बचने भी नहीं देती। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार कोई भी काम करे, वह काम गलत करे या सही करे, सही करे वह तो सही है पर सरकार की तरफ से कोई काम गलत हो तो वह काम यदि उस समय गलत है तो दो महीने बाद उसे सरकार द्वारा सही किया जा सकता है। इस चीज को मैं समझता हूं, माननीय वित्त मंत्रीजी भी समझते हैं और सदन इससे अच्छी तरह जानकार है कि हम एक इस प्रकार की प्रजातान्त्रिक पद्धति में से गुजर रहे हैं कि जिसका कुछ देशों ने एक्सपेरिमेंट किया है, कुछ इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कुछ ने इसका एक्सपेरिमेंट करने के बाद मिलिटरी कोप लाने का निश्चय किया है। आये दिन हम समाचार-पत्रों में पढते हैं कि डेमोक्रेटिक कन्ट्रीज में मिलिटरी ऑफिसर्स जाकर इस डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्युशन को खत्म करते हैं और उसकी जगह फौजी तानाशाही का शासन लाते हैं। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि अभी अभी पड़ोसी देशों में जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को हिन्दुस्तान में भी इसलिये एप्रिशियेट किया है कि पाकिस्तान में जिस तरह की घटनाएं हुई वैसी घटनाएं हमारे यहां भी पनप सकती हैं। हो सकता है कि वैसा वातावरण हमारे यहां पैदा नहीं हुआ है।

१. २२. म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

ये जो घटनाएं घटी हैं उनका कारण यह है कि जितने डेमोक्रेटिक फंक्शन्स हैं, प्रजातान्त्रिक शासन लाना चाहते हैं उसका एकीकरण हो सकता है, उनका उपभोग करने का अधिकार जो लोगों को दिया हुआ है, उसका सब उपभोग नहीं कर सकते। हमारे यहां भी इस प्रकार की घटनाएं पनप सकती हैं, उसका प्रमाण है राजस्थान सेल्स टैक्स द्वारा जो गलत वसूली हुई, उस गलती को सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना। जिन लोगों को उस गलती के कारण नुकसान उठाना पड़ा वे लोग सुप्रीम कोर्ट में गये, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाने में उनको जो खर्चा उठाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने उस गलती को गलती माना, उस सुप्रीम कोर्ट में जाने के काम को, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किये गये फैसले को एक बिल द्वारा राजस्थान सरकार ने निरर्थक सिद्ध कर दिया तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं मजबूर होकर यही कहूंगा कि ऐसी स्थिति में जहां सुप्रीम कोर्ट में

(श्री भैरोंसिंह)

जाने पर भी लोगों को रिलीफ नहीं मिल सकता तो राजस्थान के रेवेन्यु मिनिस्टर, राजस्थान के वित्त मंत्री भारत सरकार को यह सुझाव दें कि इस प्रकार के केसेज़ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में न लिये जायं। यदि ऐसे केसेज़ सुप्रीम कोर्ट में गये और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ जजमेंट भी दे दिया तो हम इस प्रकार के जजमेंट को एप्रिशियेट करने वाले नहीं हैं। पार्लियामेंटरी इन्स्टीट्यूशन जिसमें हमारा बहुमत है उस बहुमत के बल पर हम उस डिसीज़न को निरर्थक साबित करने वाला बिल ले आयेंगे और वह बिल पास करके उस डिसीज़न को निरर्थक साबित कर देंगे।

सुप्रीम कोर्ट में जाने का यह मतलब है कि एग्जीक्युटिव द्वारा डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्युशन्स के उसूलों का यदि हनन किया जाय, संविधान में दिये हुए अधिकारों का उल्लंघन हो तो उस उल्लंघन से रिलीफ पाने के लिये एक आदमी हाईकोर्ट की शरण में जाता है, सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाता है, उस शरण में गये हुए व्यक्ति को खर्चा करना पड़ता है, ? और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको रिलीफ पहुँचाने का फैसला होता है तो इस सब को निरस्त करने के लिये हम एक छोटा सा संशोधन कानून में लाकर उसे सारे लाभ से वंचित कर दें, इसे किसी भी प्रकार न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। वित्त मंत्रीजी कहेंगे कि एक प्रकार का टैक्स वसूल कर लिया, इस प्रकार का कानून नहीं बनता है तो इसका मतलब यह होगा कि वसूली की है वह वापिस दी जाय और अगर वह दी जाय तो राजस्थान के बजट पर उसका असर पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि जो पैसा वसूल किया गया है उसको वापिस लौटाया जाय तो हमारे कन्सोलिडेटेड फंड पर उसका प्रभाव पड़ने वाला है, पर यदि अनियमित रूप से कोई रकम कन्सोलिडेटेड फंड में इकट्ठी हो जाय, उसको हम हजम करने की कोशिश करें तो इसे कहां तक न्यायसंगत कहा जा सकता है ? डाका डालना, चोरी करना अपराध है, एक आदमी की जेब में से दूसरे आदमी ने चोरी से नोट निकाल लिये, वह आदमी कोर्ट में गया और कोर्ट ने फैसला दिया कि उसने चोरी से उस व्यक्ति की जेब से नोट निकाले हैं वह उसे वापिस दिये जायं, इस पर सरकार कानून बना दे कि उसने बिना पूछे उस व्यक्ति की जेब से जो नोट निकाले हैं वह चोरी होते हुए भी जायज है, इसी तरह सरकार द्वारा गलत तरीके से जो पैसा वसूल किया गया उसके लिये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि वह गलत तरीके से वसूल किया गया है उस फैसले को निरर्थक सिद्ध करने के लिये इस प्रकार का कानून पास करते हैं तो यह तो वही स्थिति हुई।

जो पैसा हमें वसूल नहीं करना चाहिये था उसको गलत तरीके से सन् १९५५ में वसूल कर लिया और सन् १९५८ में उस गलत टैक्स को वाजिब साबित करने के लिये सदन में एक संशोधन बिल पेश करें तो यह हमारे यहां जो प्रजातान्त्रिक पद्धति का परीक्षण हो रहा है उसके लिये यह कदम घातक सिद्ध होगा। १२ अक्टूबर, १९५५ को सरकार को जानकारी हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया था, अब तक हमारी सरकार की आंख क्यों नहीं खुली ? यदि उसके तुरन्त बाद कोई संशोधन बिल आता तो हम समझते कि हमारी राजस्थान सरकार या राजस्थान सरकार का सम्बन्धित विभाग सतर्क है और इससे परिचित है, कोई कार्यवाही हो उसके सम्बन्ध में परिचित होकर

(श्री भैरोंसिंह)

हमारी सरकार इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिये उतारू है । पर आज भी जैसा कि जिक्र आया, पिछली बार विधान सभा में जिक्र आया, कोई कानून बनायें, भविष्य में कानून लागू करें तो बहुमत के आधार पर, कई लोगों को एग्जेम्प्ट किया जाय, बहुमत से निर्णय होता है सारे समाज और प्रान्त के लिये, तो हम उसका स्वागत करेंगे क्योंकि हमारे डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन ने निर्णय लिया है, पर जो गलती हमने कर दी, जो हमें वसूल नहीं करना चाहिये था उसको वसूल कर लिया, इस सिद्धान्त को हम स्वीकार करते हैं कि गलती से वसूली की, पर चूंकि पैसा हमारे पास आ गया, वह पैसा हमसे कोई छीन न ले ऐसी व्यवस्था कानून में करते हैं तो यह कहां तक न्यायसंगत कहा जा सकता है ? १२ अक्टूबर, ५८ को वित्त मंत्री ने या राजस्थान सरकार ने राज्यपाल से ऑर्डिनेन्स पास कराया, फिर जो बिल पेश किया गया वह स्पष्ट नहीं है । एम्स एण्ड ऑब्जेक्ट्स में लिखा है, "Doubts have been expressed"; तो इसके बारे में जो व्यवस्था कर रहे हैं उसके बारे में सरकार की स्पष्ट नीति नहीं है । यदि सरकार को स्पष्ट जानकारी होती तो "Doubts have been expressed" नहीं आता, बल्कि क्लियरकट केस पेश होता । डाउट्स के लिये ऑर्डिनेन्स पास हो गया और उस ऑर्डिनेन्स को बिल बनाने की, कानून बनाने की कोशिश की जा रही है । जो राजस्थान के रहने वाले नहीं हैं, बाहर के व्यापारी हैं, डीलर्स हैं वे राजस्थान को माल भेजते हैं तो उन पर यह टैक्स लगाया जाय या जो राजस्थान के व्यापारी हैं जिनको उन्होंने गुड्स डिलीवर किये हैं उनके ऊपर यह टैक्स लगाया जाय, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि जो दूसरी स्टेट्स के डीलर्स हैं उन पर हम टैक्स इम्पोज़ नहीं कर सकते तो जो बाहर के डीलर्स हैं उन पर टैक्स नहीं लगा सकते । अब प्रश्न आता है कि यहां डीलर्स हैं उन्होंने बाहर के लोगों को माल दिया, तो क्या उन पर टैक्स लगाना चाहिये या नहीं ? फर्स्ट स्टेज में सेल्स टैक्स इम्पोज़ होना चाहिये, वह काम पूरा नहीं हो सकता । हमारे यहां के डीलर ने बाहर वाले से डिलीवरी ली है, उस पर यह टैक्स इम्पोज़ नहीं हो सकता, हमारे यहां के डीलर्स ने बाहर वाले को राजस्थान से बाहर डिलीवरी दी है तो वहां भी राजस्थान सरकार टैक्स इम्पोज़ नहीं कर सकती तो इस स्थिति में इस सारी कार्यवाही को वैध करने के लिये यह कानून पेश किया गया है ।

माननीय उपाध्यक्ष, अब प्रश्न यह आवेगा कि इस ऑर्डिनेन्स को इश्यु करने की जरूरत क्यों पड़ी ? अभी सदन में फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं और मैं समझता हूँ कि राजस्थान के वित्त मंत्री इस बात को सबसे पहले स्पष्ट करेंगे कि इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स को लाने की एकदम आवश्यकता क्यों पड़ी और वह भी इतने दिनों बाद क्यों हुई । जब कि इससे पहले राजस्थान विधान सभा की दो बैठकें हो चुकी थीं और यह उन दो बैठकों में पास हो सकता था । क्या उस समय राजस्थान सरकार की जानकारी में यह नहीं था कि अप्रेल से सितम्बर, १९५५ तक जब टैक्स वसूल किए गए तो उसकी वसूली करने का अधिकार नहीं था ? अब यह प्रश्न आता है कि जानकारी आपको कब हुई और जानकारी होने के कितने दिनों बाद आपने यह ऑर्डिनेन्स इश्यू किया ? जिस तारीख को

(श्री भैरोंसिंह)

आपको जानकारी हुई होगी उससे कुछ समय बाद महीने, दो महीने का समय तो राज्यपाल महोदय से कोरस्पोन्डेन्स करने आदि में लग सकता है, इसलिए अगर दो महीने पहले भी आपको सूचना मिली हो तो भी इतने दिनों तक आपका संबन्धित एग्ज़िक्युटिव डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, आपका लॉ डिपार्टमेंट क्या कर रहा था ? क्या Bengal. (अश्रव्य) जजमेंट दिया उसके बाद में जिन जिन राज्यों में सेल्स टैक्स लागू है, उन पर प्रभाव पड़ा, उन सबको लॉ डिपार्टमेंट स्टडी कर रहा था या सारे केसेज़ को देख रहा था या नहीं ? लॉ डिपार्टमेंट ने समय पर सुझाव दिया या नहीं ? हो सकता है कि आज इस प्रकार की विशेष परिस्थितियां उपस्थित हो गई हों जिससे उसको न्यायसंगत कराने की कोशिश करें ! मगर इस बात के लिए कि भविष्य में इस प्रकार की गलती न हो किसी को इसके लिए दंड दिया गया; मैं उचित दंड की बात इसलिए कहता हूं कि आज हम प्रजातन्त्र के युग में से गुजर रहे हैं, आज एक महीने पहले कानून लागू किया जा रहा है जब कि एक महीने बाद असेम्बली का अधिवेशन शुरू होने वाला है। मैं नहीं कह सकता कि इसके पीछे क्या भावना है ? मैं समझता हूँ कि यही भावना हो सकती है कि विधान सभा में सदस्यों को अधिकार है कि वे संशोधन लावें और उसके बाद उसको पास करें। मगर जिस समय सरकार उसको ऑर्डिनेन्स के जरिये पास कर देती है तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिये, यह भावना रहती है। यह राजस्थान विधान सभा का इतिहास है। राजस्थान सरकार जो ऑर्डिनेन्स इश्यु करती है उसमें विधान सभा में उस पर किसी प्रकार के संशोधन नहीं होते, चाहे वे कितने ही वाजिब संशोधन क्यों न हों, मगर उनको ठुकराया जाता है और वे पास नहीं किये जाते। इसलिये राजस्थान विधान सभा के सारे अधिकार एक तरह से राज्यपाल के द्वारा सरकार ने अपने हाथ में ले लिये हैं। हम मानते हैं कि राज्यपाल को संविधान में अधिकार दिये गये हैं, मगर किन किन परिस्थितियों में उनका उपयोग हो, चाहे संविधान में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख न हो लेकिन कुछ बातें ऐसी होता हैं जिनका नियमों में उल्लेख नहीं होती। कुछ प्रजातन्त्र की बातें ऐसी होती हैं जिनका कानूनों व नियमों में उल्लेख नहीं होता, लेकिन उनको लागू करने के लिये कुछ परम्पराएं होती हैं और उनके अनुसार उनको लागू करना होता है। मुझे इस बात का खेद है कि राजस्थान में गलत परम्पराएं कायम की गई हैं। आज यह हो रहा है कि यदि किसी प्रकार का ऑर्डिनेन्स पास कराना होगा तो वह इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे कि कब विधान सभा की बैठक हो रही है, हो रही है या नहीं, वे गवर्नर के पास एक स्टेटमेंट पेश करेंगे कि विधान सभा की बैठक नहीं हो रही है, इसलिए ऑर्डिनेन्स जारी किया जाए। इस प्रकार की बातें जो हो रही हैं उसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय से साफ तौर से कहूंगा कि वे जब कभी कहीं जाते हैं तो प्रजातन्त्र की दुहाई देते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। मैं समझता हूँ कि उन जैसे व्यक्ति के लिये जो प्रजातन्त्र की दुहाई देते हैं और उसके अधिकारों की व्याख्या करते हैं और वातावरण बनाते हैं, उन्हें इस प्रकार की कार्यवाही को कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिये।

अब प्रश्न यह पैदा होता है कि राजस्थान

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार को काफी रुपया लोगों को देना होगा। मैं मानता हूं कि वास्तव में देना होगा और हो सकता है कि राजस्थान सरकार को १० या २० लाख का घाटा हो, जो मैं समझता हूँ कि है नहीं। हो सकता है कि वे यह कहें कि एक करोड़ का घाटा है। प्रश्न घाटे का नहीं हैं, प्रश्न है सिद्धान्त का। मैं समझता हूं कि संभवत: १० लाख का भी घाटा है नहीं। मान लिया जाए कि १० लाख का घाटा है तो एक तरफ तो १० लाख के घाटे की बात है और एक तरफ प्रजातन्त्र के मूल सिद्धान्तों की बात है। मैं समझता हूं कि सिद्धान्तों के मामले पर कोई १० लाख रुपयों की चिन्ता नहीं करेगा। जहां पर हम प्रजातन्त्र के अधिकारों की रक्षा करने जा रहे हैं उनकी तुलना में ये लाख रुपये कोई कीमत नहीं रखते। इसलिए मैं समझता हूं कि यदि इसी तरह से ऑर्डिनेन्सेज़ पास होते रहे तो मैं समझता हूं कि न तो विधान सभा का उपयोग होगा और न जिस प्रकार का रिलीफ हम जनता को देना चाहते हैं वह मिल सकेगा। जो प्रजातन्त्र में जनता को मौलिक अधिकार मिलें हैं उनकी रक्षा नहीं होगी। मैं तो यह कहूंगा कि एक दिन वह आवेगा कि राजस्थान का बच्चा-बच्चा यह कहेगा कि प्रजातन्त्र में हमको विश्वास नहीं है। आज कई स्थानों पर प्रजातन्त्र को ठुकराया जा रहा है। हम यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र ठीक ढंग से चले , । जनता में इस पर विश्वास हो।

इसके अलावा आज हम यह देखते हैं कि जितने भी ऑर्डिनेन्सेज़ सरकार द्वारा पास किये जाते हैं वे रिट्रोस्पेक्टिवइफंक्ट से पास किये जाते हैं। समझ में नहीं आता कि यह ऐसा क्यों किया जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस सदन को आपके जरिये सूचना देना चाहता हूँ कि यह बिल आप अपने बहुमत के आधार पर पास कर रहे हैं। आप कर सकते हैं, मगर एक दिन वह भी आ सकता है, मैं समझता हूँ कि जिन कारणों से आज हम विरोध कर रहे हैं उन तरीकों का उल्लंघन करके कुछ ऐसे तरीके हाथ में ले लें जिससे सरकार को समझा दिया जावे। मैं मानता हूं कि बहुमत में आज आप हैं, विरोधी पक्ष में आज मत कम हैं, मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि यह मूल विचारधारा का प्रश्न है। हम बहुमत के आधार पर मूल चीज को ठुकरा नहीं सकते। चाहे एक हो चाहे ५७ हो, चाहे ११६ हो। यहां पर मूल विचारधारा का प्रश्न आवेगा। हमारी सरकार बहुमत के आधार पर जिस भाषा में उसको स्वीकार करेगी उसको मंजूर करना होगा। मगर उसका नतीजा क्या होता है? मैं जब कभी बाहर जाता हूँ और वकीलों से बातें करने का मौका मिलता है तो वकील लोग एक राय से कहते हैं कि यदि हमने इसको हाईकोर्ट में चैलेंज भी किया और किसी भी तरह से इसको गलत करार दे दिया तो राजस्थान सरकार दूसरा कानून बनावेगी और वह कानून उस दिन से लागू करेगी जिस दिन वह गलती मालूम हुई है और वह गलती उसी दिन से दुरुस्त समझी जावेगी जिस दिन से हाई कोर्ट से चैलेंज की गई। इसका मतलब यह होगा कि हम लोगों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने से वंचित रखना चाहते हैं और कोई व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में न जावे और किसी तरह से कानून को चुनौती न दे, तो इसका जो असर होने वाला है उसको हम कानून के जरिये खत्म कर देंगे तो इसका इनडाइरेक्ट मतलब यह

(श्री भैरोंसिंह)

होता है कि कोई व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में न जावे।

अब ऑर्डिनेन्स भी पेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मैं ऐसा समझा हुआ था कि राजस्थान सरकार राजस्थान हाईकोर्ट के जो जजमेंट होते हैं उसको मानने की हिम्मत करती है, लेकिन मेरी चिन्ता यह सुन कर और भी बढ़ गई कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जरिये भी लाभ उठाने की कोशिश करते हैं तो राजस्थान सरकार यह कोशिश करेगी कि उस कानून के अन्तर्गत उनको कोई रिलीफ न मिले। इन शब्दों के साथ तीन बातों को रख कर, इसका विरोध करते हुए मैं कहूँगा कि इस ऑर्डिनेन्स की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी कहा है। मैं समझता हूँ और चाहता हूँ कि माननीय वित्त मन्त्रीजी अपने एक्सप्लेनेशन में यह साफ करें कि इस प्रकार का वेलिडेशन एक्ट लाने में जो देरी हुई है उसके जिम्मेदार कौन हैं? केवल १२ दिन के फासले पर राजस्थान विधान सभा में इसको पहले पास कर लिया जाता तो सरकार के सामने ऐसी कौन सी विशेष परिस्थिति थी उससे भी सदन को परिचित कराये। १२ दिन के समय का इन्तजार नहीं कर सके और उसे उनको पहले पास कर देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में लोगों को जजमेंट से लाभ मिलता है, उनको सुप्रीम कोर्ट में जाने का हक रहता है, उस पर सरकार द्वारा कुठाराघात करना, उस कार्यवाही को सरकार के द्वारा अनडूयू करने का मैं विरोध करता हूँ।

तीसरा प्रश्न आयगा कि आज इस परिस्थिति में थोड़े से रुपयों के लालच में आकर जिस कार्यवाही के अन्तर्गत लोगों को रुपया वापिस मिलने का हक मिलता है उसको छीनना चाहते हैं। इसका मैं विरोध करता हूँ। राजस्थान में सेल्स टैक्स की जैसी गति होनी चाहिये, वैसी नहीं है। उदयपुर की तरफ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी सेल्स टैक्स का विरोध किया। मुझे खुशी है कि इस विधान सभा के उधर के माननीय सदस्य भी सेल्स टैक्स की बुराइयों को समझने लगे हैं। सेल्स टैक्स लागू करने में भारत सरकार ने निर्णय लिये हैं, उन्होंने भी महसूस किया है कि जिस तरह से सेल्स टैक्स वसूल कर रहे हैं उससे ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए फर्स्ट पोइन्ट के स्थान पर, फर्स्ट या सेकिन्ड पोइन्ट पर, डीलर्स पर, टैक्स इम्पोज़ न करके जहां से उत्पादन होता है, जो उत्पादनकर्ता हैं उन्हीं पर वह टैक्स इम्पोज़ कर दिया जाय। कन्ज्यूमर्स पर तो वह टैक्स आयगा ही, उनको तो भुगतना ही पड़ेगा। सेल्स टैक्स की वसूली की जो गति है उसके बारे में सरकार को कोई चिन्ता नहीं है लेकिन जो सरकार द्वारा गलतियां कर दी गई हैं उनको दूर करने में ही वह चिन्तित है। मैं समझता हूँ कि गलतियां दूर करनी चाहिये। मान लीजिये कि माननीय वित्त मन्त्रीजी ने किसी व्यक्ति को एक लेटर लिख कर इलेक्शन में सहयोग दिया।.......

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble member will not refer to the past debates.

श्री भैरोंसिंह : मैं तो एक उदाहरण दे रहा था। उन्होंने एक व्यक्ति को एक पत्र लिख दिया इलेक्शन में सहयोग देने का और आज कह दें कि वह लिख दिया तो गलती को दुरुस्त करना हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : He will not drag that issue in that debate.

श्री अर्जुनदास : This is a past incident and not a reference to the past debate.

श्री भैरोंसिंह : मैं तो एक उदाहरण दे रहा था कि टैक्स वसूल करने को यदि सही माना जाय तो पत्र लिख दिया; तो उसको भी सही माना जाय।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : लेकिन टैक्स वसूल किया हो तो।

श्री भैरोंसिंह : टैक्स वसूल किया, इसीलिए तो वैलीडेशन एक्ट लाने की आवश्यकता पड़ी।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता था कि आप अब समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आप तो और शुरू कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह माननीय वित्त मन्त्री महोदय का पिय सब्जेक्ट है। वे सदन में कभी कभी पधारते हैं और तो याददाहनी हो ही जाती है।

प्रश्न यह है कि जो बिल पेश किया गया है उसका मैं सिद्धान्त: विरोध करता हूँ और सदन से अपील करूंगा कि इस तरह का बिल पास करने की आवश्यकता नहीं है। वह बिल रिजेक्ट हो, इस कार्यवाही में सदन सहयोग दे।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble member in charge of the Bill.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सदन में जो इस विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं, मैं उनका विरोध करता हूँ। विरोध करने का कारण यह है कि इसके विचार के दौरान में माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि असली लक्ष्य...

श्री उपाध्याय ; I disallow the congregation.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : असली भाव जो इस विधेयक के हैं उसकी तरफ से माननीय सदस्यों का ध्यान हट गया है या कम रहा और दूसरी ओर उनके आस–पास घूमने वाली बातों पर अधिक ध्यान गया और उन्होंने वे ही बातें बतायीं। सवाल असल में यह है कि सेल्स टैक्स लागू था तो सेल्स टैक्स एक दफा लगना और एक दफा ही देना चाहिये अगर डबल लगाया गया और दिया गया तो यह गैर वाजिब है और अनैतिक भी है। इसमें जो दलील उठायी गई वह यह है कि हमने अनुचित तौर पर वसूल किया। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि सेल्स टैक्स अब तक वसूल किया गया वह किसी भी एक पोइन्ट पर एक दफा वसूल किया गया और दो दफा किसी से वसूल नहीं किया गया। यदि दो दफा वसूल किया गया है तो वह आपत्तिजनक है और यदि उसके उदाहरण दिये जायं तो वह रिफन्ड किया जा सकता है। थोड़ी देर के लिए यह मान लें कि अगर विभाग की थोड़ी सी असावधानी के कारण देर हुई है तो उसका लाभ वे लोग उठाना चाहते हैं जिनको टैक्स देना वाजिब है। बाहर वाले लोग यह प्ली लेते हैं कि माल भेजने वाले जो लोग हैं या आपकी रियासत में जिनको बेचा है उनसे सेल्स टैक्स वसूल कीजिये और यहां वाले यह कहते हैं कि उन्हीं से लीजिये,

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

जब कि यहां वालों ने ग्राहकों से वसूल किया है और वह उनको देना चाहिये। अब तक यह था कि बाहर वालों से वसूल करते। अब उन्हीं को जिम्मेदार मानना चाहते हैं इस संशोधन के द्वारा कि जिन्होंने ग्राहकों से वसूल कर लिया और उन्हीं से यह वसूल करना भी चाहिये, इसमें कौन सी गैरवाजिब बात हुई, यह बताइये। मैं मानता हूँ कि सन् ५५ से ५७ तक कार्यवाही चली, वह थोड़ी जल्दी की जा सकती थी और थोड़ी कठिनाई से बच सकते थे। इससे कठिनाई यही हुई न कि यदि सन् १९५५ में यह कानून सरकार बना देती तो देना पड़ता ही। फर्क इतना ही रहा कि कानून तब न लाये और अब लाये। यह तो अपका आक्षेप हुआ। असावधानी सरकार की मान भी लेनी चाहिये तो उन लोगों को लाभ क्यों उठाने देना चाहिये, वह उचित है क्या और माननीय सदस्यों को उसमें सहयोग देना चाहिये क्या, क्या यह उचित है? मैं ऐसा मानता हूं कि वह उचित नहीं है। यदि दुबारा लिया है तो ठीक नहीं है और नहीं लिया है तो मैं मानता हूँ कि यह लिया जाना वाजिब है और लिया जाना चाहिये। प्रजातान्त्रिक तरीकों की बात कही गई, मैं उसको मानता हूँ। उससे भी ज्यादा प्रजातान्त्रिक बात यह है कि टैक्स उन लोगों से लिया जाना चाहिये जो महज इस-लिये कि कानून न था इसलिये बच गये। प्रजातान्त्रिक तरीके बड़े हैं और ये हैं कि राज्य की सम्पत्ति की चोरी न करें और अनुचित रीति से बचत न करें और उसमें सहयोग न दें। इसके अलावा और भी कई बातें इस सिल-सिले में उठायी गई; उनके बारे में मैं थोड़ी सफाई कर देना चाहता हूँ। एक माननीय सदस्य ने यह पोइन्ट उठाया था कि सेल्स-टैक्स के बारे में सलाह देने के लिये जो कमेटी बनायी गई है उसमें सेल्स टैक्स के अनुभवी नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने इस सेल्स टैक्स प्रणाली के बारे में जो कठिनाइयां पैदा होती है उनका भी दिग्दर्शन कराया। हम सब और केन्द्रीय सरकार भी यह महसूस करती है सेल्स टैक्स वसूल करने में काफी पेचीद-गियां हैं उसमें जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमने भी ऐसा अनुभव किया था और इसीलिये इस सम्बन्ध में पहले से ही एक कमेटी बना दी थी। उस कमेटी में विशेषज्ञ नहीं, यह जो कहा गया, मैं सम-झता हूं यह ठीक नहीं है। उस कमेटी में सेल्स टैक्स के जानकार हैं। आपकी जानकारी के लिये निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जो कमेटी बनाई गई उसमें श्री जसवन्तराज मेहता एम० पी० हैं, महेशप्रसाद भार्गव जो टैक्सेशन और बार एसोसियेशन के चेयरमैन हैं, उनके लिये यह नहीं कह सकते कि टैक्सेशन में ये माहिर नहीं हैं।

श्री मनोहर कोठारी : सेल्स टैक्स की प्रेक्टिस करते होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : We are not concerned with it whether they are practising or not.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : (जारी रखते हुए) श्री अनोपचन्द सेठी चेम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से मनोनीत किये गये हैं। इनके अलावा सर्विस के दो लोग हैं; एक तो श्री रामसिंह अतिरिक्त वित्त सचिव और दूसरे टैक्सेशन कमिश्नर। मैं नहीं समझ सकता कि इसमें ऐसे कौन से सदस्य लिये हैं जो इस विषय का ज्ञान नहीं रखते और राजस्थान सरकार को सलाह नहीं दे सकते।

तीसरी बात ऑर्डिनेन्स के बारे में कही गई। इस बारे में मैं यह निवेदन कर देना...

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

चाहता हूँ यद्यपि इस सिलसिले में ढील हुई है तो भी सरकार ने आखिरी लिखा-पढ़ी होने के बाद यह ऑर्डिनेन्स का रास्ता अख्तियार किया था, कुछ दिनों पहले ही भारत सरकार से इस बारे में स्वीकृति प्राप्त हुई थी, इसलिये ऑर्डिनेन्स बनाना जरूरी हो गया। कुछ लोग हाई कोर्ट में रिट लेकर गये थे तब तक यह स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि इसका वैधानिक और कानूनी रूप क्या है ? जैसे ही ध्यान में आया और भारत सरकार से अनुमति मिल गई, फौरन ही कार्यवाही करना जरूरी समझा गया और ऑर्डिनेन्स निकाला गया। इस बारे में जगस जगह कार्यवाहियां हो रही हैं और इसमें जनता का पैसा और सरकार का पैसा व्यर्थ में खर्च हो रहा है, वह बच जाय, क्योंकि सरकार तो इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट थी कि टैक्स देना वाजिब है, जो इससे बचने के लिये कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं, उनका भी पैसा जाता, समय जाता। मैं तो यह मानता हूं कि इस प्रकार का ऑर्डिनेन्स निकाल कर न तो प्रजातन्त्र और न विधान-सभा के अधिकारों का अपहरण किया है बल्कि उन व्यापारियों की सहायता की है....

श्री भैरोंसिंह : १२ तारीख को ऑर्डिनेन्स इश्यु न होकर २४ तारीख को असेम्बली द्वारा कानून लागू कर दिया जाता तो इतने दिनों में व्यापारियों को क्या हानि हो जाती, वह भी कृपया बता दीजिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : (जारी) यह तो माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि जिनके साथ में डिसीज़न होता है कई परिस्थितियों पर विचार करके समय पर उनको निर्णय लेना पड़ता है। आपको इस बात की शिकायत हो सकती है कि आपके अधिकारों का अपहरण किया गया है, लेकिन आप यह देखिये कि किस उद्देश्य से किया गया है ? अगर उद्देश्य ठीक है, सही है तो आपको इस बात के लिये जोर नहीं देना चाहिये कि ऑर्डिनेन्स क्यों निकला गया ? अव्वल तो आपको यह शिकायत थी कि १९५५ से अब तक क्यों सोते रहे और जब हमने जल्दी किया तो आप कहने लगे कि ऑर्डिनेन्स क्यों निकाला ? इस प्रकार दोनों तरह से तो आप हम पर आरोप नहीं कर सकते........

श्री भैरोंसिंह : अब भी जल्दी जग गये! तीन वर्ष तक तो सोते रहे....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं समझता हूँ कि मैंने जिन बातों का जिक्र किया माननीय सदस्य ऑर्डिनेन्स के औचित्य को स्वीकार करेंगे और जो विधेयक इस समय लाया गया है, हो सकता है उसमें सरकार की कमी समझ लीजिये, गलती समझ लीजिये लेकिन इसका मतलब तो यह नहीं कि जिन लोगों ने अनुचित लाभ उठाना चाहा है उन्हें अनुचित लाभ उठाने दिया जाय। इन उद्देश्यों के साथ जो यह विधेयक रखा गया है वैसी हालत में न तो इसे प्रवर समिति में भेजने की जरूरत है और न जनमत जानने के लिये प्रसारित करने की आवश्यकता है। १९५७ के बाद तो कानून बन गया है। उसके बाद का तो प्रश्न नहीं है, इसके पहले का सवाल था उसके बारे में यह निर्णय लिया गया है। इससे रजिस्टर्ड डीलर पर कोई अनुचित बोझा पड़ जायगा, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये।

श्री मनोहर कोठारी : जो रजिस्टर्ड डीलर्स थे उनका सवाल था।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो विधेयक

Page No.58

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

लाया गया है उसमें १९५५ से लेकर मूल बिल आया है तब तक का जिक्र है।

श्री भैरोंसिंह : १ अप्रैल, १९५५ से ३१ मार्च १९५५ तक के टैक्स को वैलिड कर रहे हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : शुरू से कर रहे हैं जब से यह कानून बना है। १९५४ और ५५ के बीच में भी केसेज़ हुए हैं तो उन पर भी यह लागू होगा। मैं समझता हूं, मेरे इतने स्पष्टीकरण के बाद माननीय सदस्यों को अब कोई भ्रम नहीं रह गया होगा, व्यापारियों पर अनुचित रूप से बोझा लाद दिया गया हो, यह बात नहीं है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार की किसी प्रकार भी बोझा डालने की नीति नहीं है। अगर इस बारे में कुछ सवाल रह गये हों तो वे हमारे ध्यान में लावें, हम उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। जो लोग अनुचित रूप से फायदा उठाना चाहते थे उनको हम उठाने देना नहीं चाहते और मैं इसमें माननीय सदस्यों का भी सहयोग चाहता हूँ।

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उससे मुझे बिल्कुल भी संतोष नहीं है। राजस्थान में जो रजिस्टर्ड डीलर्स हैं उन्होंने क्या गुनाह किया है ? जिनके पास रजिस्टर्ड नम्बर मौजूद हैं उनसे भी आप बिक्री कर वसूल करना चाहते हैं, उन्होंने क्या गुनाह किया...

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : क्या उनसे दुबारा टैक्स लिया जा रहा है, अगर ऐसे कोई उदाहरण हों तो बताइये ? जिनकी आप पैरवी कर रहे हैं क्या उनसे टैक्स लिया गया है ?

ड० बहादुरसिंह : दुबारा तो टैक्स देना ही होगा, इसमें जो प्रोविजन दिया उसके अनुसार।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसमें जो प्रोविजन दिया गया है उसके अन्तर्गत किसी से दुबारा टैक्स वसूल हो रहा हो तो बताइये ?

श्री उपाध्यक्ष : जिस समय आप प्रश्न पूछें उस समय पूछ लीजियेगा।

श्री भैरोंसिंह : जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि आप जिनकी पैरवी करते हैं, आप किनकी पैरवी करते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : I mean the (अश्रव्य) of the cause in the House.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कहने का मेरा मतलब यह था कि जिस किसी वस्तु की या चीज की बात कर रहे हैं उससे था, न किसी व्यक्ति-विशेष से।

डॉ० बहादुरसिंह : आपने क्लॉज पांच में रखा है कि ऐसी कोई अदत्त रकम हो उसको वसूल किया जायगा, एक तरफ तो आप वसूली करने का आदेश देते हैं और दूसरी तरफ....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! माननीय मंत्री ने जो आश्वासन दिया, उससे सन्तोष कर लेना चाहिए।

२ म० प०

डॉ० बहादुरसिंह : (जारी) इसमें यह करना था कि क्लॉज ३ ए में से १. 'Is or.'

(डॉ बहादुरसिंह)

निकाल देना चाहिए, तब सन्तोषजनक हो जाता है। क्योंकि जब अनरजिस्टर्ड डीलर हैं उससे व्यापारी माल खरीद ले तो सेल्स टैक्स फर्स्ट पोइन्ट कर लेता है जो न्यायपूर्ण है। इससे हमें सन्तोष होगा और समारा समर्थन सरकार के साथ रहेगा। लेकिन अगर रजिस्टर्ड डीलर है और उनसे यहां के डीलर ने माल खरीदा तो आपके विभाग में इतनी हिम्मत नहीं कि उस रजिस्टर्ड डीलर से टैक्स वसूल कर सके। आपने पांचवें क्लॉज द्वारा "If, for any period till the sixth day of Sept. 1955 a dealer such as is referred to in cluse'a)of Section 3 shall have been assessed to the tax leviable under the Act..."

जो बकाया रह जायेगा उसे इस कानून के अनुसार उससे वसूल करेंगे और अगर नहीं देगा तो पी० डी० आर० के तहत कार्यवाही करेंगे तो दुनिया भर का दिवाला उसका तो निकल गया।

ऐसी सूरत में 'is order' निकाल दीजिए। सारा झगड़ा ही खत्म हो जावेगा तीसरे क्लॉज के 'ए' में से।

इस तरह से आप आगे संशोधन कर लेंगे, इस आशा में मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा सदन से चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री बहादुरसिंह जी ने प्रस्तुत किया कि विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जावे उसको वापिस लेने की उनको आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के सम्मुख एक संशोधन प्रस्ताव इस बिल को प्रवर समिति के सम्मुख भेजने के संबंध में प्रस्तुत किया था। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय ने सदन में जो जवाब दिया है उसके आधार पर भी मैं समझता हूँ कि एक मुद्दा तो अस्पष्ट ही है और वह यह है कि इस बिल के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो रजिस्टर्ड फर्म है, पर बाहर की है, उससे यदि किसी राजस्थानी डीलर ने या अनरजिस्टर्ड फर्म द्वारा माल खरीदा है तो उसके जिम्मे जो सेल्स टैक्स लेना है वह राजस्थान के रहने वाले से जिसने माल खरीदा है और जिससे उस रजिस्टर्ड फर्म ने एक बार सेल्स टैक्स वसूल कर लिये जाने के बाद भी दुबारा टैक्स वसूल कर लिया जावेगा।

मैंने अपने पहले वाले वक्तव्य में बताय कि कुछ ऐसे राजस्थान के बाहर के व्यापारी हैं जिन्हें राजस्थान सरकार ने राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट के अन्तर्गत यहां रजिस्टर्ड किया। और उससे अगर किसी राजस्थानी व्यापारी ने माल खरीदा है तो उससे तो उस रजिस्टर्ड फर्म ने सेल्स टैक्स वसूल कर लिया है। राज्य सरकार इस कानून के अन्तर्गत उस राजस्थान के व्यापारी से दुबारा टैक्स वसूल करेगी क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला हो चुका है कि राज्य सरकार प्रान्त से बाहर-वाले व्यापारी से टैक्स वसूल नहीं कर सकती इसका प्रभाव उन राजस्थान में रहने वाले व्यापारियों पर पड़ेगा और निश्चित तौर पर

(श्री मनोहर कोठारी)

पड़ेगा ऐसी मेरी मान्यता है ।

ऐसी स्थिति में जब धारावाहिक विचार होगा इस पर, उस समय इस बारे में कोई संशोधन किया जा सकता तो ठीक है, पर वित्त मंत्री महोदय स्पष्ट बता रहे हैं कि उनकी भावना ऐसी नहीं है कि दुबारा किसी से वसूली नहीं की जायगी ।

इसी विश्वास के साथ जो संशोधन प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी ।

श्री पी० के चौधरी : माननीय वित्त मंत्रीजी ने...

श्री मनोहर कोठारी : He did not move...

श्री उपाध्यक्ष : Yes, he simply supported.

श्री पी० के० चौधरी : No, Sir, it was technically moved.

श्री उपाध्यक्ष : You were not permitted.

श्री पी० के० चौधरी : My motion was there.

श्री उपाध्यक्ष : I think you were speaking in support.

श्री पी० के० चौधरी : No. Sir, when Shri Adhayksha said, "You can support it, why should I support it ? Then I repeated that my motion may be taken as moved.

श्री उपाध्यक्ष : Observations of the Hon. Speaker are very clear on this point that you were allowed to support only.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री मनोहर कोठारी ने विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के सम्बन्ध में रखा है उसको वापिस लिए जाने की उनको आज्ञा प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत).

प्रस्ताव वापस लेने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री मनोहर कोठारी : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टैक्स असेसमेन्ट एण्ड रिकवरी वेलिडेशन बिल, १९५८ को विचारार्थ लिया जावे ।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया जाता है ।

(विराम)

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय उपाध्यक्षजी । मेरा एक निवेदन यह है कि क्लॉज तीन, जब इसे विचारार्थ लिया जावे तो इससे अलग रक्खा जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड दो, तीन और चार ।

डॉ० बहादुरसिंह : तीन को जरा अलग ले लीजिये साहब ।

श्री उपाध्यक्ष : क्यों ?

डॉ० बहादुरसिंह : इसमें हम विरोध करना चाहते हैं एक चीज़ का । अमेन्डमेन्ट तो इस पर मन्ज़ूर नहीं हुआ, पर विरोध करना चाहते हैं । वही रजिस्टर्डवाला सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड २ और ४ स्वीकार किये जावें ।

(स्वीकृत)

खण्ड २ और ४ विधेयक के अंग बने
खण्ड ३

(विराम)

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय उपाध्यक्ष–जी, जैसा मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ "Whether such dealer 'is or' is not registered in the state". ये शब्द हटा दें तो आपका जो अधिकार है वह भी बराबर रहेगा और दुबारा देने का जो डर है वह भी नहीं रहेगा तथा इसमें किसी को किसी प्रकार का असन्तोष नहीं रहेगा । जो व्यापारी एक बार पे कर चुका उस रजिस्टर्ड व्यापारी को जिस पर आपकी मोहर थी, आपके विभाग ने जिसको टैक्स वसूल करने का सर्टीफिकेट दिया, अधिकार दिया, फिर उससे दुबारा लिया जाना कहां तक वाजिब है ?

यह कर देना उसके लिये काफी होगा कि वह रजिस्टर्ड डीलर न हो, such a dealer is not registered in the State. इतना अगर रह जावे तो बिलकुल ठीक बन जाता है । तो मैं इसके लिये पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी । हां, यह बात जरूर होगी कि जो ऐसा रजिस्टर्ड व्यापारी अब स्टेट के बाहर चला गया है तो उससे वसूल करने में आपको दिक्कत आ सकती है । पर राजस्थान के व्यापारियों का इसमें क्या कसूर हो गया ? उन्होंने तो एक बार उसे दे दिया ? आपने रजिस्टर्ड क्यों किया ? टैक्स रियलाइज़ करने का अधिकार उसे क्यों दिया ? वे हवाई कम्पनियां यहां आई और दस रुपया आपको दिया और आपने उनको अधिकार दे दिया, तो इसमें कसूर किसका है ? अब इस कानून में अगर ये शब्द रहे तो क्या होगा कि आप उनसे फिर दुबारा वसूल करेंगे और वसूल करेंगे आप अपने इस क्लॉज ५ बी के अनुसार इसलिये निवेदन करना चाहता हूँ कि इन शब्दों को इसमें से हटा दिया जाय । बस ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्तमंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय सदस्य ने जुबानी रखा है उनकी चिन्ता को दूर करने के लिए मैं कल भी कह चुका हूँ और फिर बता देना चाहता हूँ कि अव्वल तो इसके अन्दर यही प्रोविज़न किया गया कि उन पर दुबारा टैक्स नहीं होगा । माननीय सदस्य को यही चिन्ता है कि इस क्लॉज के मातहत दुबारा टैक्स लिया जा सकता है अगर ऐसी सम्भावना किसी प्रकार से निकल आती है तो साथ ही साथ यह भी प्रोविजन दिया हुआ है कि डबल टैक्स किसी पर भी नहीं होगा । हां, अगर ऐसे केसेज़ हों तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार के ध्यान में वे लाये जायें तो उन पर गौर किया जायेगा और रिफन्ड कर दिया जायेगा । अब इसके अन्दर माननीय सदस्य को या दूसरे सदस्यों को क्या कठिनाई हो सकती है ?

डॉ० बहादुरसिंह : रिफण्ड करने का तरीका तो आपके सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने सीखा ही नहीं ।

Page No.62

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक का खण्ड ३ स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड ३ विधेयक का अंग बना

(विराम)

खण्ड ५

(विराम)

डॉ० बहादुरसिंह : इसे मैं पेश करना नहीं चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक का खण्ड ५ स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड ५ विधेयक का अंग बना

प्रश्न यह है कि विधेयक का खण्ड ७

खण्ड ५

(विराम)

खण्ड ६

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक का खण्ड ६ स्वीकार किया जाये ?

(विराम)

खण्ड, १, टाइटल, प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किये जावे ?

(स्वीकृत)

खण्ड, १, टाइटल, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बने।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सेल्स टैक्स असेसमेंट एण्ड रिकवरी वैलिडिटिंग बिल, १९५८ पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : I thought your arguments must have been exhausted,

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि थोड़ी सी अनुमति दे दें तो आर्ग्युमेन्टस बहुत हैं।

श्री उपाध्यक्ष : With due considerations about repetitions.

श्री भैरोंसिंह : रिपीटिशन तो एक भी नहीं होगा। नई से नई बात सदन में रखी जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : और बिल से परे भी कोई बात नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह : अगर बिल से परे होगी, तो भी माननीय मंत्रीजी के पास ही होगी, ज्यादा फासला नहीं होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की आवश्यकता तो नहीं थी कि इस बिल पर जब क्लॉज़-बाई-क्लॉज़ कन्सीडरेशन हुआ और उसे सदन ने उसी रूप में स्वीकार किया, उसके तृतीय वाचन पर इसका विरोध किया जाता। परन्तु इसके पहले जो इस सदन में बहस हुई थी उसका उत्तर माननीय वित्त मंत्रीजी ने दिया उसके लिए मैं एक विषय पर तो उनको धन्यवाद दूंगा कि पहली बार इस सदन के इतिहास में दबी जबान में ही सही एक मंत्री के द्वारा सरकार की गलती को स्वीकार किया गया। उन्होंने इस बात को स्वीकार अवश्य किया कि कुछ ढिलाई हुई, वरना यह कानून बहुत जल्दी ही पास किया जा सकता था। अब यह प्रश्न आता है कि सरकार की ढिलाई हुई और उस ढिलाई का परिणाम यह हुआ कि आर्डिनेन्स इश्यू किया गया। उस ढिलाई का परिणाम यह

(श्री भैरोंसिंह)

हुआ कि तीन वर्ष पहले की बात को अब दुरुस्त किया जा रहा है। अब हमें उपाध्यक्ष महोदय, यह विचार करना पड़ेगा कि ढिलाई हुई, केवल यह कह देना पर्याप्त है तब तो मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार के वादविवाद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि माननीय वित्त मंत्रीजी बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। चाहे वे अपने कामों में स्ट्रिक्ट न हो, यह बात दूसरी है, लेकिन उनके डिपार्टमेन्ट में कोई ढिलाई हो उस ढिलाई को कोई सहन करनेवाला नहीं है यदि हो तो वे मुझे कान्ट्रेडिक्ट करें। लेकिन नहीं है, ऐसा मानकर चलना चाहिए। ऐसी स्थिति के अन्दर अच्छा होता यदि माननीय वित्त मंत्रीजी यह भी बताते कि जो ढिलाई हुई है उस ढिलाई के कारण ये हैं और उन कारणों को पैदा करने वाले अधिकारी ये हैं और उन अधिकारियों के विरुद्ध यह एक्शन लिया गया है। यदि इस प्रकार की बात कही जाती तो समझ में आ सकता था कि हमारी सरकार सतर्क है किसी प्रकार की स्थिति में उचित कार्यवाही करने के लिए सतर्क है और उन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप यदि ऑर्डिनेन्स लाने की भी आवश्यकता होती तो वह आर्डिनेन्स लाया भी जा सकता था लेकिन केवल यह कह देना कि सरकार की ढिलाई हुई, ढिलाई के कारण से ऑर्डिनेन्स को रिपील करके एक्ट बनाने की व्यवस्था इस सदन के अन्दर रखी गई है, उस व्यवस्था को केवल इन दो शब्दों के कारण से स्वीकार कर लिया जाये मैं, इस बात के पक्ष में नहीं हूँ। माननीय वित्तमंत्रीजी की तरफ से आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन उनकी भाषा से मैं यह एन्टीसिपेट कर सकता हूँ कि कुछ कार्यवाही अवश्य होगी। वे आश्वासन भी देंगे इसके जवाब में सरकार इसके सम्बन्ध में अगर कार्यवाही करने वाली है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न वैसे देखने में बहुत छोटा है, लेकिन इस सदन में बार बार इस बात की चर्चा की गई है। माननीय वित्त मंत्रीजी इस बात को स्वीकार करते हैं कि सदन के अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा है किस भावना से, मैं भी उस भावना को समझता हूँ। उन्होंने भी समझा है, भावना यही है कि जिस व्यक्ति से टैक्स लिया, उस लिए हुए टैक्स को जायज़ करार दे। आज टैक्स तो ज्यादा वसूल कर लेंगे वसूल करने के बाद में······

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : क्या गैर वाजिब था वह ? उसको वैलीडेट करने की आवश्यकता नहीं होती। कानून के रूप में आ सकते हैं, नैतिक बात क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ। नैतिक बात सदन के बाहर करूंगा। इस सारे प्रसंग में नैतिक रूप में और कानूनी रूप में आर्ग्युमेंट्स की आवश्यकता होती है। खास तौर से उस समय जिस समय वित्त मंत्रीजी के सामने इस प्रकार का प्रसंग आया। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन भावनाओं को स्वीकार करता हूँ कि नैतिक रूप से कानून की मन्शा यह हो सकती है। जिस समय राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट बना उस समय शायद यह मन्शा हो भी सकती है। उस समय की याद नहीं कि किसी प्रकार की इस सम्बन्ध में बहस हुई थी, लेकिन प्रश्न यह आता है कि नैतिकता की दृष्टि को देखकर नैतिक रूप से जिस चीज को स्वीकार करते हैं उनके ऊपर टैक्स वसूल होना चाहिए था, तो क्या माननीय वित्त मंत्रीजी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो

(श्री भैरोंसिंह)

फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया और जिसके कारण किसी व्यक्ति को लाभ पहुँचा है तो उसको लाभ मिलना चाहिए और उसका उसे अधिकार है। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से पूछूंगा कि उसको नैतिकता के चश्मे से देखें और फिर बतायें.......

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: इस प्रकार कानूनी सहायता लेना उचित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैंने पहले भी कहा था कि कानून की गलती पर कानूनी सहायता लेना यदि अपराध है, यदि अधिकार नहीं है तो फिर अच्छा है कि जो इन्स्टीट्यूशन्स कानून की गलती का फायदा लेते हैं.......

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: मैंने अधिकार की बात नहीं कही, मैंने तो कहा कि उचित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो प्रश्न यह आता है कि जिन इन्स्टीट्यूशन्स से हमें यह नैतिक संरक्षण मिलता है हम उन इन्सटीट्यूशन्स को बन्द क्यों नहीं कर देते हैं। वित्त मंत्रीजी फिर ऐसे कानून बनायें जो भी उनके मुंह से निकलेगा, जो कुछ उनके हाथ से लिखा जायेगा, जो कुछ कानून बनेगा वह सब नैतिक दृष्टि से देखें जायेंगे, कानूनी दृष्टि से नहीं। लेकिन हमने एक व्यवस्था की है, उसके द्वारा हमने इस बात को समाज में रखा है कि हमारे जो कानून हों उन कानूनों का पालन करना, यह एक नैतिक धर्म है। सरकार ने कानून बनाया टैक्स इम्पोज़ करने का और उसके आधार पर उसने टैक्सेज़ इम्पोज़ किये, उन लोगों के ऊपर जो कि कानून के अन्तर्गत यह टैक्स देने के अधिकारी थे या जिनके ऊपर यह टैक्स आयद किया जा सकता है। तो नैतिकता यह है कि हम कानून का सही रूप में पालन करें। यदि हम वित्त मंत्री महोदय की इस दृष्टि के अन्दर, कानून का सही दृष्टि से पालन नहीं हुआ तो नैतिकता कि उनकी किसी प्रकार की दाद नहीं देने वाला हूँ। कानून और व्यवस्था दोनों के समन्वय और पालन आज के समाज की नैतिकता है। कानून के विरुद्ध आचरण करना कोई कानूनी नैतिकता नहीं हो सकती, चाहे आचरण एक व्यक्ति के द्वारा किया जाय या चाहे सरकार के द्वारा किया जाय। उसी भाषा के अन्तर्गत यदि सारी कार्यवाही कानून के विरुद्ध हुई है, चाहे उनकी दृष्टि में अनैतिकता थी, कानून के विरुद्ध जो कार्यवाही हो वह नैतिकता की दृष्टि से और कानून की दृष्टि से कभी भी वैध नहीं कह सकते हैं, कभी भी वाजिब नहीं कह सकते हैं, कभी भी उसको लागू किया जाय, इस मन्शा का समर्थन नहीं कर सकते हैं।

ऐसी स्थिति में, माननीय उपाध्यक्ष, अब प्रश्न यह आता है कि जो टैक्स इम्पोज़ कर दिया है उसके बहाने से माननीय वित्त मंत्रीजी ने यह कहा डीलर्स के दृष्टिकोण से कि डीलर्स हाई कोर्ट में जाकर रिलीफ क्लेम करते हैं उनका पैसा खर्च नहीं हो, इनर्जी वेस्ट नहीं हो, किसी प्रकार की उन्हें तकलीफ नहीं हो, उस तकलीफ को दूर करने के लिए यह सारी व्यवस्था १२ तारीख को करने का मंजूर किया। वे डीलर्स के लिए इतनी सद्भावना रखते हैं उसके लिए मैं उनकी तारीफ करूंगा और डीलर्स के प्रति उनको सद्भावना रखना भी चाहिए, क्योंकि काम भी चलता है। लेकिन उस सद्भावना को यदि कानूनी रूप देना चाहें तो कानूनी रूप देने के लिए क्या पर्याप्त कारण हैं? १२ तारीख को यदि ऑर्डिनेन्स

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं बनाते तो २४ तारीख को बिल पास होता। इस बीच के अर्से के अन्दर कितने डीलर्स को नुकसान होता ? क्या नुकसान होता ? कौनसा जजमेंट होने वाला था ? उस जजमेंट का असर क्या होता, उस के बारे में, मैं समझता हूँ कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने जानकारी करने की कोशिश नहीं की होगी। १२ तारीख को जिस को डीलर को परेशानी थी, जिन डीलर्स को ३ वर्ष के अन्दर परेशानी रही, अगर १६ दिन और परेशान रह जायं तो कोई आपत्ति नहीं होती। वे कह रहे थे कि इसके लिए सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि ३ वर्ष के बाद उसकी नींद खुल गई। कुछ ऐसा लगता है कि जिस समय सरकार सोई तो यह विचार कर लिया होगा कि कुम्भकरण की नींद सोयेगी। इस बात की अगर तारीफ करवाना चाहते हैं कि हम तारीफ करें तो मैं अवश्य तारीफ करता हूँ कि यदि उनकी नींद इस प्रकार की थी, यदि उनको कुम्भकरण की नींद सोना था लेकिन बीच में जग गए तो निश्चित रूप से मैं तारीफ करूंगा। लेकिन वे इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि वे नींद में सो रहे थे। ढिलाई हुई तो उसका कारण उन्होंने बतलाया कि राष्ट्रपतिजी से, दिल्ली और राजस्थान के बीच में, कॉरस्पोडेन्स में समय लग गया। कितना समय लगा, किस समय कॉरस्पोडेन्स चालू हुई, किस समय यह सरकार के बात ध्यान में बात आई, राजस्थान के एडवोकेट जनरल श्री के० एस० हजेला सुप्रीम कोर्ट में गए थे और राजस्थान के कर्शन को सुप्रीम कोर्ट में रखा था, उसके बाद में जजमेन्ट हुआ। उसके बाद में सेन्ट्रल वेलीडिटिंग एक्ट लागू हुआ, उसके बाद में सेन्ट्रल सेल्स टैक्स लागू हुआ। मैं समझता हूँ, राजस्थान में ही नहीं समूचे देश के अन्दर, हर प्रान्त के अन्दर यह जानकारी थी कि जो टैक्स वसूल कर लिया है उसको किसी तरह से वेलीडेट करना है। इस जानकारी के बावजूद सरकार अब तक सोती रही और १२ तारीख के लिए तकाजा किया। यह मैं समझता हूँ कि न तो यह नैतिक दृष्टि से सही है और न कानूनी दृष्टि से सही। जिन डीलर्स ने टैक्स दिया था, यदि इस प्रकार की व्यवस्था न हुई तो वे टैक्स का अपना रुपया वापस लेते। उनको वह टैक्स वापिस देना होगा। यह सिद्धान्त का प्रश्न है। इसको मैं कोई छोटा-मोटा प्रश्न नहीं मानूंगा। मैं समझता हूँ कि सदन को भी इसे छोटा-मोटा प्रश्न नहीं मानना चाहिए। यदि इस प्रकार के प्रश्न को दूसरा रूप दिया, कानूनी व्यवस्था इस प्रकार के काम के लिए दी, तो इसके भयंकर परिणाम निकल सकते हैं। भयंकर परिणाम से आज तक दिक्कतें आई हैं। हमने पिछले दिनों कई व्यक्तियों को देखा है कि इस प्रकार के कानूनों के अन्तर्गत उन्होंने संरक्षण हाई कोर्ट से प्राप्त किया और आपने कानून बना कर सारी गलतियां जो हुई हैं, उन गलतियों को दुरुस्त किया है। यह परम्परा जो धीरे धीरे बनती जा रही है, उस परम्परा के कारण चाहे ७ लाख रुपए का नुकसान होता हो या १० लाख रुपए का होता हो, कुल मिला कर १० लाख की स्थिति होगी, लेकिन इतने से नुकसान के कारण कितनी गलत परम्परा डाली जा रही है। इस बात को नैतिकता से सोचना पड़ेगा। केवल यह कह देना कि इतना सा टैक्स है, इसमें कोई तर्क नहीं है। अगर इतना सा टैक्स है तो जो ३० लाख रुपए उदयपुर में एक टैक्सटाइल मिल

(श्री भैरोंसिंह)

चालू करने के लिए दे दिए और ५ वर्ष के बाद में उसका इन्ट्रेस्ट चालू होगा तो ५ वर्ष का जो इन्ट्रेस्ट है वह लाखों रुपया होता है। वहां कमिटमेंट कर दिया है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। किन्हीं प्राइवेट इन्स्टिट्यूशन्स को ८० पर्सेन्ट तक ग्रान्ट इन एड दी जाती है, लेकिन उनके हिसाब में घोटाला है, लाखों रुपयों का घोटाला है। मालपुरे में किसी को जमीन दे रहे हैं, उससे लाखों रुपए का नुकसान होगा उस मिल को चालू करने के लिए। ऐसे लोगों से उसको वापिस लें। तो ३० लाख, १० लाख या ५ लाख सरकार के सामने कोई महत्व रखने वाली चीज नहीं है। सरकार को चाहिए कि इस प्रकार के सिद्धान्त को स्वीकार करे। उस सिद्धान्त को स्वीकार करने से जो कुछ धनराशि या थोड़ासा नुकसान पड़ता है उसकी कोई चिन्ता नहीं है। उसकी प्राप्ति दूसरे तरीकों से करें। प्राप्ति करने के लिए माननीय वित्त मंत्रीजी चाहें तो आपकी (उपाध्यक्ष महोदय की) अनुमति से इस प्रकार के केसेज़ उनके सामने रख सकता हूँ, जिसकी जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है, फौरन ऑर्डर इश्यू करने पड़ेंगे। लेकिन उसके लिए आप (वित्त मंत्री) कहेंगे कि हम कमिटेड हैं, सरकार का कमिटमेंट है। जो सरकार अपना टैक्स अनैतिक रूप से, चाहे कानून के विरुद्ध हो किसी प्रकार से वसूल कर लेती है, उसके लिए सरकार कमिटेड नहीं है। उसके लिए विधान सभा कमिटेड है कि बाहर डीलर्स से टैक्स नहीं लेंगे, विधान सभा के कमिटमेन्ट का सरकार के सामने कोई महत्व नहीं है। सरकार कोई कमिटमेन्ट कर लेती है कि ५ साल बाद में ब्याज शुरू होगा, ३० लाख रुपयों पर ५ साल के बाद में ब्याज शुरू होगा, उसके लिए आप कहते है कि उसको बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि वह हमारा एक कमिटमेन्ट है, लेकिन विधान सभा का कमिटमेंट है कि बाहर के डीलर्स पर टैक्स इम्पोज़ नहीं किया जा सकता, उसको आप बदल सकते हैं। मुझे अफसोस है कि राजस्थान के वित्त मंत्री विधान सभा के कमिटमेंट को इन्डिविजुअल के कमिटमेंट से तरजीह नहीं देते हैं। वे तरजीह देते हैं डिपार्टमेंट्स के एग्रीमेंट्स को। जो कुछ पिछले लोन्स दिए हैं, उन सारे लोन्स के मामलों को सामने रख कर जो कुछ गलतियां की हैं, खामियां रखी हैं, जानबूझ कर एग्रीमेंट में कई प्रकार की बातें रखी हैं, उन सब चीजों को दुरुस्त करने की चेष्टा करें, लेकिन वे नहीं हो सकते हैं। वह केमिटमेन्ट है। यह कोई कमिटमेन्ट नहीं है। विधान सभा का कमिटमेन्ट कोई महत्व नहीं रखता। तो मैं कहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष, इस सदन ने कानून बना कर समाज के सामने, राजस्थान की जनता के सामने एक विशेष भाषा रख कर निश्चित रूप से कमिटमेंट किया है कि अमुक प्रकार के डीलर्स से टैक्स लेंगे। उसी कमिटमेंट को हमारी सरकार के वित्त मंत्री यह कहेंगे कि जिन्होंने कमिटमेंट किया है वे ही अपनी बात को दुरुस्त कर रहे हैं, यह मैं मानता हूं। लेकिन एसेसमेंट के आधार पर उसमें कुछ गलतियां रही हैं, और इस दृष्टि से गलती मानकर दुरुस्त करने की चेष्टा वित्त मंत्रीजी करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए दुर्भाग्य की बात पैदा करने की वाले कार्य होंगे। जो यह परम्परा बन रही हैं, तो इस प्रकार के कानून को पास कराने चेष्टा नहीं करें। यदि पास करेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान होने वाला है। उससे किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा।

इतना कह कर मैं इस सदन के माननीय

Page No.67

(श्री भैरोंसिंह)

सदस्यों से अपील करूंगा । सदन के माननीय सदस्य इस सिद्धान्त को अपने सामने रख कर इस प्रकार की कार्यवाही का और नैतिकता की बातों का उदाहरण देकर कानून को पास कराने वाले माननीय वित्त मंत्रीजी की इस कार्यवाही का डट कर विरोध करें ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष, ...

श्री उपाध्यक्ष : किस विषय पर बोलेंगे ?

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान सेल्स टैक्स वेलिडेटिंग एक्ट ।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : जो सेल्स टैक्स के अन्दर माननीय वित्त मंत्रीजी ने अमेंडमेंट रखा है, उसके ऊपर मैं बोल रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : अमेंडमेंट रखा है, वह प्रश्न ही नहीं रहता है ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ऑर्डिनेन्स ।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डिनेन्स पर बोलेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : बिल के थर्ड रीडिंग पर विरोध करते हैं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : मैं बिल के थर्ड रीडिंग पर विरोध करता हूं । पहले कानून बनाया है । अब क्या बना रहे हैं, वह आप सुन लें, महाराज !

(हंसी)

माननीय उपाध्यक्षजी, यह सेल्स टैक्स बिल जब आया था इस हाउस के सामने, उससे पहले कई वर्षों तक तो यह सिलेक्ट कमेटी से ही नहीं आया और उसके बाद वह हाउस के सामने आया और हाउस ने उसे पास कर दिया । उसके बाद भी इसमें कई कमियां रह गई, इस बिल में ही नहीं बल्कि हर बिल में कमियाँ मालूम पड़ती हैं और बाद में सरकार की तरफ से हर बिल के लिये अमेंडमेंट्स आते हैं या ऑर्डिनेन्स निकलते हैं । इसका कुछ भी ख्याल नहीं है कि सरकार में बैठने वाले लोग क्या करते हैं । सरकार के बिल बनाने वाले लोग और सिलेक्ट कमेटी में बैठने वाले लोग ध्यान देकर काम करते हैं या नहीं, यह समझ में नहीं आता ।

उपाध्यक्ष महोदय, जब सेल्स टैक्स बिल पास हुआ था तब उसमें कुछ कमी रह गई थी । यह विधान सभा कानून बनाने वाली है न कि सिद्धान्त का पालन करने वाली विधान सभा है...

श्री उपाध्यक्ष : विधान सभा पर आक्षेप मत करिये । विधान सभा में बैठने वाले सिद्धान्त का पालन करने वाले भी हैं और कानून बनाने वाले भी ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैंने विधान सभा पर कोई आक्षेप नहीं किया है, यदि कोई गलती हो तो माफी चाह लूं......

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : तो क्या आपने विधान सभा की प्रशंसा की है ?

श्री उपाध्यक्ष : बहस जारी रखिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : (जारी) जब ५६ में सेल टैक्स बिल पास हुआ तब उसमें कुछ कमी रह गई और बाद में कुछ व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पेश किया और सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, उस

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

फैसले को सरकार को मानना चाहिये, जब कि व्यापारियों से पैसा सरकार ने कानून के खिलाफ ले लिया है...

श्री उपाध्यक्ष : चुकारा हो गया है क्या पैसे का ? उधर मत पूछिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : बीच में बोलने से मैं भूल जाता हूँ, ज्यादा पढ़ा-लिखा आदमी नहीं हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : छोटे मैं बोलिये तो अच्छा हो ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : कभी कभी तो आपके हुक्म से बोलता हूँ ।

श्री भैरोंसिंह : आप आते हैं तभी बोलते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले ठीक तरह से नहीं पढ़ाते ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : (जारी) तो जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो व्यापारियों का पैसा वापिस देना चाहिये, जब कि सरकार दूसरे कामों में लाखों रुपये खर्च कर देती है । वित्त मंत्रीजी ज्यादा जानते हैं, सरकार के लाखों रुपये लोगों में बाकी हैं जिनका ब्याज तक वे नहीं दे रहे हैं । बड़ी बड़ी कम्पनियों और फैक्ट्रियों को जो रुपया दिया है उसका मुनाफा नहीं दे रहे हैं, शेयरों का भाव नीचे बैठ गया है । यदि उन व्यापारियों से कानून बनाकर रुपये बाद में वसूल करना हो तो भले ही कर लें, लेकिन पहले के रुपये उनको वापिस लेने चाहिये । यदि टैक्स में कमी हो तो टैक्स ज्यादा बढ़ा दें, उसके लिये कोई बात नहीं होगी कि टैक्स ज्यादा क्यों बढ़ा दिया, लेकिन पहले का जो रुपया लिया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला उन रुपयों को लौटाने का दे दिया है तो वे रुपये वापिस उनको मिलने चाहिये । जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाय तो उसके अनुसार काम करना चाहिये । हिन्दुस्तान में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बनाये हैं न्याय करने के लिये । सरकार के हाथ में सब कुछ है, रात में भी बिल पास कर सकती है, दिन में भी पास कर सकती है······

श्री उपाध्यक्ष : रूस में सरकार क्या करती है उसका भी अनुभव हो तो बता दें ।

श्री मक्तिलाल मोदी : (जारी) रूस में भी विधान सभा है, उसमें भी कानून बनते हैं, लेकिन वहां पर बीच बीच में एक्ट नहीं लाते ।

(हंसी)

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी: वहां कौनसी विधान सभा है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : (जारी) वहां भी विधान सभा है, लेकिन वहां पर बीच बीच में एक्ट (संशोधन) नहीं लाते । थोड़े दिनों पहले जागीर एक्ट बना, उसमें भी तीन चार अमेन्डमेन्ट ले आये, ऑर्डिनेन्स ले आये कभी किसी में, तो कभी किसी में, लेकिन एक चीज पर कायम नहीं रहते हैं । बड़े बड़े कानून बनाने वाले भी इस राजस्थान में बैठे हैं । यहां पर चार पांच मिनिस्टर्स भी लॉ पास है, फिर भी गलती रह जाती है । इसके बावजूद भी रगड़े रहते हैं····

श्री उपाध्यक्ष : शब्दों का गलत इस्ते-

Page No.69

(श्री उपाध्यक्ष)

माल कर लेते हैं, यह संसदीय परम्परा के विरुद्ध है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ये शब्द मैं वापिस ले लेता हूँ। इस विधान सभा के हर सदस्य से प्रार्थना है कि कोई बिल पास किया जाय तो सिलेक्ट कमेटी से या लॉ डिपार्टमेन्ट से या एडवोकेट जनरल से पहले राय ले लेनी चाहिये और दूसरे प्रान्तों के कानूनों को देखने के बाद यहां पर लाये जाने चाहिये और पास होने के बाद उस कानून का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिये। यह मेरी भावना है, यह मेरी प्रार्थना है, उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात के लिये ज्यादा जोर दें।

श्री उपाध्यक्ष : आयन्दा ऐसा ही होगा, आप आसन ग्रहण करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : सेल्स टैक्स एक्ट में जो संशोधन आया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया है उसको मनाते हुए व्यापारियों के पैसे को वापिस किया जाय और भले ही आगे ज्यादा टैक्स लगाकर कितना ही ज्यादा पैसा वसूल कर लें, लेकिन पिछले पैसे को वापिस दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टैक्स एसेसमेन्ट एण्ड रिकवरी वेलिडेटिंग बिल, १९५८ को पारित किया जाय।

(मतदान के पश्चात)

'हां' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : 'ना' पक्ष जीता।

(विपक्ष द्वारा मौन स्वीकृति पर विभाजन घंटी)

प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टैक्स एसेसमेन्ट एण्ड रिकवरी वेलिडेटिंग बिल, १९५८ को पारित किया जाय।

(पुनः मतदान के पश्चात)

'हां' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : 'ना' पक्ष जीता।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका मतलब क्या ? क्या वोटिंग कराना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मतलब क्या होता है, वह तो उपाध्यक्ष महोदय जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : You are claiming a division. ? Ayes to Ayes lobby and Noes to Noes Lobby.

(मत-विभाजन के पश्चात्)

I call the House to order. Ayes 49 and Noes 22.

हां पक्ष जीता, विधेयक पारित किया गया।

(करतल-ध्वनि)

२.४६ म० प०

(विभाजन सूचियों के अनुसार हां। पक्ष व 'ना' पक्ष के सदस्य इस प्रकार हैं:

'हां' पक्ष—४९

श्री आबिदअली

डॉ० बहादुरसिंह

Page No.70

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री बरकतुल्लाह खां

श्री भैरवलाल 'काला बादल'

श्री भीमसेन

श्री भोगीलाल पंड्या

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी

श्री बृजमोहनलाल शर्मा

श्री चन्दनमल वैध

डॉक्टर चन्द्रकला

श्री चुन्नीलाल

श्री देवीलाल

श्रीमती गंगादेवी डाटा

श्री गणपतिलाल वर्मा

श्रीमती गौरीपूनिया

श्री गोकुलचन्द जाटव

श्री गुलाबसिंह

श्री हरिभाऊ उपाध्याय

श्री हरिप्रसाद यादव

श्री हजारीलाल बकोलिया

श्री जयचन्द्र मोहिल

श्री जयसिंह रानावत

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

श्रीमती कमला श्रोत्रिय

श्री किशनसिंह बाटड़

श्री लालसिंह शक्तावत

श्री लक्ष्मण हीरात

श्री महादेवप्रसाद बंका

श्री मांगीलाल

श्री मूलचन्द डागा

राव श्री नारायणसिंह (मसूदा)

कुंवर श्री नारायणसिंह (टोंक)

श्री नरोत्तमलाल जोशी

श्री नाथूराम

श्री नाथूराम मिर्धा

श्री फूलाभाई

श्री पी. के. चौधरी

श्री राजाराम

श्री रामचन्द्र

श्री रामेश्वरदयाल

श्री सम्पतराज जैन

श्रीमती सतवंतकौर

श्री श्रीनिवास शारदा

श्री सोहनलाल भटनागर

श्री श्रीभानसिंह

श्री सुगनचन्द जैन

श्री तेजमल बापना

श्री तेजपाल

श्री उमेद

श्री विद्यासागर

'ना' पक्ष—२२

श्री बालमुकुन्द

श्री भैरोंसिंह (खाचरियावास)

श्री दलपतसिंह

श्री दयाकृष्ण विजय

श्री गज्या पटेल

श्री होतीलाल

महाराज श्री हुकमसिंह

श्री जगदीशप्रसाद माथुर

श्री कालूराम

(श्री उपाध्यक्ष)

ठा० श्री मदनसिंह दांता
कुंवर श्री मंगलसिंह
राजा श्री मानसिंह
श्री मोगजी भाई
श्री मुक्तिलाल मोदी
रावल श्री नरेन्द्रसिंह
ठाकुर श्री रघुवीरसिंह
श्री रामधन पटेल
श्री रामकरणसिंह
श्री रामनारायण वर्मा
श्री रूपाराम
श्री तनसिंह
श्री भौंरा

(विराम)

श्री नाथूराम मिर्धा ।

राजस्थान सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९५८
विचारार्थ)

श्री नाथूराम मिर्धा (सहकारी मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (अमेंडमेंट) बिल, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक छोटासा, तीन चार क्लॉज का बिल है और जिन माननीय सदस्यों ने इसको अध्ययन किया है, वे स्वयं देखेंगे कि एक ऑर्डिनेन्स कुछ दिनों पहले प्रोमल्गेट किया गया था, उसको कानून का रूप देने के लिए यह बिल इस सदन में पेश किया गया है। इस बिल के क्लॉजेज़ को देखने से पता चलेगा कि जो खास रद्दोबदल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कानून में की गई हैं, उसमें सिर्फ इतनी रद्दोबदल की गई है कि पहले के कानून में सिर्फ उन लोगों को जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेम्बर थे, कर्जा मिल सकता था, जिनके पास इम्वेबेबिल प्रोपर्टी या इस प्रकार की चीज़ जो कि धारा २९ में वर्णित है, होती थी, उसकी बुनियाद पर किसानों को कर्जा दिया जा सकता था। इस कानून के जरिये जो संशोधन हम करना चाहते हैं, वह इतना सा है कि वह किसान, जिनकी स्वयं की जमीन नहीं है, जमीन में, लैंड में उनका इन्ट्रेस्ट नहीं है, फिर भी किसी भी जमीन पर किसी रूप में वे सब टिनेन्ट हैं, खुदकाश्त की हैसियत से काश्त करता है और उससे वह कुछ पैदावार उत्पन्न करता है, उस पैदावार को बेसिस मान कर एन्टीसिपेटेन्ड प्रोड्यूस होगा, उसको बेसिस मानते हुए हम कुछ कर्जा किसानों को दे सकें, जिससे वह अपनी जरूरत की चीजें खेती के पहले बीज या काम की जो छोटी मोटी चीजें हैं, उनको आसानी से खरीद सके और कुछ खेती करके उत्पादन कर सके। इस इरादे से इतना सा संशोधन हमने इस कानून में किया है। इसके अलावा कुछ कॉन्सीक्वेंशियल चेंजेज़, जिनको मैं समझता हूं करने की आवश्यकता थी, सिर्फ उन चेंजेज़ को इन क्लॉजेज़ के जरिये किया गया है। दफा २९ जो पुराने एक्ट की थी, उसमें रद्दोबदल की गई है, वह मुख्य बात है। उसके बाद एक दफा जो नई जोड़ी गई है वह इस बारे में है कि किस प्रकार के प्रोसीजर से बोन्ड्स और सिक्योरिटीज़ लेनी चाहिए। दफा ४० में जो रद्दोबदल की गई है वह कॉन्सीक्वेंकेशियल है।

जब इस बिल पर संशोधन आया कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिए, मेरी समझ में नहीं आया......

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : अभी समझ में आ जायगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरी समझ में नहीं आया कि कौन सी चीज है जिसकी वजह से इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजना आवश्यक है, फिर भी मैं माननीय सदस्य से जिन्होंने यह संशोधन रखा है, निवेदन करूंगा और इसलिये मैंने ये रिमार्क्स इस बिल के शुरू में ही उपस्थित कर दिये, जिसकी वजह से ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। इसमें जितनी छोटी सी बात रखी है उसको देखते हुए इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने जैसी कोई भी बात दिखाई नहीं देती। फिर भी माननीय सदस्यों ने जो संशोधन रखे हैं तो जब क्लॉज़ बाई क्लॉज डिस्कशन होगा, उस समय वे अपने विचार रखें, मैं भी अपने विचार रखूंगा और फिर जो कुछ सदन तय करेगा, वह होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बहुत ही उपयुक्त और अच्छा बिल है, इससे उन किसानों को राहत मिलती है जिनके पास जमीन नहीं है। दूसरे की जमीन लेकर या दूसरे किसी से जमीन मांग कर काश्त करना चाहते हैं, उत्पादन करते हैं उनको लोन दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में यह बिल है।

एक बात मैं सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये पेश करना चाहता हूँ कि हमारा देश तरक्की की ओर बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है। कोऑपरेटिव के जितने कानून हैं उनमें बहुत तरमीम करने की जरूरत है, हम चाहते हैं कि सोशलिस्ट इकोनोमी में किसानों और दूसरे लोगों को इस बात का अवसर दिया जाय कि वे ज्यादा से ज्यादा काम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जरिये करें, उनके अधिक से अधिक काम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से होने चाहिये। प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिये हो, वहां डिस्ट्रिब्युशन कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिये होना चाहिये। ज्यादा से ज्यादा चीजों का हम इस क्षेत्र में प्रवेश कराना चाहते हैं, तो जो पुराने कानून कोऑपरेटिव के हैं उनमें बहुत सी तरमीमें करनी आवश्यक होंगी। केन्द्रीय सरकार ऑल इन्डिया लेवल पर और प्रान्तीय सरकारें प्रान्तीय लेवल पर प्रयास कर रही हैं। इस तरह का कानून कि पुराने कोऑपरेटिव के कानून हैं उनमें किस किस तरह की रद्दोबदल होनी चाहिये, इसका कानून मैं सदन में पेश करूंगा; पर अभी तो यह छोटी सी तरमीम रखी है, रद्दोबदल रखी है, उसके बारे में निवेदन कर रहा हूँ कि इससे किसानों को काफी राहत पहुँचेगी। इसके लिये जो पहले ऑर्डिनेन्स लागू किया गया, उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि रबी की फसल के पहले किसानों को राहत पहुँचानी थी, इसलिये इसको ऑर्डिनेन्स के रूप में लाया गया था; इसलिये आप इसको अब कानून का रूप सदन में देंगे।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, I move, "That this Bill be refered to the Select Committee as already circulated" यह जो बिल आज जिस रूप से हमारे सामने आया है, उसमें मैं समझता हूँ कि कुछ कन्ट्राडिक्शन्स भी इस बिल में है, उनको रिमूव करना चाहिए। इस बिल में नया क्लॉज काफी कन्ट्रोवर्शियल है और ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में इस क्लॉज़ का कोई जिक्र नहीं किया गया है। जहां तक ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स को देखेंगे यह क्रोप-लोन की सुविधा देने के लिए "according to the integrated scheme of rural credit recommended in the report of the All India Rural Credit Survey, which has been accepted by the State Government, short-term loans for

(श्री पी० के० चौधरी)

seasonal agricultural operations may be advanced by co-operative societies on the security of antici-pated crops to the medium as well as small cultivators in possession of land..." ऑल इन्डिया रूरल क्रेडिट सर्वे की रिपोर्ट में (इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑफ रूरल क्रेडिट) सजेस्ट किया है उसको अमल में लाने के लिए यह बिल लाया जा रहा है।

मंत्री महोदय ने बताया कि ऑर्डिनेन्स क्यों लाया गया, क्रोप लोन्स देना चाहते थे, इसलिए ऑर्डिनेन्स लाया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑफ रूरल क्रेडिट की सिफारिश उस कमेटी ने १६५४ में की थी। उसके बाद हमने हमारी जो सेकिन्ड फाइव इयर प्लान है उसको भी लीड किया, कोऑपरेटिव सेक्टर पर, इस आधार पर तीन साल पहले हमें इसको करना चाहिए था जो नहीं किया, आज भी ऑर्डिनेन्स पास किया पर मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि रबी क्रोप के लिए क्रोप लोन देना जरूरी हो गया। इस लिए ऑर्डिनेन्स जारी किया गया, पर मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को क्रोप लोन नहीं मिला है। सिक्योरिटी के आधार पर अब भी लोन दिए जाते हैं। इस ऑर्डिनेन्स के इश्यू किए जाने के बाद किसी को भी क्रोप लोन दिया गया हो तो इसका रिप्लाई देने का टाइम मन्त्री महोदय बता दें कि किस जगह, किस इलाके में, किस व्यक्ति को क्रोप-लोन इस ऑर्डिनेन्स के इश्यू किए जाने के बाद में दिया गया है। मैंने जानकारी हासिल की है कि किसी को क्रोप लोन नहीं दिया गया है न मीडियम लोन दिया गया है।

हां, तो मैं इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए निवेदन कर रहा था। २६ में पहला अमेंडमेंट लाया गया है, उसमें कहा गया है, एम्स एण्ड ऑब्जेक्ट्स में कि जो प्रोड्यूस है, वह इसलिए किया है कि उनके चार्ज़ेस बनाए जायं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हक में। पर आप प्रिन्सिपल एक्ट देखेंगे तो उसमें यह कहा गया है : "Subject to any prior claim of the Government in respect of land revenue or any money rocoverable as land revenue or of a land lord in respect of rent or any money recoverable as rent."

अब यह जो मन्त्री महोदय की तरफ से बिल आया है, उसमें सोसाइटी का चार्ज बाद में आता है, २६ के प्रोविज़ो को डिलीट करने का सेंक्शन लिया गया है इस बिल के क्लॉज़ २ में, इस प्रोविज़ो को रिमूव करने के बाद में सोसाइटी की जगह लैंड लॉर्ड का चार्ज रह जाता है। क्रोप लोन्स एडवान्स करने के बाद सोसाइटी का, after the govrnment गवर्नमेंट के रेवेन्यु क्लेक्शन देने के बाद नेक्स्ट हक सोसाइटी का होगा, पर प्रिंसिपल एक्ट में लैंड लॉर्ड के रेन्ट रेट के बारे में चार्ट है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है, तो इसे मैं कन्ट्राडिक्शन मानता हूँ।

३ म० प०

दूसरी बात ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में साफ कहा गया है कि Section 29 of the principal Act as it originally stood, conferred a right of claim in favour of co-operative societies in respect of agricultural produce subject to the charge of a bonafide purchaser or transferee for value without notice. Consequently for the recovery of lons advanced by them, co-opera-

(श्री पी० के० चौधरी)

tive societies could nct follow the property in tha hands of such bona-fide purchaser or transferees."

यह ओरिजिनल एक्ट में प्रोविजो था "Provided that nothing contained in this clause shall affect the claims of any bonafide purchaser or transferee for value without notice of any such crops or other agricultural produce, cattle, fodder, for cattle or raw materials for manufacture or workshops or agricultural or industrial implements, and..."

उन लोगों का जो क्लेम था, प्रायर क्लेम था, वह सोसाइटी के बाद में आता था। ऑब्जेक्टस एण्ड रीज़न्स में यह कहा गया है कि हम सोसाइटी को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टस एण्ड रीज़न्स में नहीं दे रहे हैं। २६ में 'chargeon urinmovable property of members borrowing lcans frcm certain societies..:' यह जो लाया गया है उसका कहीं पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कोऑपरेटिव लोन से संबंध नहीं है।

न तो इसका जिक्र ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में माननीय मंत्री महोदय ने किया है और न उन्होंने अपने इन्ट्रोडक्टरी भाषा में ही जिक्र किया। उन्होंने यह कहा कि हम २६ ए कर रहे हैं। लेकिन जब आप इस क्लाज़ ३ में ३६ ए है, उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वह प्रोड्यूस पर नहीं है, It is on immovable property इसका कहां तक 'इन्टीग्रेट' से संबंध है ?

इस सिलसिले में रिजर्व बैंक में जो ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे की रिपोर्ट है उसका भी मैंने जिक्र किया है। उन्होंने क्या कहा है, वह मैं आपको उसका पैराग्राफ पढ़ कर सुनाता हूं जिससे आपके सामने यह जो चीज है, साफ हो जावेगी कि यह जो क्लॉज २६ लिया जाता है वह कोऑपरेटिव लोन के लिए जरूरी नहीं है। उसके इन्ट्रोडक्शन से जो एक्सटेन्शन हम चाहते हैं बंद हो जाता है। रिजर्व बैंक की जो Rural Credit Scheme है, उसमें साफ-साफ बताया है कि कोऑपरेटिव लोन किस किस को कहते हैं; यह मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं : क्रोप लोन को उन्होंने डिफाइन किया है। The basis for short-tern credit should be the syftem of 'crop loans' Ths sytsem my be briefly described as one which concentrates on proctive purposes; provides short-term loans on the basis that a crop is anticipated, and not primarily that a title exists; relates such loans in amount to the estimated outlay on raising the crop; and as and when the crop is sold, recovers the loans from the proceeds of the sale. The loans should, to the maximum extent possible, be disbursed in kind.

यहां पर उन्होंने कहा है, उन्होंने यह जिक्र नहीं किया है कि there should be some security.

इस तरह की सिक्योरिटी पर लोन हो, इसका कोई जिक्र नहीं किया है। इसके लिये यह भी सिफारिश की है कि ऐसा न हो कि सिक्योरिटी के बिना सोसाइटी लोन दे दे और सिक्योरिटी न रहे। आपका बिल है उसमें जो क्लॉज २ है, वह रूरल बोर्ड की सिफारिश है, उसका पर्पज क्लॉज २ से सर्व हो जायगा। क्लॉज ३ है उसमें न तो आपने 'ऑब्जेक्ट्स' एण्ड रीजन्स में कुछ कहा है और न वह

(श्री पी० के चौधरी)

रूरल क्रेडिट स्कीम की रिकमण्डेशन में आता है। उन्होंने कोआॅपरेटिव लोन के बारे में यह कहा है "In regard to loan operations, our emphasis is on crop loans, of which the need and the characteristics we have already described. Some of the details are dealt with here. There are various precautions which it is possible to take, and whichshould be taken in working the system of crop loans. Some of them my be enumerated along with certain steps which it is for the State to pursue." जो मैंने पहले पढ़ सुनाया In the frist place, the amount of the crop loan should be so fixed as to be an adequate proportion of the cash outlay per acre of crops. On that basis it will also of course, in the bulk of cases, bear a reasonable relation to the value of the crop. Secondly, wherever appropriate, the loans my be given in suitable instalments instead of as a lumpsum at the start. Thirdly the loans should be in kind to the maximum extent possible.

Fourthly यह बहुत इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है। Certain legal safeguards are possible. we endorse the recommendation of the agricultural Finance Sub-committee, while credit societies should not ordinarily attempt mortgage finance, they should be enabled to have a statutory charge on the crop for the seasonal finance given to buttress personal security. When such a charge has been created by the borrwer, it should not be alienable without the permission of the society. A prohibition of this kind was, for example, incorporated in the Bomby Co operative Societies Act when it was amended in 1948."

जहां उन्होंने सिफारिश की है बोम्बे कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ के कोआॅपरेटिव पर, स्टेच्यूटरी चार्जेज के लिए सिफारिश की है। अब हम यह देखते हैं कि यह जो एमेंडमेंट लाया गया है वह इस सिफारिश के मुताबिक है या नहीं, क्योंकि एक बात मैं सदन की जानकारी के लिये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां ओरिजनल एक्ट है वह बोम्बे एक्ट १९२५ के पेटर्न पर बना हुआ है। जब १९४८ को यह अमेन्डमेंट आया है। सिक्योरिटी का एमेन्डमेंट है, जहां तक इस क्लॉज के भाग में है, आगे का हिस्सा है। २९ ए नया क्लाज लाया गया है जो कोओपरेटिव लोन के पैटर्न में कहीं नहीं आता। माननीय मन्त्री महोदय ने अपने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टस एण्ड रीज़न्स में इसका कुछ भी जिक्र नहीं किया, न उन्होंने अपने भाषण में बताया, जो उन्होंने इन्ट्रोड्यूस करते समय दिया था। एक तरफ हम कहते हैं कि एक्सपेन्शन हो और दूसरी तरफ हम इम्मूवेबल प्रोपर्टी पर चार्ज (charge) करते हैं। बम्बई, १९४८ में जो एक्ट है उसमें क्रोप पर कोई चार्ज नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा (सहकारी मन्त्री) This provision does not concern the crop loans. This is altogether an independent clause, which if you read properly, will be clear.

There are certain societies, larger size societies which get loans to the extent of lakhs of rupees. We give them loans worth lakhs of rupees.

Page No.76

(श्री नाथूराम मिर्धा)

and in such cases it is only necessary that we should obtain a security for these loans in the shape of immoovable properties of the members of these societies. There was a lacuna in the Act which we went to remove for this type of societies. Marketing Societies, for example, are latest additions to the co-operative societies. We give them advances and we must get proper security for money advanced Therefore, we went to keep this provision. It is not at all connected with crop loans and it is not necessary that everything which is brought in the Bill should be stated in the objects and Reasons. So if you read the heading, it is for certain societies and not for crop societies.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि यह जो नया एडीशन है वह क्रोप लोन के लिए नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है और इस बात को मैं मानता हूं। जो ओबजेक्ट्स एन्ड रीज़न्स को पढ़ा जाय तो उससे यह इम्प्रेशन होता है कि क्रोप लोन्स को डिस्क्रिएशन रहेगा। अगर यह उसके लिए भी रहेगा तो उसका पर्पज ही सर्व नहीं होता है। मेरा तो यह सुझाव है कि जब आपने बोम्बे एक्ट को फोलो किया है तो उसको पूरी तरह से फोलो कीजिये। २६ ए और २६ ए ए को वैसा का वैसा ले लीजिये। वहां लैंडएण्डइन्ट्रेस्ट इन लैंड है, यहां पर आपने लैंड एन्ड इन्ट्रेस्ट इन लैंड बदल कर इम्मूवेबल प्रोपर्टी कर दिया है। दोनों को कम्पेयर करके देखें तो मालूम होता है कि लैंड एन्ड इन्टरेस्ट ऑफ लैंड के बजाय इम्मूवेबल प्रोपर्टी टू सब्स्टिट्युट किया हुआ है। उसकी क्या मंशा हो सकती है? मैं तो यह मंशा समझा हूं कि मकान की सिक्योरिटी और कई चीजों की सिक्योरिटी लेना शुरू कर देंगे। कूए वगैरह सब कुछ आते हैं, खातेदारी राइट्स सब कुछ इम्मूवेबल प्रोपर्टी में हो सकते है। ट्रीज वगैरह हैं वे भी इन्ट्रेस्ट इन लैंड में हैं, प्रोड्यूस इन लैंड में आ जाते हैं। बोम्बे एक्ट में जो चीज है, लैंड एण्ड इन्ट्रेस्ट इन लैंड, वह यहां भी करते तो ठीक था लेकिन उसके बजाय इम्मूवेबल प्रोपर्टी करते हैं तो मन में सन्देह पैदा होता है, सस्पीशियन अराइज होता है। मूवर ओफ दी बिल का इन्टेन्शन क्या है? स्ट्रेट इन्टेन्शन हो तो मीडियम लोन होना चाहिये। मार्केटिंग सोसाइटी लोन के लिए मैं एग्री नहीं करता। लोन को प्रोड्यूस पर रख सकते हैं। उसके लिए लैंड वगैरह ले सकते हैं, मकान वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। इस क्लॉज़ का किस तरह से अमल करेंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको जरूर ऑथोरिटी मिल जाती है, किसी व्यक्ति का मकान हो तो उसका डिक्लेरेशन मिल जाता है और काश्तकार के मकान के बारे में डिक्लेरेशन मिल जाने का मैं सख्त विरोध करता हूँ। काश्तकार के पास दो ही तो चीजें हैं; एक मकान और दूसरी जमीन। यदि आप मकान का डिक्लेरेशन लेते हैं तो आप उसको घर से निकाल सकते हैं, यदि मकान की सिक्योरिटी ली तो फिर मनी लैंडर्स एक्ट में जो प्रोविजन है उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। वे जब मनी देते हैं तो रूथलेसली एक्स्ट्रेक्ट करते हैं और आप भी करेंगे तो फिर मेरे दिमाग में दोनों में कोई फर्क नहींनजर आता है।

३.१४ म. प.

(श्री आबिदअली, सभापति पदासीन)

यदि इसको पास करना ही है तो कम से

(श्री पी० के० चौधरी)

कम जहां 'इम्मूवेबल प्रोपर्टी' रखी है सब क्लॉजेज में, हैड में तो रहने दीजिये, उससे कोई एतराज नहीं है, "immovable property" उसको मत रखिये । बोम्बे एक्ट में जब इसको डिफाइन कर दिया तो आप भी कर दीजिये । इसलिए यदि २९ ए का प्रोविजन या एडीशन आपको करना है तो जो "इम्मूवेबल प्रोपर्टी" आपने लिखा है it should be land or interest in land, ताकि किसी तरीके से मकान के ऊपर ऐसी सिचुएशन अराइज न करे जिससे मकान पर डिक्लेरेशन हो सके । इसलिए इसको स्पेसिफिकली मेन्शन कर देना चाहिये । यह जो डिक्लेरेशन है यह प्रोड्यूस चार्ज ओन लैंड करेगा । मीडियम के लिए करेंगे, शोर्ट टर्म के लिए नहीं । शोर्ट टर्म चाहे प्रोसेसिंग में हो, चाहे क्रोप प्रोडक्शन में हो, हमेशा ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेलेबल होनी चाहिये और उसके लिए मेहता कमेटी ने सिफारिश की है, "to give loan to a person who has title to property"

आज बगैर टाइटल प्रोपर्टी में, किसी की टाइटल न हो तो लोन नहीं मिलता है । कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिये लोन जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है रिच पीजेन्ट्स, बेटर पीजेन्टस को ज्यादा फायदा मिलता है, और लैंड-लैस पीजेन्ट्स को फायदा नहीं मिलता है, शेयर्स वालों को फायदा हो सकता है । प्रोसेसिंग के लिए देते हैं, उसमें भी शोर्ट टर्म लोन देंगे, उसमें भी टाइटल प्रोपर्टी का प्रोविजन रखेंगे, जैसा आपने बताया कि मार्केटिंग सोसाइटी के लिए लोन देंगे तो नये क्लॉज २९ ए का उपयोग करेंगे लेकिन मेरी राय यह है कि मीडियम टर्म का जहां सवाल है उसका उपयोग कर सकते हैं और करना चाहिये, लेकिन शोर्ट टर्म लोन देंगे उसके लिए इम्मूवेबल प्रोपर्टी का डिक्लेरेशन नहीं होना चाहिये । इसलिए इसमें यह साफ आ जाना चाहिये that first charge on the immovable property should be used only in case of medium term loans. चाहे प्रोसेसिंग सोसाइटी के लिए दें या और किसी के लिए दें, आप एक लिमिट फिक्स कर दें । इससे अधिक आप देते नहीं । शोर्ट टर्म लोन आप सीजन के बाद वसूल करते हैं और लोन वसूल नहीं होता है उसकी वजह क्या है, इसके बारे में रूरल क्रेडिट सर्वे में साफ बताया गया है और मेहता कमेटी ने भी साफ बताया है । लोन की रिकवरी नहीं होती है, उसकी दो वजह है । एक तो इन्डिस्क्रिमिनेटली दिया जाता है, प्रोडक्शन नहीं देखते हैं और मर्जी से दे दिया जाता है । प्रोपर सुपरविजन नहीं होता है कि जिस पर्पज के लिए दिया गया है उस पर्पज के लिए यूज होता है या नहीं, टाइमली रिकवरी नहीं होती है, काश्तकार जब फसल घर को ले आते हैं उस टाइम आप जाओ तो रिकवरी कर सकते हो, लेकिन महीने, दो महीने बाद गये और चाहें तो रियलाइज नहीं कर सकते । आज जो मूवमेन्ट है उसमें डिफेक्ट यही है कि जो लोन एडवान्स करते हैं उनके अक्सर प्रोग्राम्स को नहीं देखते और नाम के बतौर एक्चुअली प्रोग्राम्स दे देते हैं, उनको भी सुपरवाइज नहीं करते कि जिस पर्पज के लिए यह लोन दिया जा रहा है उसमें यूज किया गया है या नहीं । हारवेस्ट के बाद इमीजियेटली जायं तो रिकवरी हो सकती है । डिले करके जाते हैं तो रिकवरी नहीं हो सकती । काश्तकार फसल को बेच कर इधर उधर बाद में कर देते हैं । तो उसको अवोइड करने का तरीका नहीं है । जब प्रोसेसिंग

(श्री पी० के० चौधरी)

सोसाइटी या मार्केटिंग सोसाइटी के लिए लोन देंगे तो आप डिक्लेरेशन लेंगे। फर्स्ट चार्ज इम्मूवेबल प्रोपर्टी करेंगे, उसमें डिस्टिन्कशन ? करना चाहिये। जैसा प्रोडक्शन के बारे में है वैसा करना चाहिये। शोर्ट टर्म प्रोग्राम के बेसिस पर होगा और साल छः महीने में ? जैसा आप तय करें रिकवरी करिये, but recovery should be in time. डिक्लेरेशन तो आप जरूर उससे करवायेंगे सब ही माने में, तो इसीलिये मैं इसको ठीक समझता हूं, मुनासिब समझता हूं कि यह क्लॉज २६ (ए) है उसमें एक प्रोविजो होना चाहिये इसका उपयोग हो सके। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इसको क्लियरली यहीं २६ ए में प्रोविजो लगाकर कर देंगे और कोई तरीका हो बिल में इसके लिए तो बतायेंगे, जहां वे इसको इन्सर्ट कर सकते हैं।

जो एक प्रोविजो कर दिया जाय, जहां यह डिक्लेरेशन क्लॉज है वहां मीडियम टर्म्स लेने के लिये किया जायगा। मैं समझता हूं, फिर इस बिल को पास करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिये। इसी रूप में अगर पास करेंगे तो इसका दुरुपयोग होगा और जो कोऑपरेटिव मूवमेन्ट को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं वह नहीं होगा। आज जब डिक्लेरेशन लेने जायेंगे तो उसका रिएक्शन होगा, मकान एक होगा। उस सारे मकान का डिक्लेरेशन होगा चाहे उस पर सौ रुपया, दो सौ रुपया या चार सौ रुपया ही लोन क्यों न मिले। ऐसा कोई डिक्लेरेशन देने के लिये तैयार नहीं होगा। यदि इस प्रकार का डिक्लेरेशन दे देता है तो अदर सोर्सेज से लोन उसको नहीं मिल सकेगा।

दूसरी बात यह है कि जो लोग ट्रेक्टर्स वगैरह के लिये तकावी लेते हैं उनसे फर्स्ट चार्ज क्रिएट नहीं करते। तकावी का भी आप कोऑपरेटिव के मार्फत करना चाहते हैं। इस किस्म की स्ट्रिन्जेन्सी नहीं रखना चाहते। इस बिल के डिस्कशन के दौरान में मैं समझता हूं, माननीय मंत्री महोदय सूटेबल अमेन्डमेन्ट मान लेंगे, इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में देकर वहां से पास होने के बाद सदन में इस बिल को लाना चाहिये।

(श्री दयाकृष्ण विजय के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : You are to support the motion ?

श्री दयाकृष्ण विजय : I want to move my motion.

श्री श्रीभानसिंह : But the same motion has been moved by Shri P. K. Chaudhri.

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, अगर पी० के० चौधरी ने अपना अमेन्डमेन्ट वापिस ले लिया तो उस हालत में इसको प्रेस करने का अधिकार रहेगा।

श्री सभापति : Please don't anticipate things.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार के उद्देश्य और कारणों का विवरण माननीय मंत्री महोदय ने रखा उसको सुनकर ऐसा लगता है कि इस प्रकार के कानून की हम चिरकाल से प्रतीक्षा कर रहे थे। काश्तकारों में भी जो बहुत छोटे काश्तकार हैं, जिनको हम सब टिनेन्ट या टिनेन्ट कह सकते हैं उन काश्तकारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए

(श्री दयाकृष्ण विजय)

सहकारी बैंक से कुछ ऋण मिल सके और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अलॉटमेन्ट कमेटी से वह कुछ जमीन हासिल कर सके और ऋण लेकर उससे बीज खाद आदि खरीद कर वह छोटा काश्तकार स्वतंत्र रूप से पैदावार करके खातेदार बन सके। हमने और राज्य सरकार ने इस प्रकार के विचार रखे हैं कि काश्तकारों और सरकार के बीच में जितने भी मध्यस्थ हैं उनको हटाया जाय और जो हल लेकर खेत में जाता है उस हलवाहे के बीच और सरकार के बीच खातेदार टिनेन्टस की जो उपस्थिति है वह भी समाप्त होनी चाहिये। वह केवल इसी प्रकार से खत्म हो सकती है कि जिन काश्तकारों के पास जमीन नहीं है, बैल, खाद, बीज उत्पन्न करने के साधन जिनके पास नहीं हैं उनको ऋण मिले लेकिन उन लोगों के पास प्रतिभूति रखने के लिये कुछ भी नहीं है। जमीन उनके पास नहीं जिसे वे रख सके। जमानत वे नहीं दिला सकते, वैसी हालत में बीज और खाद के लिए वे पैसे कहां से लायें? जमीन अलॉट हो जाना एक बात व खातेदार बन जाना दूसरी बात लेकिन सफलतापूर्वक इन्टेन्सिव कल्टीवेशन हो सके यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार की सफलता प्राप्त करना दूसरा प्रश्न है। जिनको भूमि अलॉट कर देते हैं उन काश्तकारों के सामने एक समस्या आती है कि किस प्रकार से सरकार द्वारा ऋण प्राप्त करें। उसके लिये केवल मात्र साधन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा ऋण प्राप्त करना। जिस प्रकार की भावना अभी माननीय मंत्री महोदय ने प्रकट की उस प्रकार से जिन छोटे काश्तकारों का भूमि पर सत्व नहीं, जमीन पर जो काश्तकारी का धंधा करते हैं उनकी फसल पर लेन-देन का प्रावधान इसमें किया गया है ताकि भविष्य में चलकर वह काश्तकार आत्मा निर्भर बन सके। मैंने इस पूरे विधेयक को पढ़ा क्लॉज़ २९ ए जो मूल क्लॉज जोड़ा गया है उस क्लॉज को पढ़ने के बाद मुझे बहुत निराशा हुई। जो भावना, उद्देश्य और कारण प्रकट किये गये उस क्लॉज में पूरी नहीं होती। तो काश्तकारों के सामने चाहे खातेदार टिनेन्ट हो, चाहे सब टिनेन्ट हो, उनके सामने दिक्कत यह थी कि कोऑपरेटिव बैंक के पास भूमि मोर्टगेज की जाती है उसमें सारी की सारी भूमि को अपने नाम पर बन्दी कर लेते हैं, चाहे वह भूमि दो हजार की हो या चार हजार की, उस सारी भूमि को सहकारी बैंक प्रतिभूति को तौर पर रख लेता है। वैसी हालत में जहां सारी भूमि को प्रतिभूति की तौर पर रख दिया जाता है वहां उस काश्तकार के लिए दूसरी जगह से उस भूमि पर ऋण प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। वह प्राप्त नहीं कर सकता। बिना सोसाइटी को पर्मिशन लिये वह जीमन किसी को ट्रान्सफर नहीं कर सकता। काश्तकारों की मूलभूत समस्या यही थी। सोसाइटी उतनी ही जमीन मोर्टगेज करवाये जितनी जमीन की कीमत का वह लोन देती है, उससे अधिक की नहीं। बाकी बची हुई जमीन से वह दूसरी जगह से भी सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा काश्तकारों के पास प्रतिभूति रखने के लिए और क्या है? सिर्फ जमीन के अलावा उसके पास धरोहर रखने के लिए और कोई दूसरी चीज नहीं है। वैसी हालत में अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी सारी जमीन को रहन रख लेती है, दूसरी जगह से लोन लेने के उसके पास कोई साधन नहीं रह जाते हैं। इसके लिये मैं आपके सामने २९ ए पढ़कर सुनाता हूं, जिसको पढ़ कर निराशा हुई।

(श्री दयाकृष्ण विजय)

"No member shall alienate the whole or any part of the immovable property specified in the declartion made under sub-clause (i) or clause (ii) until the whole amount borrowed by the member together with interest thereon is paid in full and any such alienation shall be void........."

जिस चीज की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह कि जिस कानून के द्वारा हम काश्तकारों को राहत देना चाहते हैं वह आपकी मूल भावना इससे खत्म हो जाती है। फिर मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं वह यह कि आप प्रतिभूति उससे लेना चाहते हैं जो जमीन का मालिक नहीं। आप क्लॉज २६ पढ़ जाइये इसके अन्दर एक संशोधन है मामूली सा On the security of immovable property यह निरस्त किया जायगा। इसमें मूवेबल प्रोपर्टी ली है। लेकिन इसका एलीयनेशन कहां होगा, इसका जिक्र नहीं। आप जहां काश्त-कारों को फेसिलिटी देने की बात कहते हैं वह इस क्लॉज में कहां है? इस प्रकार से ऋण लेने का तरीका है वह कहीं दिखाई नहीं देता। जो जमीन पर सत्व नहीं रखता उनको ऋण लेने की सुविधा हो, इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। न इस प्रकार के टिनेन्ट का जिक्र है। सब क्लॉज (१) यह है :

"Any person who makes an application to a society of which he is a member for a loan shall, if he owns any immovable property, make a declaration in the form prescribed by rules or by the Registrar and such declaration shall state that the applicant thereby creates a charge on the immovable property owned by him.

अब जो एप्लीकेशन देने का तरीका है वह तो immovable property owned by him है। इसमें कहां है इम्मूवेबल प्रोपर्टी या सब टिनेन्ट भी एप्लीकेशन दे सकेंगे। यह क्लॉज जो विशेष राहत के लिये जोड़ा गया है इसमें विशेष राहत का कहीं जिक्र नहीं है।

इसके अलावा आपने तमाम जमीन को सौ रुपये के अगेन्स्ट मोर्टगेज रख लिया है। आप सौ रुपये की जमीन रख लीजिये, बाकी जमीन तो फ्री रखिये और उसको उसे और कहीं रखने की इजाजत दीजिये। तो यह राहत भी उसमें नहीं है।

इसलिये चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो यह देखे कि जिस हित साधन की दृष्टि से यह क्लॉज २६ ए जोड़ा जा रहा है उसका वह मकसद भी पूरा होता है या नहीं। इसलिये इसको प्रवर-समिति के सुपुर्द अवश्य कर देना चाहिये, पर टाइम लिमिट उसके लिये कर दीजिये कि वह इसी सत्र में आ सके।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय चेयरमैन, जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने प्रवर समिति के सुपुर्द करने का रखा है, मैं उसके सपोर्ट में कुछ कहना चाहता हूं।

माननीय मंत्री महोदय ने जिस ओप्टि-मिज्म के साथ कोऑपरेटिव मूवमेन्ट की प्रगति का सदन में जिक्र किया, मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जो कि उस ओप्टिमिज्म को शेयर नहीं कर सकते। क्योंकि जिस रिपोर्ट का माननीय मन्त्री महोदय ने या इस बिल में रेफेरेन्स दिया गया है रूरल क्रेडिट सर्वे का, उसे शायद मन्त्री महोदय ने जरूर देखा होगा।

(श्री श्रीभानसिंह)

उन्होंने जो पिक्चर रूरल क्रेडिट सोसाइटीज का पेन्ट किया है, जो बातें एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन से बताई हैं, उनके बेसिस पर यह कहना ठीक होगा कि हमारे यहां राजस्थान में ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान के अन्दर कोऑपरेटिव रूरल क्रेडिट ने प्रगति नहीं की है और न प्रगति कर ही सकती है।

यह कर सकने का अनुभव तो हिन्दुस्तान के प्रधान मन्त्री ने खुद ने किया है। उन्होंने अपने अनुभव से कहा है कि जब तक इन रूरल कोऑपरेटिज के वर्तमान कायदे कानून नहीं बदले जावेंगे और जब तक इसके अन्दर ब्युरोक्रेटस का जो हाथ रहता है उसको नहीं हटाया जावेगा, और जो सोसाइटीज का फोर्मेशन का आज का तरीका है उसको नहीं बदला जावेगा तब तक कोऑपरेटिव मूवमेन्ट प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने खुद ने कोशिश की थी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर लोन दिलाने की, पर हमारे प्रधान प्रन्त्री इसमें फेल्योर हुए, वे नहीं बना सके।

श्री भैरोंसिंह : लोन नहीं दिला सके।

श्री श्रीभानसिंह : जी हां, लोन नहीं दिला सके। मन्त्री महोदय दस रोज पहले कोऑपरेटिव वीक का उद्‌घाटन करके आये हैं। वह वीक बन्द भी हो गया। वहां पर भीड़ भी थी, अफसर भी थे, कोऑपरेटिव के सिद्धान्त पर भी बढ़ चढ़कर भाषण हुए, रिसेप्शन भी उनका अच्छा हुआ होगा, जो मन्त्री उद्‌घाटन करने गये उनका भीड़ बहुत होगी, इन्सपेक्टर, रजिस्ट्रार, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, सब इन्सपेक्टर वगैरह सभी थे पर वहां किसी ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेम्बरों को नहीं पाया। कितने मेम्बरों ने उसमें पार्टिसिपेट किया इसकी अभी तक कोई खबर नहीं। मगर हम फिर भी वीक मनाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, स्लोगन लगाते हैं। यह हम मानते हैं कि अगर हम जनतन्त्र के सिद्धान्तों को सीखना चाहते हैं तो वह कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसके जरिये से सीख सकते हैं। इतनी पोटेन्शियेलिटीज हैं कोऑपरेटिव में कि अगर इसे ठीक ढंग से चलाया जावे तो हम प्रगति कर सकते हैं।

पर जिस तरह का प्रावधान इसमें दिया है उससे आशा नहीं बनती। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों राजस्थान गवर्नमेन्ट रूरल क्रेडिट सर्वे की रिपोर्ट को स्टेजेज से मान रही है, पूरी तरह से क्यों नहीं मान लेती ? उसमें और भी प्रोविज़न्स हैं और भी सैक्शन्स हैं, उनको भी तो इसमें इन्कोर्पोरेट करती। आखिर में काश्तकार की आवश्यकताएं क्या हैं, इनको हमने नहीं देखा, इस कारण से भी यह रूरल क्रेडिट फेल रहा।

इसमें यह भी देखना है कि काश्तकार की नीड्स क्या हैं ? जब हम इसको देखते हैं तो शोर्ट, लोंग और मीडियम टर्म के तीन तरह के क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। शोर्ट टर्म का आपने इसमें प्रावधान किया है। मीडियम और लोंग टर्म के लिये राजस्थान के मोर्टगेज बैंक प्रावधान करेंगे। यह अभी है या नहीं, मालूम नहीं। इन दो आवश्यकताओं के लिये यहां कोई गुंजाइश नहीं। हम इमीजिएटली शोर्ट टर्म लोन के लिये प्राविजन करते हैं। पर यह क्रोप के बेसिस पर करते हैं। रखना इस तरह चाहिये था कि जिससे प्रगति तीव्र और क्विक होने को हो। पर जहां हम देखते हैं कि एक तरफ हम प्रगतिशील कानून बनाते हैं वहां दूसरी तरफ

(श्री श्रीमानसिंह)

एक और ऐसा रिट्रोग्रेट, जिसे प्रोग्रेसिव कदम नहीं कहा जा सकता, हम ले लेते हैं। एक क्लॉज प्रगति करने का रखते हैं तो आगे जाकर उसको रोकने का रख देते हैं। आगे अब आपने रख दिया कि जो लोन लेगा वह ओनरशिप राइट पर लेगा। जो आदमी लैंड ओन (own) करेगा वही लोन ले सकता है। मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो आप प्रोग्रेसिव स्टेप लेते हैं क्रोप के बेसिस का और दूसरी तरफ आप कर रहे हैं लैंड ओनर का। नतीजा इसका यह होगा कि आपने जो सोसाइटीज स्थापित की स्माल और मीडियम कल्टीवेटरों को लोन देने के लिये, इस अमेन्डमेन्ट के द्वारा, वे सोसाइटियां अब लोन देने लगेंगी उन लोगों को जिनके पास ओनरशिप होगी, जो लैंड लोर्डस् होंगे या जिनके पास जमीन अधिक होगी। ये उच्च वर्ग के आदमी होंगे। उन्होंने ही अब तक पूरी तरह से जहां तक आप दे सकते थे, लोन लेकर उन्होंने ही फायदा उठाया। आपने कोऑपरेटिव मूवमेन्ट स्टार्ट किया स्माल और मीडियम कल्टीवेटर को लोन देने के लिये, वह आप नहीं दे सके। तो गवर्नमेन्ट इसको महसूस करती है और इसके बाद अमेन्डमेन्ट लाती है। पर उस २६ ए में भी रक्खा है आपने ओनरशिप का क्राइटेरिया। इससे होगा क्या ? जिसके पास ज्यादा जमीन है वह उतना ही ज्यादा लौन ले सकेगा और अगर वे इतना ले सकते हैं तो नतीजा क्या होगा ? बड़े बड़े लोग लेंगे। आपके स्मॉल टिनेन्ट और सबटिनेन्ट जो ओनर नहीं हैं, नहीं ले सकेंगे, आप क्रोप के बैसिस को इलिमिनेट करना चाहते हैं। आप यह चाहते हैं कि कोऑपरेटिव मूवमेन्ट फ्लोरिश करे तो हमेशा एक स्टेट गवर्नमेन्ट का प्रायर क्लेम मान सकते हैं।

प्रायर क्लेम होना चाहिए सोसाइटी का। मगर वह प्रायर क्लेम स्टेट गवर्नमेंट का मानते हुए उसमें फिर इन्ट्रोड्यूस करते हैं subject to the prior claim of the landlord for rent. ये क्लॉजेज़ इतने हैं कि हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते ही subject to the prior claim of the land lord for rent. रोक देते हैं। लैंड लोर्ड का रेन्ट तो आज आप उम्मीद करते हैं कि कोऑपरेटिव मूवमेन्ट इस तरह से प्रगति करेगा यह प्रगति नहीं कर सकता। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वे तो अपने आपको हमेशा किसान नेता कहते हैं, उनसे कोई रूरल सीन छिपा हुआ नहीं है। गांवों में लेन्ड लोर्ड्स मनी लेन्डिंग भी कम्बाइन्ड करते हैं। आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई कल्टीवेटर लोन लेने के लिए नहीं आयेगा। वह तो उसी लैन्ड लोर्ड के पास जायेगा जिसके पास सबसे ज्यादा मकान होंगे, उस गांव के अन्दर जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा। हम कोऑपरेटिव मूवमेंट को चला कर लैन्ड लॉर्डस को हटाना चाहते हैं, दूसरी तरफ यह क्राइटेरिया subject tot he prior claim of the landlord for rent; तो लैन्डलैस कल्टीवेटर्स के काम तो चलते आये हैं और चलते रहेंगे। जब तक आप ऐसा प्रगतिशील कानून नहीं बनायेंगे। जब तक आप लैण्ड लोर्ड्स के सिस्टम को ही एबोलिश नहीं कर देंगे। तब तक आप उनके क्लेमस को एबोलिश नहीं कर सकते। रेन्ट आखिर क्या है, यह वह है जो काश्तकार लेबर करता है उसके प्रोफिट में जब उसका शेयर कन्टीन्यु करता है और उसको भी सब प्रकार के क्लेम्स दें अपनी सोसाइटी के क्रेडिट से और स्टेट से तो क्या नतीजा होता है ? नतीजा यह होता है कि हम बैकडोर से उस सोसाइटी का गला घोंट देते हैं। प्रायर क्लेम्स टू रेन्ट अगर स्टेट गवर्नमेंट को मान

(श्री श्रीभानसिंह)

लिया जाय और मार्टगेज बैंक को मान लिया जाय और दूसरे इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनको मान लिया जाय, अगर उसके अन्दर बैंक्स के प्रायर क्लेम्स सोसाइटी के अगेन्स्ट में मानेंगे तो इस तरह आपका कोऑपरेटिव मूवमेंट नहीं चल सकता। तो यह क्राइटेरिया क्या होना चाहिए ? अगर आप ओनरशिप के प्रिंसिपल को नहीं मानते हैं तो फिर क्राइटेरिया सीधा है। जैसा माननीय मंत्रीजी ने कहा कि हम समाजवाद का ढांचा मजबूत बनाना चाहते हैं, उसकी फाउन्डेशन को मजबूत करना चाहते हैं तो समाजवाद के अन्दर और सोशियलिज्म के अन्दर अगर क्राइटेरिया ओनरशिप का रहेगा तो वह समाजवाद समाजवाद नहीं रहेगा। समाजवाद, सोशियेलिज्म में क्राइटेरिया रखना पड़ेगा लेबर का। अगर मेरे पास लेन्ड का टाइटिल भी नहीं है और मैं लैंएड का ओनर भी नहीं हूं और अगर मुझमें उसमें लेबर करने की शक्ति है और आपकी नेशनल वैल्थ को कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए शक्ति है तो फिर मेरी लेबर की शक्ति पर मुझको लोन क्यों नहीं देते हैं ? क्या जस्टीफिकेशन है ? एक तरफ जब हम कहते हैं कि समाजवाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा लाना चाहते हैं तो फिर आप किस तरह डिनाई कर सकते हैं उसको लोन देने से। वह लेबर की शक्ति पर आपसे लोन मांगता है और उसको आप लोन देने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर समाजवाद किसके लिए हुआ ? वह तो उन्हीं के लिए हुआ जिनके पास बड़ी बड़ी प्रोपर्टीज़ हैं जिनकी हाई इन्कम है और उनके लिए है जिनके पास नेशनल वैल्थ के अन्दर हमारा जो प्रोडेक्शन है उसमें उनका कोई कन्ट्रीब्यूशन नहीं है। हां, यह समाजवाद कुछ हो सकता है, अपने कुछ राजस्थान के जीनियस के लिए यह किया है और उनको यह छूट कर सकता है। लेकिन आप समाजवाद का ढांचा लाना चाहते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जरिये से लाना चाहते हैं तो आपको एक आदमी के प्रिविलेजेज़ का ध्यान रखना पड़ेगा और लेबर का तरीका अख्तियार करना पड़ेगा और ओनरशिप का तरीका हटाना पड़ेगा। तब तो आप समाजवाद में प्रगति कर सकते हैं।

अन्त में, चेयरमैन महोदय, मैं इसको सपोर्ट करते हुए जो कुछ माननीय मंत्री महोदय ने कहा, थोड़ा कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में कुछ अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुभव बताऊं कि कोऑपरेटिव मूवमेंट आपका सैक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ और यह क्रेडिट जो है, जो कुछ मिलता है वह राइट वे में युटिलाइज़ होता है या नहीं। लेकिन जैसा पहले बताया कि आपका जो क्रेडिट है उस क्रेडिट को भी आपने कभी देखा कि वह राइट पर्सन के पास पहुंचता है या नहीं। क्रेडिट का क्राइटेरिया है, "right man right amount and for the right work." ये तीनों चीजें निर्धारित कर दें अपने कोऑपरेटिव क्रेडिट के अन्दर कि एक तो कल्टीवेटर की नीडस क्या हैं, उसकी राइट क्वान्टिटी उसको आप देते हैं या नहीं और राइट टाइप ऑफ मैन को देते हैं या नहीं। अभी जो हम क्रेडिट देते हैं वह न तो सफीशियेन्ट अमॉउन्ट है और न वह राइट टाइप ऑफ पर्सनल के पास पहुंचता है और न उसका युटिलाइजेशन राइट टाइप से होता है। अभी हम देखें तो मालूम होगा कि क्रेडिट किस चीज के लिए लिया गया है और युटिलाइज दूसरी चीज के लिए हुआ है। इसमें हैल्प कौन करता है ? वही करते हैं जो कि माननीय मंत्री महोदय के

(श्री श्रीभानसिंह)

स्वागत के लिए सबसे पहले हाजिर रहते हैं और वे हैं आपके रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, कोआॅपरेटिव इन्सपेक्टर आदि। ये लोग वे हैं जो कि कोआॅपरेटिव मूवमेंट के फेल्योर के अन्दर एजेन्सीज़ सबसे ज्यादा हैल्प करती है, यह गवर्नमेंट एजेन्सी है जो कि मूवमेंट को फेल्योर करने में हैल्प कर रही है। ये लोग ऐसा एटमोस्फियर बना देते हैं, ऐसे ओके-जन्स पर और ऐसे आंकड़े मंत्री महोदयों के सामने रखते हैं कि जिनसे हमें सन्तोष हो जाता है कि हमारे यहां कोआॅपरेटिव बहुत प्रगति कर रहा है। माननीय मंत्रीजी ने कहा कि रिपोर्ट को इनकोपोरेट किया है। तो सर्वे रिपोर्ट में यही लिखा है कि जो ऑफिसर्स हैं वे यह एटमोस्फियर क्रियेट करते हैं, an atmosphere of change amidst non-change, an atmosphere of compliance amidst non compliance; ऐसे उसके दो कोटेशन्स हैं जो मैं बता रहा हूं। उन्होंने जो यह लिखा है वह यह है, co-operative movement has failed but co-oprative must succeed- यह इस तरह का लिखा है आपके कोआॅपरेटिव ऑफिसर्स के लिए और आपके रूल्स एण्ड रेग्युलेशन्स के बारे में। तो आखिर में अगर उसकी रिपोर्ट को इनकोपोरेट करते हैं और पूरी तरह से मानते हैं तो रिपोर्ट के भी कुछ सजेशन्स हैं और उनको देखने के बाद में आप कोई कॉम्प्रेहेन्सिव बिल लाइये। जो आप सिक्योरिटी मांगते हैं वह ऑर्डिनरी आदमी दे नहीं सकता है। जब कि एक आदमी की फेस वैल्यु पर या लेबर वैल्यु पर आप क्रेडिट देंगे तो आपका कोआॅपरेटिव मूवमेंट चलेगा और अगर आप क्रेडिट सिक्योरिटी के ऊपर देंगे तो फिर आपका मूवमेंट नहीं चल सकता है। जैसा आपने इस बिल में रेट ऑफ इन्टरेस्ट के बारे में लिखा है, माननीय मंत्री महोदय को मालूम होगा कि कोआॅपरेटिव सोसाइटी की जो रेट ऑफ इन्टरेस्ट है वह किसी भी मनी लेन्डर से कम नहीं है फिर नोन पेमेन्ट अमाउन्ट पर वह उसी तरह कम्पाउन्ड रेट ऑफ इन्टरेस्ट की तरह पड़ता है। तो इतना हाई रेट ऑफ इन्टरेस्ट क्रेडिट लोन पर कोआॅपरेटिव सोसाइटी लोन देती है और इतनी हाई इन्टरेस्ट रखें तो इस इन्टरेस्ट को एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर बियर नहीं कर सकता। रेट ऑफ इन्टरेस्ट आपकी अनडिफा-इन्ड है लेकिन डिफाइन आपने रूल्स के जरिये कर दी होगी। तो एक रेट ऑफ इन्टरेस्ट को भी कम करने की बात सोचनी पड़ेगी और अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाये। कल्टीवेटर्स की जो नीड्स हैं, right quantity, right type of man and for the right type of work; ये तीन क्राइटेरियाज़ ले लेते हैं कि जो लोन हम देते हैं फिर बिगिनिंग टू एण्ड यह कर देते हैं कि राइट युटिलाइजेशन ऑफ लोन हो। इससे फुल बैनिफिट नेशनको मिल सकता है।

महज़ यह दे देना, आंकड़े दे देना कि दो लाख कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ को दे दिया एज़ ए लोन, मगर इन टर्म्स ऑफ वर्क उसको इवेल्युएट करते हैं कि दो लाख का कितना फायदा मिला, स्टेट या नेशन को कितना फायदा मिला, तो हमको ५० हजार का भी फायदा नहीं मिलेगा और डेढ़ लाख का नुकसान मिलेगा। दो लाख की मीनिमम रेट है तो दो लाख का कम सेकम ८० या ६५ प्रतिशत फायदा लेना है लोन का। उनका फुल युटिलाइजेशन होना चाहिये। जिस पर्पज़ के लिए लोन दिया है उस पर्पज़ के लिये वह युटिलाइज होता है और युटिलाइज होकर बेनिफिट

(श्री श्रीमानसिंह)

को एसेस करते हैं और जब वेमिनिट्स को एसेस करेंगे तब एक्चुअली कोऑपरेटिव के प्रिन्सिपल्स हैं कि स्माल और मीडियम साइज़ के कल्टीवेटर्स को जो हैल्प करें, जो मदद मिलनी चाहिए एग्रीकल्चर के अन्दर जिससे कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़े, तब वह पर्पज़ फुल फिल हो सकता है।

श्री मुक्तिलालमोदी (वैराट) : माननीय चेयरमैन, जो एक्ट की धारा २६ के अन्दर माननीय मंत्रीजी ने बिल रखा है उस बिल का .....

श्री सभापति : आप किस स्थान से बोल रहे हैं। क्या कांग्रेस सीट से बोल रहे हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : सीट से क्या मतलब है ? क्या इस पर लिखा हुआ है कि यह कांग्रेस की सीट है या अपोज़िशन की सीट है ? यहां पर तो कोई लिखा हुआ है नहीं।

(हंसी)

मैं तो इस बात में विश्वास नहीं करता हूँ कि इस तरह का आप भाव रखते हैं।

श्री सभापति : भाव की बात नहीं है। एक डिवीजन है हाउस के अन्दर।

श्री मुक्तिलाल मोदी : वोट लें तो दूसरी बात हैं; परन्तु सीट का क्या है ?

श्री सभापति : अच्छा, आप आरम्भ रखें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : (बैठक बदलकर) इस बिल को हाउस में रखने से पहले ही अगर सिलेक्ट कमेटी में सरकार की तरफ से यह बिल चला जाता और बाद में हाउस में आता तो ज्यादा अच्छा होता। हम काश्तकारों को फायदा देना चाहते हैं, इस मामले में तो मेरी भी पूरी सहानुभूति है कि काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, परन्तु काश्तकारों को फायदा न होकर और कुछ ऐसे तत्वों को फायदा होता है कि जो काश्तकारों के ऊपर हावी होकर बैठे हैं और वे काश्तकारों को फायदा कराने का दावा करते हैं, उनको फायदा हो तो जो कोऑपरेटिव बनाने की बात है वह फिजूल है। अब तक जितने भी लोन कोऑपरेटिव बैंक ने सेंकशन किये हैं, माननीय मंत्रीजी इस बात को जरूर जानते हैं कि वे लोन्स वापिस वसूल जितने होने चाहिए थे वे नहीं हो पाये हैं। वे रेकार्ड देख लें, अगर मैं गलत कहता हूँ तो और मैं इस बात के लिए दावे से कहता हूं कि जितने लोन्स कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा दिये गये वे लोन्स उन काश्तकारों को नहीं मिले जिनको कि मिलना चाहिए, और उन लोन्स से एग्रीकल्चर में जिनको फायदा होना चाहिये वे वास्तव में उन लोगों को नहीं मिले। वे लोन दिये गये परन्तु उससे एग्रीकल्चर पर्पज़ में फायदा नहीं हुआ, दूसरे लोगों ने फायदा उठाया, और वह वापिस नहीं आ रहा है लोन। सबसे बड़ी बात तो यह है।

दूसरी बात आपने कोऑपरेटिव के लोन की जो रेट रखी है, व्यांज की रेट है, कोऑपरेटिव से १००)रु० पर साढ़े सात पर्सेन्ट व्याज लिया जायगा और बाद में दूसरे आदमी को देंगे तो उससे १०......

श्री सभापति : आप दूसरों से राय लेकर नहीं बोलें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : राय नहीं साहब, मैं फिर भूल जाऊंगा। १० आने सैकड़ा का

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

ब्याज लेते हैं जबकि रिज़र्व बैंक २ पर्सेन्ट के अन्दर लोन देती है। जब बड़े-बड़े करोड़पति फैक्ट्री लगाने के लिए ३ पर्सेंट पर लोन देते हैं और तीन पर्सेंट लोन के अलावा ५ वर्ष तक उन फैक्ट्री लगाने वालों से ब्याज वसूल नहीं किया जाता है तो उन काश्तकारों के ऊपर जिन्दा रहने वाले लोग, उनके लिए इस एक्ट के अन्दर यह पास करना चाहते हैं कि ३ और साढ़े तीन पर्सेन्ट पर लोन की रकम दी जायगी और उन काश्तकारों को दी जायगी जिन काश्तकारों के पास वह रकम किसी भी तरह से पहुंचे। परन्तु माननीय मंत्रीजी इस बात को जरूर जानते हैं कि आज कोऑपरेटिव की २ वर्ष में डेढ़ वर्ष में सेन्कशन होती है। यह तो डिपार्टमेंट का हाल है। डेढ़-डेढ़ साल में कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है। गरीब आदमियों के कागज एक साल तक कोऑपरेटिव दफ्तर में पड़े रहते हैं, तो लोन सेन्क्शन होने में कितना टाइम लगेगा, पता नहीं। तब कोऑपरेटिव कैसे पनप सकती है, हम भी चाहते हैं कि वह ज्यादा से ज्यादा पनपे ? लेकिन माननीय चेयरमैन, एक महीने तक मैंने वहां का हाल देखा तो मैंने हाथ, पैर और सिर तीनों जोड़ लिये।

(हंसी)

श्री सभापति : तीसरी चीज क्या जोड़ी ?

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : इसलिए जोड़ लिये कि क्या हाल है ? क्या आप समझते हैं कि इस प्रकार कोऑपरेटिव मूवमेंट चलायें और दुनियां को फायदा करें ? आगे जो काश्तकार हैं उस पैसे को काम में लें। कोऑपरेटिव से यह फायदा होगा, वह फायदा होगा, सब भाषण देने की बात होती है परन्तु प्रेक्टिस में कोई नहीं करता है। अगर प्रेक्टिस में जाते हैं तो कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने लोन ले लिया वे खत्म हो गई। लोन का पता नहीं, वसूल किया जाता है या नहीं, ऐसी हालत है।

श्री भैरोंसिंह : कौन सी हैं ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : नाम आप कहेंगे तो बता दूंगा। सांभर में एक कोऑपरेटिव है, अजमेर-मेरवाड़े में कई कोऑपरेटिव बैंक हैं जिनके अन्दर हजारों और लाखों रुपया बाकी है। श्री माधोपुर की बता रहा हूं। एक ऐसी ही बैराठ की है, ऐसी कई हैं, बाबा।

श्री सभापति : आप अपना भाषण प्रारम्भ रखें।

श्री तेजमल बापना : दूसरों से पूछ कर नहीं करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इस बिल के अन्दर व्याज की दर कम होनी चाहिए। व्याज आपने बताया कि साढ़े सात पर्सेन्ट....

एक माननीय सदस्य : कितना होना चाहिए ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : वह कम होना चाहिए। तीन, साढ़े तीन कर दो, बाबा ज्यादा से ज्यादा; परन्तु वह कम होना चाहिए। नहीं तो हम जो बनिये हैं वे भी आठ आना सैकड़ा व्याज़ से रुपये दे देते हैं तो आप इतनी परेशानी क्यों उठाते हैं ? गवर्नमेंट मकान बिना लोन नहीं देती और हम छप्परों पर भी लोन दे देते हैं...

डॉ० बहादुरसिंह: मोर्टगेज नहीं करवाते हैं क्या ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : (जारी) कुछ भी मोर्टगेज नहीं करवाते हैं। तो फिर काश्तकार क्यों आप से रुपये लेगा...

डॉ० बहादुरसिंह : बोहरगत समाप्त हो जायगी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि इस संशोधन को हाउस में लाना है तो छोटा सा है, सिलेक्ट कमेटी बना दी जाय जो तीन-चार दिन में देख कर फिर हाउस में आवे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, जो बिल इस सदन में पेश किया गया है उसके सम्बन्ध में दो संशोधन पेश किये गये हैं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इस प्रकार के संशोधन रखने से पूर्व माननीय सहकारी मंत्रीजी ने जो एक छोटा सा भाषण दिया था उसके द्वारा इस विधेयक को लाने की मंशा क्या है, उसे बताने की चेष्टा की थी। सभापति महोदय, इसके स्टेटमेन्ट ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में लिखा है :

"According to the integrated scheme of rural credit recommended in the report of the All India Rural Credit Survey, which has been accepted by the State Government, short term loans for seasonal agricultural operations may be advanced by co-operative societies on such and such conditions."

अब यह प्रश्न आता है, मैं समझता हूँ, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उस पर थोड़ा सा प्रकाश भी डाला था कि अभी रूरल क्रेडिट के सम्बन्ध में सरवे होने के बाद जो एक रिपोर्ट पेश हुई है और उस रिपोर्ट में जो रिकमन्डेशन्स हैं उन रिकमन्डेशन्स को जब राजस्थान सरकार ने स्वीकार कर लिया है तो उसे स्वीकार करने के बाद उसका पीसमील में लेजिस्लेशन होना चाहिये या जो रिकमन्डेशन्स मंजूर कर ली गई हैं; उन सारी रिकमेन्डेशन्स को एक साथ कानूनी रूप दिया जा सकता है या वे लागू की जा सकती हैं, इसके लिये सभापति महोदय, हमें अपने कोऑपरेटिव मूवमेन्ट के इतिहास को देखना पड़ेगा। इसके इतिहास को देखने के बाद यदि इस प्रकार का कारण मौजूद है कि जिन कारणों के आधार पर यह कहा जा सके कि अब तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जरिये जितने लोन्स एडवांस किये गये हैं, जिस परपज़ के लिये लोन्स एडवांस किये गये हैं वह पर्पज पूरा हुआ है, उचित व्यक्ति को लोन मिला है और मिलने के बाद उसका सदुपयोग हुआ है। यदि इतिहास इस बात की साक्षी देता है तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से यह संशोधन विधेयक पेश किया गया है उसको पास करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन इसके विपरीत प्रमाण मिलते हैं और कार्यवाही हुई है, उसका नक्शा सामने आता है।

राजस्थान में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का रजिस्ट्रेशन काफी होता है, इसके आंकड़े समय समय पर हमको बतलाये जाते हैं। हर बार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के सम्बन्ध में जब कोई सम्मेलन होता है तो आंकड़े सामने रख दिये जाते हैं कि अमुक वर्ष में इतनी सोसाइटीज़ का रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके अगले वर्ष में इतनी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके अगले वर्ष में इतना हुआ। ये आंकड़े साल दर साल

(श्री भैरोंसिंह)

बताकर इस बात की चेष्टा की जाती है कि राजस्थान सरकार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू जनता की सेवा करना चाहती है । वे सारी चीजें धीरे-धीरे पनपती जा रही हैं, लेकिन मुझे कुछ दूसरी बातें ही इसके सम्बन्ध में नजर आती हैं । राजस्थान में जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इस एक्ट के पहले जो सोसाइटीज़ थीं, सभापति महोदय, या तो उनमें से आधी से ज्यादा लिक्विडेशन में हैं या लिक्विडेटर्स उनके लिये अपोइन्ट किये हुए हैं और जो बढ़ी हुई हैं उनमें से किसी में १० हजार का गबन है तो किसी में २० हजार का गबन है और किसी में ४० हजार रुपयों का गबन है । सरकार के सामने इस सम्बन्ध में रिपोर्ट्स आती हैं लेकिन सरकार न मालूम क्यों, मैं ऐसा समझता हूं राजनैतिक कारण हो सकते हैं, जिनकी वजह से सरकार सब बातों को जानते हुए भी उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लेती है जिससे एम्बेज़लमेंट केसेज़ ट्रेस आउट हुए हैं तो भी उन लोगों को दण्डित नहीं किया जा सके, इस प्रकार की कार्यवाही चलती रहती है । इसका परिणाम यह होता है कि आज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में कुछ भी हो, लेकिन जिन कारणों से लोगों के हृदय में और मस्तिष्क में जो प्लेस बनी है वह सफलता की ओर संकेत नहीं करती है । जिस मंशा से हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं वह मंशा पूरी नहीं होती । आज किसी व्यक्ति को लोन नहीं मिलता, धन नहीं मिलता किसी काम के लिये तो लोग आम तौर से चर्चा करते हैं कि परिवार के लोगों को मेम्बर बना दो, खुद मेम्बर बन जाओ, स्त्री को मेम्बर बना दो और यदि बच्चे ज्यादा हों तो उनको भी मेम्बर बना दो और बाकी के रिश्तेदारों को भी मेम्बर बना दो और सोसाइटी खोल लो । इसके लिये उनके दस्तखतों की भी जरूरत नहीं है, जाली दस्तखत कर दो या अंगूठा लगा दो, लेकिन एक दफा रजिस्ट्रेशन होना चाहिये और रजिस्ट्रेशन हो जाता है । माननीय राजस्व-मंत्रीजी इस बात से परिचित हैं कि राजस्थान में कितनी बोगस सोसाइटीज़ हैं जिनके बारे में तथ्य है कि लोगों ने दस्तखत न करने-वालों के नाम से भी बोगस रजिस्ट्रेशन करवा लिया है । इसकी जांच भी हुई, लोगों ने मंजूर भी किया कि जिन सोसाइटीज़ का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनके वे सदस्य नहीं हैं । पहली बार जब ऐसे लोगों के बयान लिये तब उन्होंने कहा कि हमको पता नहीं कि हम किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेम्बर भी हैं । लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, उनके खिलाफ राजनैतिक कारणों से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है । यह समझ में आता है कि राजनैतिक कारणों से ही ऐसा होता है । जिन लोगों के हाथ में सत्ता का प्रयोग करने का अधिकार है वे जान-बूझ कर अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करते । प्रश्न यह है कि भावना नहीं बनाते हैं, लेकिन विपरीत भावना बन गई है । जिस किसी को भी सरकारी लोन लेना है, उसको कहा जाता है कि एक बार लोन ले लो, उसका यदि दुरुपयोग होगा तो उसकी चिन्ता मत करो, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवा लो, रुपये लोन में लो उसका हिसाब मत रखो, उसका ऑडिट मत कराओ, रुपये डिस्ट्रिब्यूट भी मत करो, एक बार ट्रेक्टर खरीद लो बाद में भले ही उसे बेच दो और लोन का दूसरे कामों में उपयोग करो, उसकी चिन्ता नहीं है । ये सब बातें आज होती हैं । लोन लेने के बाद खुले रूप से उसका दुरुपयोग होता

(श्री भैरोंसिंह)

है तो सभापति महोदय, हमें विवश होकर विचार करना पड़ेगा। जिसके जरिये से सारे समाज की रचना करना चाहते हैं, गांवों में सहकारिता की भावना पनपाना चाहते हैं लेकिन आज की परिस्थितियों में वह भावना पनपेगी या नहीं ? मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि कोआॅपरेटिव के मामले में जबर्दस्ती फोर्स को एक्सर्साइज़ करके जिन्होंने कुछ काम किया है वह गवर्नमेंट कुछ अंश में सफल हुई है। आज केवल हिन्दुस्तान के अन्दर ही नहीं बल्कि जहां जहां भी लगन से काम किया गया वहां सफलता मिली है। मैं कह सकता हूं कि जितनी एग्रीकल्चरिस्ट सोसाइटीज़ थीं उनकी दूसरे देशों में भी कमी न होगी। कलेक्टिव फार्मिंग के आधार पर सारी भूमि पर सरकार ने अधिकार प्राप्त किया। आज बाकी के देशों से जानकारी मिलती रहती है; उनके आधार पर जो कोआॅपरेटिव के विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में दो–एक बातों को स्वीकार किया है कि इसके लिये नेशनल केरेक्टर की आवश्यकता है और जिस देश में नेशनल केरेक्टर है उस देश में कोआॅपरेटिव मूवमेंट पनप सकता है।

उन्होंने यह भी कहा, उस रिपोर्ट में भी संकेत दिया है कि कोआॅपरेटिव वर्क मिशनरी वर्क है। इस वर्क का उदाहरण देते समय उन्होंने कहा है कि आज संसार के अन्दर कहीं भी यह वर्क ठीक ढंग से सफल हुआ है तो वह इज़राइल में हुआ है; वह इसलिए कि मिशनरी वर्क है। कोआॅपरेटिव वर्क, मिशनरी वर्क; इन दोनों को एक्ज़ीक्यूट करने के लिए नेशनल भावना का समावेश होना चाहिए। लेकिन राजस्थान में इसके विपरीत है। केवल छोटा काश्तकार बेईमानी करता है, छोटा काश्तकार उस धन को लेकर उसका दुरुपयोग करता है, तो समझ में बात आ सकती है। इसलिए बात समझ में आ सकती है क्योंकि काश्तकार के सामने आर्थिक संकट है। माननीय सभापति महोदय, बड़े काश्तकार, उन बड़े काश्तकारों में भी वे काश्तकार जो कानून बनाने वाले हैं और कानून बनाने वाले काश्तकारों में भी वे काश्तकार जो किसी कोआॅपरेटिव बैंक के डाइरेक्टर या मेम्बर हैं, वे काश्तकार ज्यादती करना शुरू कर देते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि किसको धन देना है, किस से धन लेना है, कौन कानून का उपयोग करेगा, कौन कानून का दुरुपयोग करेगा, कानून में व्यवस्था होने के बावजूद भी उसका अमल न हो, मैं राजस्व मंत्री जी से विशेष तौर से पूछूंगा, क्योंकि वे जानते हैं इसलिए पूछूंगा कि एक लोन कोआॅपरेटिव बैंक से, कोआॅपरेटिव बैंक के डाइरेक्टरों में से एक व्यक्ति ने लिया है ट्रेक्टर के लिए, उस धन का उपयोग हुआ है या नहीं (१) एक एग्रीकल्चर फार्म खोला गया, इस ओर मैंने पहले भी संकेत किया था और कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी बताया कि एक जमीन नाथद्वारा के गुसाईं जी की थी, वहां एग्रीकल्चर कोआॅपरेटिव फार्म बनाकर उस जमीन पर अधिकार किया गया है, वह व्यक्ति स्वयं डाइरेक्टर है और उसने कोआॅपरेटिव बैंक से लोन लिया है, लेकिन ट्रेक्टर खरीदा नहीं गया, दूसरे व्यक्ति का ट्रेक्टर दिखा दिया गया। अभी तक वह लोन पड़ा है और वह ट्रेक्टर भी बाहर पड़ा है लेकिन उसकी देखरेख नहीं है। मैं नहीं कहता कि कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ के जो नियम बनाते हैं, उन नियमों का अनाचरण किया गया है। तो फर्स्ट चार्ज हमें कोआॅपरेटिव का रखना

(श्री भैरोंसिंह)

चाहिए, उसी तरह कोऑपरेटिव के इन्टरेस्ट को फर्स्ट चार्ज रखना चाहिए और इसको, जो कानून बनाते हैं, कानून बना कर अमल करने की जिम्मेदारी उन पर आती है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जयपुर के आस पास जितनी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हैं, उनकी ऑडिट रिपोर्ट उठा कर देखें। उनका ऑडिट कब हुआ है इसको देखें, लोन कब दिये गये हैं इसको देखें, लोन्स किन शर्तों पर दिये गये हैं यह देखें। मैं समझता हूँ, एक नहीं, तीन-चार लोन एक मकान की सिक्योरिटी जमा कर अलग अलग विभाग से लिये गये हैं। फिर अगर वे कहें कि राजस्थान में अच्छी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ चलती हैं तो यह ठीक नहीं है। अब एक प्रश्न आता है कि इसमें यह भावना है कि छोटे काश्त–कारों को लोन देना चाहिये। सीज़नल ऑपरेशन के लिए। मैं समझता हूं कि काश्तकारों के इतिहास में स्वर्ण दिन होगा, काश्तकारों के इतिहास में यह चिरस्मरणीय बात रहेगी कि हमारे लिए सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की। लेकिन मैं चाहूंगा कि यह व्यवस्था केवल कानून में न रहे, यह व्यवस्था केवल किताबों में न रहे, यह व्यवस्था केवल ऑफिसर्स की टेबल पर न रहे; बल्कि इसका उपभोग राजस्थान के साधारण से साधारण काश्तकार करते रहें, इस प्रकार की व्यवस्था हमें करनी है। रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मैं कहूंगा कि सहकारिता विभाग के माननीय मंत्रीजी, उसमें और भी कुछ बातें हैं, उन्हें स्वयं भी उन्होंने देखा होगा, उनको भी इसके साथ ही साथ इम्प्लीमेन्ट करने की आवश्यकता थी, उस इम्प्लीमेन्टेशन के लिए नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो, कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संशोधन आता तो उचित होता। जिस तरह से बैराट से आने वाले माननीय सदस्य ने व्याज की दर के प्रश्न को लेकर इस सदन में बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ व्याज ज्यादा वसूल करती हैं बनिस्बत उन लोगों के जो बिना किसी कानून के व्याज पर रुपया दिया करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अन्दर कुछ शेयर मनी आता है, कुछ क्रेडिट पर लिया जाता है और कुछ गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट जो मनी देती है वह लोन्स डिस्ट्रिब्यूट करने के लिए होता है। मान लीजिये कि सरकार की तरफ से इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया कि जो लोन्स दिए जाते हैं उनका जो इन्टरेस्ट आता है वह इन्टरेस्ट कहीं और नहीं जाता, उसका उपभोग दूसरे व्यक्ति नहीं करते, वे ही व्यक्ति करते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेम्बर्स हैं। जो लोन लेने के अधिकारी हैं, जो इन्टरेस्ट लेने के अधिकारी हैं उन्हीं के काम इन्टरेस्ट डिस्ट्रिब्यूट करके आता है, उनको इस इन्टरेस्ट को काम में लेने के अधिकार है, उन्हीं के पास यह इन्टरेस्ट जाता है। इस कारण से अगर सात पर्सेन्ट इन्टरेस्ट लिया जाय तो ज्यादती नहीं है माननीय सभापतिजी, मैं आपके जरिये से कहना चाहूंगा कि सात पर्सेन्ट में सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी जरूरतमन्द व्यक्ति आज के समय किसी के पास जाकर कहे कि मुझे कुछ रकम चाहिये, बैल खरीदने के लिए रकम चाहिए, बीज खरीदने के लिए रकम चाहिए, खाद के लिए रकम चाहिए और उस रकम को वह देने वाला है, कब देने वाला है, कोई साल, डेढ़ साल के बाद नहीं,

(श्री भैरोंसिंह)

उसकी अपनी जो फसल है, खड़ी फसल है, या जिस फसल को बोने वाला है, उसको गिरवी रख कर उस फसल के ऊपर इस फर्स्ट चार्ज के सिद्धान्त को स्वीकार कर लोन मांगता है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज राजस्थान में जो बोहरे हैं, जो बोहरगत करते हैं वे सात पर्सेन्ट से कम व्याज पर काश्तकार को लोन देने को तैयार हो जायेंगे। जहां उसे राजस्थान सरकार, कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ सात पर्सेन्ट पर लोन देना चाहती है, वहां इसी राजस्थान के अन्दर सात पर्सेन्ट से कम लोन देने को लोग तैयार हो जावेंगे लेकिन सरकार कहेगी कि इस रकम का उपयोग उन्हीं लोगों में होगा। मैं कहूँगा कि सात पर्सेन्ट का प्रश्न इस प्रकार का प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति, इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं कर सकता। अब प्रश्न कानून का आयेगा, तो जो जरूरतमन्द व्यक्ति होगा, वह लोन नहीं लेगा, जिसको इतनी व्याज नहीं देनी है वह लोन नहीं लेगा। फिर लेगा कौन ? मीडियम कल्टीवेटर लेगा। माननीय सभापति महोदय, अब मीडियम कल्टीवेटर लेगा, उसका क्या होगा ? लोन लेने के बाद सबसे पहले उसके दिमाग में एक चीज होगी कि आप जो लोन देते हैं, जिस लोन को वह ले रहा है, जिस पर उसे इतना इन्टरेस्ट देना है, उसके लिए पहले से कोई व्यवस्था रखी जाय, जिसके आधार पर फसल से पूर्व यह पैसा वसूल नहीं किया जा सके। मैंने देखा है कि राजस्थान में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। लगान वसूल नहीं होता है, अकाल कई जगह पड़ता है, वहां लगान की छूट रहती है। जहां अकाल नहीं होता है, वहां राजनैतिक कारणों से अकाल की छूट होती है। इस प्रकार की स्थिति राजस्थान में आई है। अब जिन लोगों से लोन वसूल करना है, मीडियम कल्टीवेटर्स ने लोन लिया है, उसके बारे में प्रश्न नहीं है कि उसके पास टाइटिल है या नहीं है। अब कई कॉम्प्लीकेशन्स पैदा होंगे। आज मुझे एक जमीन पर काश्त करने का अधिकार है, मैंने उस जमीन पर काश्त की है मेरे पास उसका टाइटल नहीं है, मैं सब-टिनेन्ट नहीं हूं, किसी रूप में जमीन पर काश्त की है, उसका क्या होगा ? तो कॉम्प्लीकेशन्स पैदा होने वाले हैं, वे किस लिए पैदा होंगे ? माननीय सभापति महोदय, राजस्थान टिनेन्सी फोर्थ अमेंडमेंट बिल आ रहा है, उसके द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि जिन लोगों ने जमीन सरेन्डर की है और सरेन्डर करने के बाद जिन लोगों ने उस जमीन पर अधिकार कर लिया है, उन व्यक्तियों की रेस्पोन्सिबिलिटी होगी कि सरेन्डर करने के पूरे प्रोसीजर को भुगताएं। तो गवर्नमेंट ने जिन लोगों को कई वर्ष पहले अधिकार दे दिए थे उस सारी चीज को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। उससे फायदा है या नहीं, इस बात पर जब बिल आएगा उस समय चर्चा की जायगी लेकिन आज ओनरशिप के राइट्स हैं, जिनके पास टाइटल हैं, ऐसे लोगों के और जिनके पास दोनों चीजें नहीं हैं, ऐसे लोगों के बीच में एक वातावरण पैदा कर रहे है। इस कोऑपरेटिव लोन के द्वारा फायदा उठाया जा सकता है वह किस तरह से उठाया जायगा इसका मैं एक नक्शा प्रस्तुत करता हूँ। जिस तरह एक व्यक्ति जमीन काश्त करता है। उसने कह दिया कि जमीन का टाइटल मेरे पास नहीं है, जमीन की ओनरशिप नहीं है, लेकिन जमीन काश्त मैंने की है, अब काश्त डिस्प्युटेड है या नहीं इसकी चिन्ता नहीं है, किसने काश्त की है इसकी चिन्ता नहीं है, काश्तकार

(श्री भैरोंसिंह)

का अधिकार था या नहीं, उसकी चिन्ता नही है, या उस लैंड पर काश्त की है या काश्त करेगा, इसकी चिन्ता नहीं है, केवल एन्टीसिपेशन के आधार पर, चाहे लैंड का पज़ेशन डिस्प्युटेड हो, जमीन का टाइटिल न हो, सब टिनेन्ट न हो, उसको अधिकार दे दिया है और इस जमीन के आधार पर लोन ले सकता है। अब उस स्थिति में क्या होगा ? माननीय सभापति महोदय, उसमें एक समस्या पैदा होगी। वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, जिसके पास टाइटिल है, मिल कर कम्प्रोमाइज़ करके यह व्यवस्था कर सकता है कि उसने जो यह प्रोड्यूस किया है, उस पर किसी रूप में न हक है और न होगा क्योंकि जिस आदमी के अधिकार में वह रहेगा, जिस तरह से भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि लैंड लॉर्ड की रकम भी अगर उसके ऊपर है तो वह भी वसूल की जायगी। इसलिए इस बीच में यह समस्या आयेगी कि लैंड लॉर्ड और जिसको सब–लेट की है वह किसी रूप में मिल लेते हैं और यही व्यवस्था कर लेते हैं कि कानून का उल्लंघन किया जाय, कानून के द्वारा जो पाबन्दी आने वाली है उससे बचा जाय, तो जिस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है, उस व्यवस्था के आधार पर बचाया भी जा सकता है और उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं और सरकार जो वसूल करने की कार्यवाही कर रही है वह कार्यवाही नहीं हो सकती है।

अब आप देखेंगे कि क्लॉज़ २६ ए में एक एक्सप्लेनेशन दिया है नीचे ही नीचे :

"Explanation: For the purpose of this Section a society shall mean:

(a) any resource society the majority of the members of which are agriculturists and the primary object of which is to obtain credit for its members, or

(b) any society or class of societies specified in this behalf by the State Government by a general or special order."

ये दोनों बातें माननीय सभापति महोदय, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तरफ हम एक सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं और वह सिद्धान्त गलत बुनियाद पर कायम नहीं हुआ है। हमने सिद्धान्त स्वीकार किया है कि वही सोसाइटीज़ काम कर सकती हैं जिनमें मेजोरिटी ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट्स हो। यह ठीक है कि जिन सोसाइटीज में एग्रीकल्चरिस्ट्स का बहुमत हो वही काम कर सकती हैं। किसानों को लोन्स देने हैं और जिस सोसाइटी में किसानों का बहुमत हो वह सोसाइटी लोन्स एडवान्स करती हैं तो ऐसा काम करने की व्यवस्था करनी चाहिये, उनको यह काम देना चाहिये पर नीचे जाकर सरकार ने अपने हाथ में एक अधिकार ले लिया है, वह अधिकार किसलिये लिया है यह हम नहीं जानते, सरकार ही जाने; पर जिस प्रकार इस तरह के अधिकार लेकर सरकार कार्य करती आ रही है, इस प्रकार के अधिकारों का दुरुपयोग करती आ रही है उसी प्रकार लोन्स देने के सम्बन्ध में किसी भी सोसाइटी को जिसे सरकार चाहे लोन देने का या कार्य करने का अधिकार दे सकती है, यह छूट सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है कि बाइ स्पेशल ऑर्डर ऐसी सोसाइटीज़ भी काम कर सकती हैं जिनको गवर्नमेंट बाइ नोटिफिकेशन अधिकार दे।

एक जनरल सिद्धान्त हमने स्वीकार किया, उसको सरकार अस्वीकार कर सकती है। एक जनरल सिद्धान्त हमने स्वीकार किया

(श्री भैरोंसिंह)

कि अमुक प्रकार की सोसाइटी को अधिकार दिये जा सकते हैं, पर इसमें सरकार ने अपने हाथ में अधिकार रख लिया कि स्पेशल ऑडर से सरकार किसी भी सोसाइटी को यह अधिकार दे सकती है, यह काम दे सकती है तो इसका मतलब यह हुआ कि एक एग्री–कल्चरिस्ट जो खुद खेती नहीं करता, बल्कि एक साइड बिजनेस के तौर पर खेती करवाता है, कोई यहां पर बैठा २ बूंदी का फार्म मेनेज करता है, तो कोई यहां बैठा बैठा कोटा का फार्म मेनेज करता है, तो कोई यहां बैठा बैठा टेलिफोन से जोधपुर के फा कोर्म मेनेज करता है। इस तरह का एक काश्तकार है, बाकी दूसरे लोगों को मिलाकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाये हुए है, सरकार को हम इस प्रकार की छूट दे देते हैं, तो इस प्रकार के व्यक्ति दूसरे लोगों को मिला कर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना कर सरकार को एप्लाई करे तो सरकार इस सिद्धान्त के विपरीत जा सकती है, जो इस एक्सप्लेनेशन के पार्ट (१) द्वारा हमने स्वीकार किया है।

यदि सरकार कहे कि हम भी इस कन्सी-डरेशन को ध्यान में रखेंगे तो फिर इस दूसरे पार्ट की आवश्यकता ही नहीं रहती। इसको रखा गया है तो स्पष्ट रूप से सरकार की यह मंशा है कि सरकार ऐसी सोसाइटीज को अधिकार देना चाहती है जिसमें मेजोरिटी ऑफ मेम्बर्स एग्रीकल्चरिस्ट्स नहीं।

हमें इसके लिये अपना पुराना इतिहास देखना पड़ेगा। ठीक ढंग से आज कोऑपरेटिव सोसाइटीज फंक्शन नहीं करती हैं, इसका एक बड़ा कारण है। बाहर जो मनी लेंडर्स हैं, बाजार में जो मनी लैंडर्स हैं, जो काश्तकारों से मनी एक्स्ट्रेक्ट करने वाली मशीनरी है, वह सरकार द्वारा इस कार्य को हाथ में लेने के कारण निठल्ली हो रही है। एक तो काश्तकारों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज से लोन मिल जाता है, दूसरे कुछ काश्तकारों की स्थिति सम्पन्न होती जा रही है और तीसरे कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन मनी लैंडर्स के कार्य को सेंट्रलाइज कर के अपने हाथ में लेले रही है तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज उन लोगों की बनती हैं जिनके हाथसे यहधंधा छिन गया है या छिन रहा है। वे लोग कोऑपरे-टिव सोसाइटीज बनाकर रुपया लेते हैं और उस रुपये का दुरुपयोग करते हैं, इसलिये दुरुप-योग करते हैं कि एक तो लोगों के दिलों में यह भावना पैदा हो जाय कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कामयाब नहीं हो सकती और साथ ही यह भावना भी लोगों में पैदा हो जाय कि इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिये लोगों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। और यही कारण है कि आज राजस्थान में कोऑपरेटिव सोसाइटीज अच्छी तरह से फंक्शन नहीं करतीं।

मुझे कोई ऐसी ७ कोऑपरेटिव सोसाइ-टीज भी राजस्थान के मंत्री बता दें जिनमें नियमों के अनुसार काम हुआ हो या होता हो। मैं तो ७ ही सोसाइटीज के नाम मांगता हूं, वे तो हजारों के आंकड़े देते हैं, या मुझे कोई डिविजन बता दें, मैं ७ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बताता हूं जिनमें शेअर्स के द्वारा, 'धोखा' शब्द तो प्रयोग नहीं करना चाहिये, बहका कर रुपया लिया गया है और उस रुपये को अपने लिये काम में लिया है। दवाइयों के लिये रुपया लिया गया और उस रुपये को काम में लिया गया, ट्रेक्टर लेने के लिये, उस रुपये से ट्रेक्टर लिया गया और ट्रेक्टर्स के लिये जो रुपया लिया गया उसको

(श्री भैरोंसिंह)

बिल्डिंग्स बनाने के उपयोग में लिया गया तथा दवाइयों के लिये रुपया लेकर ट्रेक्टर खरीदे हैं और ट्रेक्टर के लिये रुपया लेकर बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। सरकार के हाथ में यह अधिकार दे दिया गया तो गांवों में वे मैग्नेट्स बैठे हुए हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फंक्शन को फैल करने पर उतारू हैं। वे लोग इसके खिलाफ भावना नहीं फैला सकें; इसके लिये हमें यह तय करना पड़ेगा कि जो संशोधन विधेयक द्वारा सरकार व्यवस्था करने जा रही है उससे वे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज लोन्स उठा सकती हैं जिनमें एग्रीकल्चरिस्ट्स की संख्या ज्यादा हो।

माननीय मंत्री महोदय कहेंगे कि सरकार के हाथ में अधिकार देने से उन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होगा, तो मैं अभी तो वह दुरुपयोग नहीं बताऊंगा, पर आगे के क्लॉजेज पर स्पष्ट रूप से मंत्री महोदय चाहेंगे तो नाम ले लेकर बताऊंगा कि किसने किस चीज के लिये लोन लिया, उससे किस किस ने क्या २ चीज खरीदी, कितना लोन लिया, कितना रुपया व्याज का हुआ, कितना री-पेमेंट हुआ, वह मैं नाम लेकर बताऊंगा यदि सदन मुझे इजाजत देगा तो। कानून में जो व्यवस्था है, उसका ठीक तरह से अमल नहीं हो सका, उस स्थिति में सरकार को यह अधिकार दे दिया गया तो सरकार चाहे उस सोसाइटी को अपने हाथ में लिये हुए अधिकारों से इसका लाभ उठाने का अवसर दे सकती है और इस प्रकार जो कानून बनाना चाहते हैं उसका निश्चित रूप से दुरुपयोग होगा, जिन लोगों को लोन्स की जरूरत है और जिनको हम लोन्स इस बिल के जरिये एडवान्स करना चाहते हैं उनको इससे फायदा नहीं पहुँचेगा। कई त्रुटियां इस कानून में हैं, उन त्रुटियों को संशोधन लाकर दूर किया जाना चाहिये, इस धारा २६ में कई संशोधन आने चाहिये, कई चीजों का हम संशोधन लाकर इस कानून में समावेश कर सकते हैं। सदन में वाद-विवाद की भावना के कारण से, विरोध की भावना से और बहुमत की भावना से सही चीजों को स्वीकार करने की स्थिति नहीं आयेगी। पर यदि सिलेक्ट कमेटी में इसे रखा गया तो इस पर अच्छी तरह से विचार हो सकेगा। चाहे मंत्री महोदय इसको सिलेक्ट कमेटी में दो दिन के लिये ही रखें, वे एक सिलेक्ट कमेटी मुकर्रर कर दें कि किस तरह इन सब बातों को एड्जस्ट कर सकते हैं, जो काश्तकारों के हित में कानून बनता है उसके अनुसार सिलेक्ट कमेटी में विचार होकर कानून बन सकता है।

मैं इतना कह देना चाहता हूं कि जो भावना इसमें है, उसके मैं खिलाफ नहीं, पर इसमें जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिये माननीय सदस्यों ने जो इसे सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने के संशोधन रखे हैं, उनको स्वीकार करने के लिये सदन से निवेदन करूंगा।

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री सभापति : चूंकि इस पर काफी वाद-विवाद हो चुका है इसलिए श्री नाथूराम मिर्धा...

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, वाद-विवाद में सभी भाग ले सकते हैं।

श्री सभापति : मूल बातें आ चुकी हैं।

श्री भैरोंसिंह : राम-राज्य परिषद् की भावना तो अभी आई नहीं।

श्री सभापति : The Hon. Member on my left (Raval Narendra Singh)

(श्री सभापति)

since he belongs to a particular party, so the time is given.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : सभापति महोदय, यह एक उपयोगी विषय है और उपयोगी विषय में थोड़ा बहुत विलम्ब भी लग जाए तो हर्ज नहीं है; अभी तो समय है । मेरा यह नम्र निवेदन है कि जो प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय ने रखा है और सुझाव दिया है, इसमें जैसे छोटे काश्तकार हैं उनको छोटी स्केल पर ऑपरेट करने के लिये कोऑपरेटिव बैंकों से मिलने वाली रकम है, बहुत उपयोगी है । ऑपोजिशन का खास उपयोग मैं समझता हूं यही है कि जो खरी भी बात हो या खोटी भी हो और तपी हुई भी हो उसको सुनना और उस पर गौर करना आवश्यक सदन को है, जो आगे चल कर सिद्धान्तों के मामले में लाभप्रद कभी साबित होता है और काफी काम की चीज बन जाती है । मेरा नम्र निवेदन यह है कि जिस प्रकार मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने बताया कि इससे दिक्कतें जरूर उपस्थित होंगी और उसके लिए रेमेडी की आवश्यकता फिर रहेगी । सबसे पहला प्रश्न जो उपस्थित हुआ है वह यह है कि ब्याज की रकम ७ रुपये या ७॥ रुपये सैकड़ा की हो या ज्यादा हो, वह मैं अनुमान करूंगा कि वाकई में ज्यादा है । मुझे इस बात के लिए भी कहना पड़ेगा कि दूसरे महाजन भी ब्याज पर रकम देते हैं और उनके ब्याज को देखते हुए सरकार की तरफ से जो ७॥) रुपये सैकड़ा लिया जावेगा वह भी थोड़ा है क्योंकि बनिया ज्यादातर काश्तकार को १ रु० ६ आ० सैकड़ा के हिसाब से देता है और यह सब कुछ होते हुए राज्य की ब्याज की रकम थोड़ी रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट को विचार करना चाहिये कि काश्तकारों के लिए और वह भी मध्यम और छोटी श्रेणी के लोगों के लिये जब कि साल भर का सवाल आता है तो यह रकम बहुत ज्यादा है । मेरे ख्याल से ८ आना सैकड़ा का सूद से ज्यादा नहीं लेना चाहिये और मैं समझता हूं कि इससे थोड़ा ही फर्क है, इससे ज्यादा न रखा जावे और दूसरी बात यह है कि जब तक मिनिस्टर खुद और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अधिकारी खुद इस पर गौर नहीं करेंगे कि यह चीज़ ठीक पात्रों को मिलाती है या नहीं, तब तक यह दिक्कत जो अभी बताई गई है बराबर उपस्थित होगी और जो अपने अपने सम्बन्धियों या जिसके जिससे ताल्लुक हैं देने के हिसाब से चलती रहेगी । चाहे वह व्यक्ति जिसको दी जा रही है वह डिज़र्विंग हो या नहीं । चाहे वह व्यक्ति रकम लोन लेना डिज़र्व करता है या नहीं, तो भी उसको मिलेगी और उस आदमी को नहीं मिलेगी जो डिज़र्व करता है । इसलिए मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हर काम में और खास तौर से इस प्रकार के काम में सत्ता का दुरुपयोग करना कोई कठिन बात नहीं है और ऐसा दुरुपयोग होता भी रहेगा । लेकिन इसके लिये मैं इस प्रकार के उपयोगी विषय को अंधेरे में डालना उचित नहीं समझता ।

इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये जो विचार-विमर्श हुआ है उसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे मामलों में अगर दो-तीन रोज में ही सिलेक्ट कमेटी में इस पर विचार हो जावे और इसी एसेम्बली के सेशन में यह पारित करने का प्रावधान हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं होगी, क्योंकि पाँच आदमियों की कमेटी बैठ कर इस पर विचार कर लेगी । कोई ऑर्डिनेन्स निकलता है, बिल पास होता है उसमें 'हां' और 'ना' का प्रश्न होता है और वह मामला निकल जाता है;

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

मगर वहां सिलेक्ट कमेटी में वह मामला इस तरह से नहीं निकलेगा। वहां इसके बजाय ५ अनुभवी आदमी बैठ कर इस पर विचार करेंगे और इस कमेटी में अनुभवी व्यक्तियों को ही लिया जावे जो विचार-विमर्श कर सकें और ऐसे मामलों में जहां पर कोई कसर रह गई हो उसको दूर कर सकें।

दूसरी बात भय की आती है। मैं यह कहूँगा कि ऐसी उपयोगी चीज के लिए भय न किया जाकर इसको कार्यान्वित किया जाना मैं उचित समझता हूँ। राजनैतिक विचार-धारा के लिये भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये थे कि इसमें कई ऐसे प्रश्न भी आते हैं और उसके अलावा जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नहीं मिलना चाहिये लोन, उनको भी मिल जाता है, उनको न मिलकर उन व्यक्तियों को ही दिया जावे जो इसके पात्र हों ताकि जिन लोगों को लोन की आवश्यकता है वे उससे वंचित नहीं रह जावें। इसका भय होता है। इसके लिए कई उदाहरण दिये गये और जो भय दिखाया गया वह वाकई में सही है और उसका हो जाना असम्भव नहीं है, लेकिन कोई भी अच्छी चीज इस भय के सबब से रोकना नहीं चाहिये। इसलिये ऊपर से नीचे तक की मशीनरी है उसको यह विचार करना चाहिए कि इसमें किसी तरह की दिक्कत पैदा न हो। मैं यह कटु सत्य निवेदन करूंगा कि यह हुआ है और होता है कि जो बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वे जिनमें १० सदस्यों से तो कम हो नहीं सकते, यदि उसमें कोई प्रभावशाली मनुष्य या काश्तकार होते हैं उनको तो वाज़वक्त सब से जल्दी रुपया मिल जाता है और उससे ही रकम का मिस-यूज़ होता है और एक तरह से डेमोक्रेसी में इस तरह की चीज का होना असंभव नहीं है। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां बिल्कुल छोटे और मध्यम श्रेणी के काश्तकारों का प्रश्न आवेगा तो उसके लिये उनको सारी मशीनरी को, चाहे वह रेवेन्यू विभाग की हो चाहे एग्रीकल्चरडिपार्टमेंट की हो, जब तक उस पर ध्यान नहीं देंगे तो काश्तकारों को उसका विशेष फायदा पहुंचाना मुश्किल होगा। मेरा यह निवेदन है कि इसको भले ही दो-तीन दिन के लिये ही समय देकर सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे ताकि वे इस बात पर अपना विचार करें। इसमें जो जो कमियां हैं उनको पूरा करना चाहिये।

एक महानुभाव ने यह भी कहा और विचार किया गया कि किसी की लैन्ड सिरोली आ रही है उसमें उसी चीज का भी प्रश्न रहेगा और काश्तकारों को, जो एक साथ में खेती की है या सीर रखा है उन काश्तकारों को मदद मिलेगी; जिस प्रकार बड़े काश्तकार साजे और सीर के होते हैं। यह जरूरी हो भी सकता है, लेकिन इसके लिए ऐसे उपयोगी विषय को दूर नहीं रखना चाहिये और मेरे ख्याल में शीघ्रातिशीघ्र ऐसे मामलों को पारित किया जाना चाहिये।

श्री हीराजी : माननीय चेयरमेन महोदय,......

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सभापति महोदय,...

श्री सभापति : श्री नाथूराम मिर्धा।

श्री हीराजी : माननीय चेयरमेन महोदय,.......

श्री सभापति : The Hon Members please resume their seats when I am on my legs.

एक माननीय सदस्य : हिन्दी में कहिये

श्री हीराजी : माननीय चेयरमैन महोदय, मुझे बोलने दिया जाय, मैं पहले खड़ा हुआ ।

श्री सभापति : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये । The Hon. Members to resume their seats. The Member incharge of the Bill.

श्री नाथूराम मिर्धा (सहकारी मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैंने जब मोशन विचारार्थ प्रस्तुत किया था उस समय इस बिल के क्लॉजेज को किस विचार से रद्दोबदल करना चाहते हैं वह माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया था। उसके बाद में जो मोशन इस सदन के समक्ष प्रस्तुत है वह यह है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सामने भेजा जाय। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में क्यों भेजा जाय उसके समर्थन में कुछ बातें कहीं। एक दूसरे माननीय सदस्य ने इसी प्रकार का और मोशन रखा। श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उस मोशन का समर्थन किया। उन्होंने इस बिल की कुछ धाराओं को और कुछ दूसरी चीजों को लेकर कोऑपरेटिव मूवमेन्ट की आलोचना की। मैंने उनको भी काफी गौर से सुना। माननीय चेयरमेन महोदय, जैसा मैं पहले ही थोड़ा इशारा कर चुका था कि कोऑपरेटिव मूवमेन्ट हमारे देश में एक प्रकार से और नये तरीके से विकास कर रहा है। राजस्थान प्रान्त में भी यह मूवमेन्ट पहले जब हमारी अलग अलग रियासतें थीं, अलग अलग तरीकों से अलग अलग इलाकों में विकसित था। रियासतों का एकीकरण होने के बाद हमने जो कानून इस बारे में बनाया उसके बारे में भी आपसे जिक्र किया कि जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं और सहकारिता में हमको जिस गति से आगे बढ़ना चाहिये, इस मौजूदा कानून से और उसके नीचे बने कुछ नियमों से हम कमी महसूस करते हैं। उनमें कुछ रद्दोबदली समय के मुताबिक जरूर ही होनी चाहिये और उस ओर विचार केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का भी चल रहा है। वे क्या चैन्जेज हों और किस प्रकार से कानून की धारायें हों, जिस मूवमेन्ट को जिस दिशा और जगह पर ले जाना चाहते हैं वह कैसे कानून से ले जाया जा सकता है, उस चीज को बनाने के लिए सारे देश में विचार चल रहा है! उसको मूर्त रूप दिया जा सकेगा और उसके लिए कुछ समय की आवश्यकता है। इस बिल में जैसा, मैंने निवेदन किया, एक छोटी सी बात है, लेकिन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण। कुछ श्रेणी के लोगों को जो किसान हैं, जिनको अपनी खेती–बाड़ी का काम चलाने के लिए, जिनका जमीन पर मालिकाना हक न हो, उनको, रुपयों की आवश्यकता रहती है। यदि वे सहकारिता कमेटी के मेम्बर बनें तो उनको लोन लेने के लिए उनके पास इस प्रकार की सिक्योरिटी नहीं थी, अब जो क्रोप में पैदा कर सकेंगे, यानि क्रोप पैदा करने की जो पोटेन्शियलिटी है उसको एक बेसिस मानकर हम उनको कर्जा देना चाहते हैं। इसके बारे में जैसा मैंने निवेदन किया इसको माननीय सदस्यों ने जिस दृष्टिकोण से देखा और खास तौर पर श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसको देखा और जो दलीलें दीं उनको मैंने सुना और बड़े गौर से सुना। उन्होंने कहा कि बिल का विरोध करने का उनका इरादा नहीं है। जो तस्वीर जिस दृष्टिकोण

(श्री नाथूराम मिर्धा)

से उन्होंने देखी थी उसका उन्होंने जिक्र किया और कहा कि जो लोग जमीन के मालिक हैं और जो लैंड लैंस हैं, जिनके पास जमीन नहीं, उनके आपस में झगड़ा हो जावेगा और उनको यह कर्जा देंगे जिनके आगे जमीन कब्जे में आवेगी या नहीं, वे इस प्रकार से उस तस्वीर के कई पहलू देखने लगे। मैं समझता हूं कि उनका यह सही दृष्टिकोण नहीं है। अगर इसमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करेंगे, जो जमीन दूसरे लोगों से लेते हैं हालांकि उनका टेम्पोरेरी हक मान सकते हैं, उनको क्रोप पोटेन्शियलिटी के ऊपर लोन लेने का हक नहीं है तो उनकी बढ़ोतरी नहीं हो सकती। जिस क्लॉज के सम्बन्ध में संशोधन आया उसके लिये निवेदन करूंगा कि उन्होंने कहा कि प्रायर क्लेम नहीं रहता इसलिए इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिये। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि वह फेज ओवर हो चुका है और अब सीधा संबंध जो स्टेट और काश्तकार का होना चाहिये और उसकी जो भूमिका बननी चाहिये वह बना ली गई है और ६५ पर्सेन्ट उसको पूरा कर लिया गया है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां सैटलमेन्ट की कार्यवाही पूरी नहीं हुई है और पूरी नहीं होने से जागीरों का पुनर्ग्रहण नहीं हुआ है और स्टेट और काश्तकार का सीधा सम्बन्ध नहीं हो सका है। वहां सहकार समितियां, जब तक सैटलमेन्ट न हो जाय कितनी बन सकती हैं यह देखा जा रहा है, उनको सहकारिता से वन्चित नहीं रख सकते और रख सकते हैं तो उनको यह सहूलियत मिलनी चाहिये चाहे उनका सम्बन्ध लैंड लॉर्ड और टिनेन्ट का हो, इस कानून के जरिये उनका सम्बन्ध भी सुरक्षित रहना चाहिये। लैंड रेवेन्यु और लैंड परम्परा से देखते आये हैं। जिनका ड्यु है उनको मिलना चाहिये। फिर भी जब क्लॉज पर डिस्कशन हो और माननीय सदस्यों के दिमाग में पूरी तरह से यह बैठ जाय कि रेन्ट को हटा देना चाहिये तो वैसा किया जा सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के बारे में कई चर्चायें और आलोचनायें जोड़ी गई हैं। मैं उनकी डिटेल्स में जाना नहीं चाहता। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह तो कोऑपरेटिव मूवमेन्ट नहीं है, किन्तु अफसरों का मूवमेन्ट है, ऐसा लगता है कि अफसरों का ही अफसरों का मूवमेन्ट है। ठीक है कि कमेटियां बनाने में अफसर ज्यादा दिलचस्पी लेते हों और बनाते हों। उन्होंने भरतपुर के जल्से का जिक्र किया कि वहां अफसर ही अफसर नजर आ रहे थे, सहकारिता के आदमी नहीं देखे गये। उस उक्त वे स्वयं मौजूदा नहीं थे किन्तु मैं स्वयं वहां मौजूद था। कम से कम वहां पर ४०० डेलीगेट्स थे जो वेरियस सोसाइटीज के सदस्य थे। वे सब वहां मौजूद थे। मैं उनसे पर्सनली मिला था। ऑफिसर्स जरूर थे। डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान लेवल तक के ऑफिसर्स थे।

सहकारिता के बारे में अगर हम जल्सा करके लोगों के दिमाग में सहकारिता के महत्व को बताना चाहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं करते। सहकारिता का प्रचार करने के लिये सरकार तो प्रयत्न करती ही है, मैं माननीय सदस्यों से भी प्रार्थना करूंगा कि वे भी इस ओर प्रयत्न करेंगे और उनको करना भी चाहिये। सरकारी समितियां अपने इलाकों में कायम करने के लिये जितना भी प्रयत्न आप करें आपको करना चाहिये, यह वहां के निवासियों के लिये और काश्तकारों के लिये बहुत अच्छा होगा। पर्सनली मैं इस

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बात का पक्षपाती हूं कि राजनीति को सह–कारिता के क्षेत्र में नहीं घुसेड़ना चाहिये। श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण में इस बात की ज्यादा चर्चा की कि फलां सोसाइटी ने लोन हजम कर लिया, फलां सोसाइटी लिक्विडेशन में आ गयी, यह मैं मानता हूं। यह सहकारिता का आन्दोलन हमारे प्रान्त में नया है। हो सकता है कई सोसाइटीज़ ठीक प्रकार से काम न करती हों। माननीय चेयरमैन,मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन कर देना चाहता हूँ, मैं इस बात का दावा नहीं करता, सह–कारी समितियां जो बनी हुई हैं वे सारी की सारी सही रूप में और बिना किसी गड़बड़ी के काम करती हों; यह बात नहीं है। कुछ सह-कारी समितियां गलत भी काम करती हैं। हमारे प्रधान मंत्री महोदय तो इस बारे में कहा करते हैं कि सहकारी समितियों को गलती करने का हक है, जो गलतियां करते हैं उनको दुरुस्त करना चाहिये, नोन ऑफिशियल एजेन्सीज़ को करना चाहिये, ऑफिशियल एजेन्सीज़ को करना चाहिये।

अकॉउन्ट्स के चेक करने के बारे में भी कमियां बतायी गईं। यह मैं मानता हूं कि आज से दो साल पहले ऐसी परिस्थितियां थी। जहां सहकारी समितियों का ऑडिट हर साल होना चाहिये था वहां तीस प्रतिशत तक का भी नहीं हो पाता था। उस समय स्टाफ की कमी थी। आज हमने ट्रेन्ड पर्सो-नल्स भी तैयार कर लिये, स्टाफ की जो कमी थी उसको भी काफी हद तक पूरा कर लिया और आज हम यह कह सकते हैं कि ९२ प्रति–शत सहकारी समितियों का निरीक्षण इस साल किया गया है, उसमें भी आठ प्रतिशत की कमी रह गई है। अगले साल हम इससे भी आगे बढ़ पायेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। सभी सहकारी समितियों में गड़बड़ियां होंगी, यह मानना गलत है। कुछ में हो सकती हैं। हमें उसको मिटाने का प्रयत्न करना चाहिये और हम उस ओर प्रयत्नशील हैं और हमारा प्रयत्न यह हो कि अच्छी सहकारी समितियां बनें। ऐसे आदमी उसमें सम्मिलित हों जो मिल–जुलकर काम करना चाहते हों। सहकारी दृष्टिकोण किसी पर लागू करने की या एन–फोर्स करने की चीज नहीं, यह एक ऐसी चीज है जिसमें हमें मिल–जुल कर काम करना है और आगे की ओर बढ़ना है। यह हम सही रूप में तभी जमा पायेंगे जब कि उसमें काम करने वाले लोग चारित्रिक दृष्टि से ऊंचे होंगे तभी सहकारी समितियों की प्रगति अच्छी हो सकेगी।

इस बिल के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए माननीय सदस्य ने रेट ऑफ इन्टरेस्ट का भी प्रश्न उठाया। मैं उनसे निवेदन कर देना चाहता हूँ कि यह ऑर्गेनाइजेशन हमारे प्रान्त में नया है। दूसरे प्रान्तों में जहां यह जमा हुआ है वहां के रेट ऑफ इन्टरेस्ट को हम देखें तो सब से कम रेट ऑफ इन्टरेस्ट मद्रास का है जहां ६ प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। और हमारे राजस्थान में ७॥ प्रति सैकड़ा है....

श्री पी० के० चौधरी : At what rate you get the money from the Reserve Bank ?

श्री नाथूराम मिर्धा: (जारी रखते हुए) मैं बताता हूँ, हालांकि इसकी चर्चा करना इस समय उपयुक्त नहीं, फिर भी आपकी जान–कारी के लिये बता दूँ। दो पर्सेन्ट इन्टरेस्ट से यह रुपया हमें मिलता है। तो जिस हालत में इस मूवमेंट को हम राजस्थान में चलाना

(श्री नाथूराम मिर्धा)

चाहते हैं, अपेक्स बैंक यहां नया खोला गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक बन रहे हैं और सहकारी समितियां भी नयी बनी हैं; उनका अपना खर्चा भी है, उनको नई व्यवस्था कायम करनी है, उसका कार्य भी ठीक प्रकार से चलाना है, वैसी हालत में अपेक्स बैंक जो पहले डेढ़ पर्सेन्ट पर देता था अब उसने भी दो पर्सेन्ट कर दिया है। जिस समय रेट डेढ़ पर्सेन्ट था उस समय भी इन्डिवीज्युअल को साढ़े सात पर्सेन्ट के हिसाब से लोन दिया जाता था। सारे खर्चे को देखते हुए जहां अपेक्स बैंक ने डेढ़ पर्सेन्ट से दो पर्सेन्ट कर दिया तो हम साढ़े सात पर्सेन्ट लेते हैं तो कोई बात नहीं है। यदि हम ६ प्रतिशत इसमें कर सकें तो यह बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन हमारी सोसाइटीज़ की हालत को देखते हुए, उनके खर्चे आदि पर विचार करते हुए अगर हम रेट ऑफ इन्टरेस्ट ६ प्रतिशत कर देते हैं तो सहकारी समितियों का संचालन सुचारु रूप से नहीं हो सकेगा। सहकारी समितियों का भी खर्चा होता है, उनमें भी कम से कम ३, ३॥ पर्सेन्ट का मार्जिन होना ही चाहिये; उसके बिना उनका काम नहीं चलेगा। आप जिस प्रकार इन्टरेस्ट को कम करने की चिन्ता करते हैं आप से कम सहकारिता का काम करने वाले सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनको भी कम चिन्ता नहीं है। लेकिन जिन हालतों में हम सहकारी समितियों की नींव मजबूत करना चाहते हैं उस हालत में हमें यह खयाल रखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से इनकी नींव को मजबूत कर सकते हैं। अगर हम अभी से इस चीज में कमी करने लग गये तो हो सकता है कि सहकारिता का ढांचा जो हम राजस्थान में बनाना चाहते हैं, कोलेप्स हो जाता है।

कुछ आलोचना क्रेडिट सर्वे की रिपोर्ट को लेकर की गई। जब रिपोर्ट को मन्जूर कर लिया गया तो उसका समावेश यहां क्यों नहीं किया गया, उनके कहने के मुताबिक सारी धाराओं में परिवर्तन एक साथ आना चाहिये। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके जरिये सदन को यह बता देना चाहता हूं कि सारी बातों का समावेश इसमें तो नहीं हो सकता। उस सम्बन्ध में प्रोपर सोच-विचार चल रहा है, प्रान्त लेवल पर और सेन्ट्रल लेवल पर। इस सम्बन्ध में मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ।

इसके अलावा और भी दलीलें दी गई। खास तौर से क्लॉज़ २६ ए के बारे में कहा गया। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि यदि इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लिया जाता और क्लॉज़ को अलग अलग पढ़ कर जो दलील दी, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने, उनका यह कहना था कि इसके अन्दर "लैन्ड" 'और लैन्ड इन्टरेस्ट" के शब्द रखें जायं, यहां मूवेबल प्रोपर्टी को रखा हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि यह कानून बनाते वक्त इस क्लॉज़ का एडीशन किया गया। सारी बातों का जिक्र, उन सारे क्लॉज़ेज़ के बारे में जिक्र ऑब्जेक्टस एन्ड रीज़न्स में हो, नहीं सकता और न करने की आवश्यकता ही महसूस हुई। इसके अलावा यह क्लॉज़ रखना जरूरी था, कुछ नई सोसाइटीज़ दूसरे क्षेत्र में बनी हैं, उनमें नये प्रकार के तरीके, नया लेन-देन मौजूदा हालत में भी हो रहा है। रूरल एग्रीक्लचर सोसाइटी, जहां लोंग टर्म पर लैन्ड के मोर्टगेज रखने पर लोन दिया जाता है ....

श्री पी. के. चौधरी : लैन्ड मोर्टगेज का तो अलग कानून है, there is a separte Act.

श्री नाथूराम मिर्धा : (जारी) इसमें

(श्री नाथूराम मिर्धा)

भी इसका समावेश हो सकता है, उसके लिये सिक्योरिटी प्रोपर हो इन सारी बातों का जिक्र एक्सप्लेनेशन में किया गया है । कुछ एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ भी हो सकती हैं ...

श्री श्रीभानसिंह : The time is over, Sir.

श्री नाथूराम मिर्धा : आप दो मिनिट के लिये शान्ति रखें, तो मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर दूं ।

श्री सभापति : Yes, please finish in two minutes.

श्री नाथूराम मिर्धा : (जारी) क्लॉज़ २६ ए की चर्चा की गई लेकिन मेरा निवेदन यह है कि मल्टीपर्पज़ सोसाइटीज़ भी हैं, मार्केटिंग सोसाइटीज़ भी हैं जिनमें एग्रीकल्चरिस्ट नहीं, नोनएग्रीकल्चरिस्ट होते हुए भी, मार्केटिंग सोसाइटीज़ के मेम्बर बनते हुए भी काम करना चाहते हैं, तो इस प्रकार का प्रावधान हमारे इस एक्ट में नहीं था, उसका होना जरूरी था इसलिये इसमें मूवेबल प्रोपर्टी पर लोन मिल सकता है । इस प्रकार की व्यवस्था हमारे पुराने कानून में नहीं थी । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ जिस प्रकार की बातें कई दफा कही जाती हैं उससे ऐसा मालूम होने लग जाता है कि जैसे हम बजट पर भाषण कर रहे हों, फिर भी जो भी माननीय सदस्यों ने उचित समझा कहा, वह सोच–समझ कर ही कहा होगा; फिर भी इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये जिन माननीय सदस्यों ने मोशन रखा उनसे आशा करता हूँ कि वे उसे विद्ड्रॉ करेंगे और सदन इस बिल को विचारार्थ लेगा ।

श्री सभापति : The House is adjourned till tomorrow at 11 A.M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५ बज कर दो मिनट पर दिनांक १६ नवम्बर, १६५६ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त विवरण

(मंगलवार, १८ नवम्बर, १९५८)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर -२७२६

नियमों का हिन्दी अनुवाद।

बेसिक प्राइमरी स्कूल, लालसोट का भवन।

नागौर जिले के रेवेन्यु विभाग के कर्मचारियों का फिक्सेशन।

रामचन्द्र चोबदार (मांगरोल) की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों को सरकार द्वारा इनाम।

नारेड़ा, सूरपुरा, बनेटी मिडिल स्कूलों पर सरकार का अधिकार।

ग्राम भूंगरा (शेरगढ़) में अनुसूचित जाति के लोगों की ढाणियां जल जाने पर सरकार द्वारा सहायता।

ग्रो मोर फूड स्कीम के अन्तर्गत काश्त के लिये जमीनों का वितरण।

राजकीय हाई स्कूल, पीपाड़ सिटी में कॉमर्स के छात्र।

जिला झालावाड़ में कन्जरों की आबादी।

बिना एडवाइज़री बोर्ड की मंजूरी के तहसीलदार बामनवास द्वारा जमीन का अलॉटमेंट।

डिवीज़नल फोरेस्ट ऑफिसर का कार्यालय बारां में बनाने के लिए अवाप्त की गई भूमि।

प्राइमरी स्कूल, चाकसू का भवन निर्माण।

हाई स्कूल, चाकसू का भवन।

जिला झालावाड़ के अनुसूचित जातियों के हेतु कल्याण कार्य पर स्वीकृत धनराशि।

तहसीलदार बैराठ द्वारा नम्बरदारों की नियुक्ति।

मोजा हरनेई (तहसील भीलवाड़ा) में आराजी नम्बर ८६० की काश्त।

महाराजा कॉलेज छात्रावास, जयपुर में प्रवेश के सम्बन्ध में अनियमितता।

जयपुर इन्सपेक्टोरेट (ईस्ट) के कार्यालय के कर्मचारी।

राजस्थान भूमि उपयोगिता विधेयक के अन्तर्गत खाली पड़ी भूमि पर काश्त।

इन्तकाल खोलने के मामले—तहसील सलूम्बर।

जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई-माधोपुर के मेनेजिंग डाइरेक्टर्स में सरकार का प्रतिनिधित्व।

कच्छी लोगों को जानवरों की चराई के लिये पर्मिशन-तहसील पाली।

Page No.103

स्कम्भ

प्रशासन में खर्चे की कमी करने के लिये कमेटी की नियुक्ति ।

नजूल रेट ।

हैन्डलूम इन्सपेक्टर्स ।

मुरब्बाबन्दी और चकबन्दी ।

हैन्डलूम इन्सपेक्टरों की संख्या ।

२५ अक्टूबर १९५८
स्थगित प्रश्न

हरिजनों को रहने तथा खेती के हेतु मुफ्त भूमि वितरण ।

२७ अक्टूबर १९५८
स्थगित प्रश्न

ग्राम फरुकाबाद की चकबन्दी ।

२८ अक्टूबर १९५८
स्थगित प्रश्न

माउन्ट आबू पर कर्मचारियों की बैठकों का आयोजन ।

३० अक्टूबर १९५८
स्थगित प्रश्न

बीकानेर क्लॉथ मर्चेन्ट एसोशियेशन ।

(१) राजस्थान बिक्री कर निर्धारण तथा वसूली वैधकरण विधेयक, १९५८ २७८६

(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, मन्त्री, आबकारी तथा कर विभाग, ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय। इस पर डॉ० बहादुरसिंह ने इस आशय का संशोधन प्रस्तुत किया कि विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय तथा श्री मनोहर कोठारी ने यह संशोधन रखा कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। वाद-विवाद के पश्चात् संशोधन प्रस्ताव वापिस ले लिये गये तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक खण्डशः विचार के बाद सदन द्वारा पारित भी किया गया।

स्कम्भ

(२) राजस्थान सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९५८ २८६६

(विचारार्थ)

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव श्री नाथूराम मिर्धा, मन्त्री सहकारी विभाग, ने प्रस्तुत किया जिस पर श्री पी० के० चौधरी ने यह संशोधन रखा कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इस पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

१. श्री दयाकृष्ण विजय
२. श्री श्रीभानसिंह
३. श्री मुक्तिलाल मोदी
४. श्री भैरोंसिंह (१४)
५. रावल श्री नरेन्द्रसिंह

सहकारी मन्त्री ने बहस का उत्तर दिया ।

बुधवार, १६ नबम्बर, १६५८ की कार्य सूची,

(१) राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (संशोधन) विधेयक १६५८ (खंडशः विचार विमर्श एवं पारित

(२) राजस्थान टिनेन्सी (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १६५८ (विचार-विमर्श)

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५५८ का उत्तर देखिए)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Revenue (B) Department.

NOTIFICATION

No. 3 (132) Rev. II/51. Dated, Jaipur, the 15th March, 1951.

In order to attain self-sufficiency in food, the Rajasthan Government have had under consideration the question of encouraging reclamation of waste lands and cultivation of unoccupied fallow lands by enterprising persons. With this end in view, the Rajasthan Government are pleased to announce to following concessions and terms under which leases of unoccupied lands, belonging to the State will be granted to intending cultivations.

(1) (a) persons taking land for cultivation between 20 and 100 acres will be exempted from payment of rent in the first year and will be charged half rent in the 2nd year and full rent in the 3rd year.

(b) Persons taking land for cultivation between 100 and 250 acres will be exempted from payment of rent in the first 2 years and will be charged $\frac{1}{3}$rd rent in the third year and $\frac{2}{3}$rd rent in the fourth year and full rent in the fifth year.

Notes :— Rent would mean rent assessed upon land at settlement Rates in the present condition of settled, otherwise rent assessed by the allotting authority on the basis of rents on similar adjoining lands.

(2) The above lands will be given on lease for 20 years on the following conditions :--

(a) persons taking land for cultivation between 20 to 100 acres will be required to cultivate 50% in the first year and the whole of it in the 2nd year.

(b) persons taking more than 100 acres will be required to cultivate $\frac{1}{3}$rd in the first and $\frac{2}{3}$rd in the 2nd year and the whole of it in the 3rd year.

(3) Loans for purchase of agricultural machinary will be granted to cover half the cost of machinary at the same rate of interest on

which Taccavi loans are admissible and they would be recoverable in 10 half yearly instalments.

(4) The lands will be utilised for growing food grains. Not more than 20% of the area may be brought under fodder or other crops in any one year.

(5) Persons desirous of taking lands on the above conditions will have to deposite earnest money at the rate of Re. 1/- per acre which will be refunded when concessional period of rent expires.

(6) The lease will be liable to be terminated if the above conditions for bringing the land under cultivation are not fulfilled or the lessee does any act deterimental to the holding.

(2) In order to obviate delays in the allotment of land, the following officers are hereby authorised to allot land to the extent mentioned against them :-

(a) Tehsildar upto 20 acres of dry land.

(b) Asstt. Collector upto 80 acres of dry land.

(c) Callectors upto 100 acres of dry land.

(d) Commissioners upto 250 acres of dry land,

For wet land (i) acre will be taken as equivalent to (3) acres of dry land.

While alloting land for cultivation, the officers mentioned above will be responsible to ensure that sufficient area, for pasturage is left in tact. For purposes of rough calculation half bigha of land may be left for each head of cattle in the village.

Sd. H. D. UJWAL,
Revenue Secretary to Govt.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६५ का उत्तर देखिये)

EXPENDITURE INCURRED IN CONNECTION WITH THE ALL INDIA COMMUNITY DEVELOPMENT

CONFERENCE HELD AT MOUNT ABU DURING MAY, 1958.

Expenditure incurred by the state government—17908.00.

EXPENDITURE INCURRED IN CONNECTION WITH THE S. A. O'S CONFERENCE HELD AT MT. ABU.

1.	T. A. & D. A. of Officers of the Secretariat as intimated by A. O.	4922.78
2.	Expenditure incurred through the S. D. O., Mt. Abu.	113 28
3.	Expenditure on Petrol.	1096.49
4.	Expenditure by Circuit House, Mt. Abu.	1664 59
5.	Expenditure on Microphone arrangements.	2:5,00
6.	Expenditure incurred through Development Department on the	
	(i) Transport of furniture, Tentage etc. on return journey	1945.93
	(ii) Decorations.	774 27
	(iii) Temporary Labour.	464.00
	(iv) Electricity	149.75
	(Details are being obtained from the Development Department).	
	TOTAL.	11356.09

EXPENDITURE INCURRED IN CONNECTION WITH THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICERS CONFERENCE HELD AT MT. ABU.

1.	Expenditure incurred by Development Department on this camp.	79.81
2.	Expenditure incurred by Agriculture Department in connection with Block Development Conference.	493.52
3.	Expenditure incurred by Social Welfare Department in connection with journey and Photography regarding Development Conference	531.31
		Total—1104.64

EXPENDITURE INCURRED IN CONNECTION WITH THE MEETING OF OFFICERS OF EDUCATION DEPARTMENT IN CONNECTION WITH DISTRIBUTION OF NATIONALISED TEXT BOOKS HELD AT MT. ABU.

Information regarding the amount spent in convening this meeting at Mount Abu is not available in this Department. This information is also not readily available in the office of the Director of Education, Rajasthan, Bikaner, in as-much-as the required information will have to be collected from different offices under the Director of Education.

———

LIST OF OFFICERS OF RAJASTHAN WHO ATTENDED ALL INDIA COMMUNITY DEVELOPMENT CONFERENCE HELD AT MT. ABU DURING MAY, 1958.

RAJASTHAN.

1. Shri B. Mehta, I. A. S,
   Addl. Chief Secretary & Development Commissioner.
2. Shri B. P. Sood, I. A. S.,
   Registrar, Co-operative Societies.
3. Shri K. L. Baraya, Director Training.
4. Shri Hari Singh,
   T. A. to Chief Engineer, Irrigation Branch,
   Public Works Department.
5. Shri S. K. Kakkar, I. A. S.,
   Director of Industries & Commerce.
6. Shri B. N. Handa, MRCVS,
   Director of Animal Husbandry.
7. Shri R. S. Bhatt, Director of Public Relations.
8. Shri A. P. Dewan, I. A. S.,
   Dy. Development Commissioner.
9. Shri U. S. Gaur,
   Dy. Director, Social Education.
10. Shri Samrathraj, R. A. S.,
    Director of Agriculture.
11. Dr. B. N. Sharma,
    Director of Medical Services.
12. Shri Gajraj Singh, I. A. S.,
    District Development Officer.
13. Shri H. S. Rawat,
    Chief Panchayat Officer.
14. Shri Randhir Singh,
    Deputy Development Commissioner.

15. Shri Nand Lal Mathur,
Zonal Development Officer.

16. Shri Balendu Sharma,
Zonal Development Officer.,

17. Shri Ummed Singh,
Assistant Development Commissioner.

LIST OF OFFICERS WHO ATTENDED THE S. A. O'S CONFERENCE HELD AT MT. ABU IN MAY, 1958.

Ministers & Dy. Ministers :-

1. Shri Mohan Lal Sukhadia.
2. ,, Ram Kishore Vyas.
3. ,, Damodar Lal Vyas.
4. ,, Nathu Ram Mirdha.
5. ,, Hari Bhau Upadhya.
6. ,, Badri Prasad Gupta.
7. ,, Sampat Ram.
8. ,, Bhikabhai.

Secretaries & Dy. Secretaries.

1. Shri B. Mehata, I. A. S.,
2. ,, Chandra Shekhar Gupta, I. A. S.
3. ,, A. K. Roy, I. A. S.
4. ,, Z. S. Jhala, I. A. S.
5. ,, R. D. Mathur, I. A. S.
6. ,, T. N. Chaturvedi, I. A. S.
7. ,, K. N. Bhargava, I. A. & A. S.
8. ,, P. D. Loiwal, I. A. S.,
9. ,, B. N. Malhan, I. A. S.,
10. ,, G. K. Bhanot, I. A. S.,
11. ,, Bhim Singh, I. A. S.

Assistant Secretaries & Accounts Officers.

1. ,, Shri Sukhdeo Prasad.
2. ,, Mehtab Chand Mehta.

Heads of Departments.

1. Shri Shyam Lal, I. A. S., Member, Board of Revenue.
2. ,, Daulat Singh, I. A. S., Jagir Commissioner.
3. ,, Goverdhan I. P. S., Inspector General of Police.

4. „ Kishore Lal, Chief Engineer, P. W. D.' B. & R.
5. „ Hari Singh Chowdhary, Superintending Engineer. Irrigation, Representative, Chief Engineer [Irrigation].
6. „ J. S. Mehta, Director of Education.
7. „ Gulzari Lal, R. A. S., Commissioner, Excise & Taxation.
8. „ A. P. Dewan, I. A. S., Deputy Development Commissioner [Br.]
9. „ B. P. Sood, I. A. S., Registrar, Co-operative Societies.
10. „ Wahidullah Khan, R. A. S, Director of Transport.
11. „ S. N. Mishra, Director, Printing and Stationery.
12. „ L. K. Verma, Director of Economics & Statistics.
13. „ Hari Singh, R. A. S., Director of Local Bodies.
14. „ B. C. Mukerjee, I. A. S., Settlement Commissioner
15. „ R. P. Bhargava, I. A. S, Director of Consolidation of Holdings.
16. „ S. L. Kakkar, I. A S., Director of Industries.
17. „ H. S. Rawat, R. A. S., Chief Panchayat Officer.
18. „ R. S. Bhatt, Director of Public Relations.
19. „ Parmanand. R. A. S., Director of Social Welfare Deptt.
20. „ N. N. Sen, Chief Conservator of Forests.

COMMISSIONERS.

1. Shri G. S. Mehta, I. A. S, Commissioner, Ajmer.
2. „ B. L. Rawat, I. A. S., Commissioner, Jodhpur.
3. „ S. D. Ujwal, I. A. S., Commissioner, Udaipur.
4. „ M. U. Menon, I. A. S., Commissioner, Bikaner.
5. „ Kamta Prasad. I. A. S., Commissioner, Kota.

COLLECTORS

1. Shri Khem Chand, I. A. S., Collector, Ajmer.
2. „ Gordhan Singh, I. A. S., Alwar.
3. „ Gajraj Singh, I. A. S., Sirohi.
4. „ Rewat Mal Singhvi, R. A. S. Offg. Collector, Barmer.
5. „ A. Goswami, R. A. S., Offg. Collector, Bharatpur.
6. „ R. D. Thaper, I. A. S., Bikaner.
7. „ R. K. Shastri, I. A. S., Bundi.
8. „ A. P. Kaushik, I. A. S., Collector, Bhilwara.

9. „ Narain Das Mehta, R. A. S., Chittorgarh.
10. „ D. K. Saxena, I. A. S., Churu.
11. „ J. S. Singhvi, I. A. S., Dungarpur.
12. „ I. S. Mehta, I. A. S., Ganganagar.
13. „ S. N. Shukla, I. A. S., Jalore.
14. „ Vishnu Dutt Sharma, I. A. S., Jaipur.
15. „ Gordhan Singh, I. A. S., Jhalawar.
16. „ R. K. Chaturvedi, I. A. S., Jodhpur.
17. „ Surendra Singh, I. A. S., Kota.
18. „ Narayan Chand, I. A. S., Nagaur.
19. „ P. L. Sukhwal, I. A. S., Pali.
20. „ Mool Singh, I. A. S., Sawai-Madhopur.
21. „ H. S. Mehta, I. A. S., Sikar.
22. „ Shiv Shankar, I. A. S., Udaipur.
23. „ J. N. Purohit, I. A. S., Tonk.

LIST OF BLOCK DEVELOPMENT OFFICER WHO JOINED THE CAMP HELD AT MT. ABU.

1. Shri H. N. Sharma.
2. „ Kundan Lal Chaturvedi.
3. „ B. K. Binju.
4. „ Jagan Nath Sharma.
5. „ Rajeshwar Dayal.
6. „ D. S. Srivastava.
7. „ Akshya Lal Bhat.
8. „ B. K. Bohra.
9. „ Bala Sahai Sharma.
10. „ Sewa Lal Shah.
11. „ B. L. Deshora.
12. „ Durga Chand.
13. „ Kiran Babu.
14. „ J. C. Agarwal.
15. „ Radha Kishan Tripathi.
16. „ Ramji Lal.
17. „ Ram Narain Saxena.
18. „ Bansidhar Sharma.
19. „ D. P. Mathur.
20. „ Mohan Singh.
21. „ Hari Mohan Mathur.
22. „ Bhotoram.
23. „ Gurbux Saxena.
24. „ Brij Kishore.
25. „ Kishan Lal Dabhai.
26. „ Tara Chand.
27. „ Takhat Singh.
28. „ Bhanwar Singh Deora.
29. „ D. P. Mathur II.
30. „ S. K. Arun.
31. „ Samrath Raj Director, Agriculture.
32. „ U. S. Balal, Dy. Director, Agriculture.

LIST OF OFFICERS OF EDUCATION DEPARTMENT WHO ATTENDED THE MEETING AT MT. ABU IN CONNECTION WITH DISTRIBUTION OF NATIONALISED TEXT BOOKS.

1. Shri Shyam Lal, I. A. S, Chairman, Nationalisation Board of Text-books.
2. ,, Dy. Secretary, Education.
3. ,, Director of Education.
4. ,, R. V. Kumbhare, Secretary, Nationalisation Board of Text-books.
5. ,, All the Dy. Directors of Education.
6. ,, Inspectors of Schools posted at Divisional Headquarters.
7. ,, Inspectors, Alwar and Bharatpur.
8. ,, Inspectors of Schools of the Jodhpur Division.

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक १८ नवम्बर, १९५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२७२६	१	सोमवर, १८ नवम्बर, १९५८	मंगलवार, १८ नवम्बर, १९५८
२७४७	६	श्री पूमनचन्द	श्री पूनमचन्द
,,	अन्तिम से ३	समाज शिक्षण केः	समाज शिक्षण केन्द्र
,,	अन्तिम पंक्ति	कुआ	कुआ ३४० रु०
२७५३	१२	लैंड युटिइज़ेशन	लैंड युटिलाइजेशन
२७६७	२	जे	से
,,	३ व १३	इन्टेरेट	इन्ट्रेस्ट
२७७०	६९	श्री सतीशचन्द्र अग्रलाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
२७७१	अन्तिम से ४	राजस्व मम्त्री	राजस्व मन्त्री
२७७२	,, २	व जूल नसूल	नजूल वसूल
२७७३	७	हैंन्ड लूम	हैण्डलूम
२७७७	२५	हैन्डलूम	हैण्डलूम
२७८८	६	or purechase	or purchase
,,	२०	us	as
,,	२२	imposa	impose
,,	३२	tne	the
२७८९	२९	tn	in
,,	३१-३२	includins	including
,,	३४	Contrat	Contract
,,	अन्तिम से २	ध्याद देने	ध्यान देने
२७९०	३-४	notwithstandindg	notwithstanding

१	२	३	४
२७६०	६	contary	contrary
,,	१३	purpose	purpose of
,,	१६	pessed in	passed in
२७६७	१२	प्रावधान है अगर	प्रावधान है। अगर
२७६६	शीर्ष	[७६६	[२७६६
२८०६	अन्तिम पंक्ति	which render	which render
२८०७	२०	state of afairs	state of affairs
,,	२६	ऑब्जेक्क्ट्स	ऑब्जेक्ट्स
२८०८	१०	एकोडिंग	एकोर्डिंग
,,	अन्तिम से २	मरवौल	मखौल
२८१०	१५-१६	कॉस्टीट्युशन	कॉन्स्टिटयुशन
२८१५	२१	में	मैं
२८१६	१	wordsa	words
२८२०	६	स्टेटूस	स्टेट्स
२८२६	१०	इन्स्ट्रीट्युशन	इन्स्टीट्युशन
२८३६	शीर्ष	वसूलो मैधकरण विधेयक	वसूली वैधकरण विधेयक
२८४१	अन्तिम	क्लॉज़ ३ ए में से १ 'Is or'	क्लॉज़ ३ (ए) में से १ 'I; or'
२८४८	१४-१५	प्रश्न यह है कि विधेयक का खण्ड ७ खण्ड ५	(वाक्य विलोपित समझा जाय)
,,	२०-२१ के मध्य में	—	(स्वीकृत) खण्ड ६ विधेयक का अंग बना।
२८५१	१	जवबा	जवाब
,,	२	करमे	करने
,,	२१	आग्युमेंट्स	आग्युमेंन्ट्स
२८५३	५	कि	की
२८५७	१५	केमिटमेन्ट	कमिटमेन्ट
२८६३	अन्तिम से ३	'हा' पत्त	'हाँ' पत्त
२८६६-२८७७	शीर्ष	राजस्थान सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक	राजस्थान सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९५८

१	२	३	४
२८६७	३	इम्वेबेब्रिल	इम्व्रूबेब्रिल
२८७१	२०	govrnment	government
२८७२	२०	Chargeon urinmovalsla	charge on immovable
२८७३	१२	- tern	term
,,	१३	sysftem	system
,,	१४	Ths system my	This system may
,,	१५–१६	proctive	productive
२८७५	३	Bomby	Bombay
२८७६	४	immoovable	immovable
,,	अन्तिम	प्रोपर्टीटी	प्रोपर्टी
२८८३	२	आत्मा	आत्म
२८८४	५	or clause (ii)	or sub-clause (ii)
२८८५	२	by him	by him......"
२८८६	२४	tot he	to the
२८९०	७	क्रटेरिया	क्राइटेरिया
२८९१	अन्तिम से ७	पर्सनल	पर्सन्स
२८९२	१४	इनकोपोरेट	इनकोर्पोरेट
२९१०	१३	फा कोर्म	फार्म को
२९३६	कॉलम ३, आइटम ५	225,00	225.00
,,	कॉलम ३, आइटम ७	774 27	774.27
२९४२	१२	Settllement	settlement